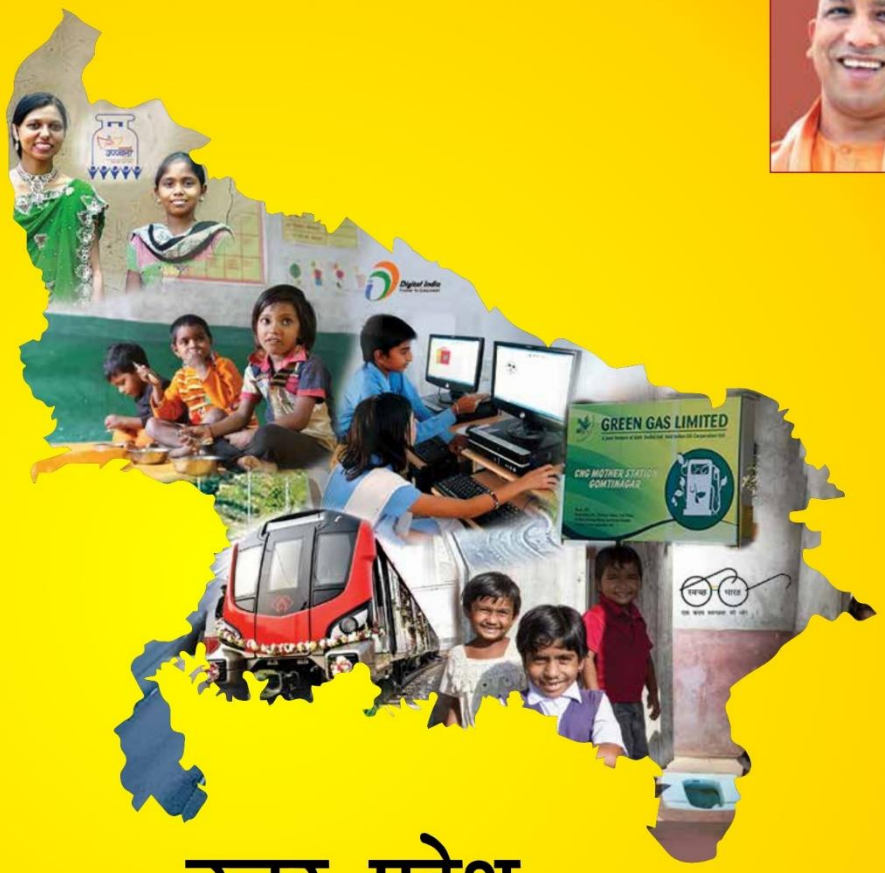

1 गरीबी उन्मूलन
2 शून्य भुखमरी
3 उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली
4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
5 लैंगिक समानता
6 स्वच्छ जल और स्वच्छता
7 सस्ती और प्रदूषणमुक्त ऊर्जा
8 उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि
9 उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं
10 असमानताओं में कमी
11 संवहनीय शहर और समुदाय
12 संवहनीय उपभोग और उत्पादन
13 जलवायु परिवर्तन
14 जलीय जीवों की सुरक्षा
15 थलीय जीवों की सुरक्षा
16 शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं
17 लक्ष्य हेतु भागीदारी

उत्तर प्रदेश सतत विकास लक्ष्य

कोई पीछे न छूटे

कार्ययोजना, चुनौतियां एवं रणनीति

02 अक्टूबर, 2019

अनुक्रमाणिका

परिचय.....2

सतत विकास लक्ष्यः 1 गरीबी उन्मूलन.....6

सतत विकास लक्ष्यः 2 भूख्य भुखमरी 13

सतत विकास लक्ष्यः 3 उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली 19

सतत विकास लक्ष्यः 4 गुणवत्तापूर्ण f" ाक्षा 26

सतत विकास लक्ष्यः 5 लैंगिक समानता 35

सतत विकास लक्ष्यः 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता.....42

सतत विकास लक्ष्यः 7 सस्ती और प्रदूषण–मुक्त ऊर्जा 47

सतत विकास लक्ष्यः 8 उत्कृश्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि 54

सतत विकास लक्ष्यः 9 उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं.....69

सतत विकास लक्ष्यः 10 असमानताओं में कमीं.....74

सतत विकास लक्ष्यः 11 संवहनीय भाहर और समुदाय.....79

सतत विकास लक्ष्यः 12 संवहनीय उपभोग और उत्पादन.....85

सतत विकास लक्ष्यः 13 जलवायु परिवर्तन 97

सतत विकास लक्ष्यः 14 जलीय जीवों की सुरक्षा.....103

सतत विकास लक्ष्यः 15 थलीय जीवों की सुरक्षा 104

सतत विकास लक्ष्यः 16 भाांति, न्याय और स" ाक्त संस्थाए.....114

सतत विकास लक्ष्यः 17 लक्ष्य हेतु भागीदारी.....134

परिचय

दुनिया का हर छॅठा व्यक्ति भारतीय है और हर 36वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश से है। जब दुनिया सभी देशों और व्यक्तियों के सामूहिक कार्यों के माध्यम से वर्ष 2030 तक स्वयं को सतत (सस्टेनेबिल) बनाने की तैयारी कर रही है, तब हमारे राज्य द्वारा इसे और अधिक सतत बनाने के लिए जो अद्वितीय योगदान दिया जा सकता है, उसे पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है।

सतत विकास लक्ष्य हमारी संस्कृति के लिए कोई नई बात नहीं है। यह तीन सिद्धांतों की याद दिलाता है – **वसुधैव कुटुम्बकम्, प्रकृति के साथ तालमेल से रहना और प्रत्येक चीज में संतुलन रखने की जरूरत,** जो हम स्वयं के साथ और अपने जीवन के लिए करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम किस प्रकार अपने संसाधनों को एकीकृत करते हुए अपनी योजनाओं, कार्यक्रमों और भावी प्रगति से जोड़ सकते हैं, जिससे कि गरीबी, कुपोषण को समाप्त किया जा सके, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध हों। हमें यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि विभिन्न विभागीय योजनाओं के माध्यम से हमारे पास सामाजिक सुरक्षा के लिए जो व्यवस्थायें उपलब्ध है, उसका अनुकूलतम उपयोग समावेशी विकास के लिए किया जाए, जिससे कि कोई गरीब वंचित न रहे।

महात्मा गॉधी जी ने कहा था ''हम उस भावी विश्व के लिए भी चिन्ता करें, जिसे हम नहीं देख पायेंगे।'' हमारे प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में अपने उद्बोधन में उल्लेख किया था कि निश्चित रूप से, मानवता तब आगे बढ़ी है, जब वह सामूहिक रूप से दुनिया के प्रति अपने दायित्व और भविष्य की जिम्मेदारी के लिए बढ़ी है। इसी कड़ी में सतत् विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0) एजेण्डा 2030 एक महत्वाकांक्षी विज़न है, जिसके उद्देश्य व्यापक हैं।

सहत्राब्दी विकास लक्ष्य (एम0डी0जी0) में अनेक पहलू यथा पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण, सामूहिक सहभागिता एवं विकसित देशों की सहभागिता आदि का अभाव था। एम0डी0जी0 की अवधि 2015 में समाप्त भी हो गई है। हमनें एम0डी0जी0 में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी, किन्तु गरीबों एवं अमीरों के बीच का अन्तर, ग्रामीण व शहरों क्षेत्रों के मध्य विकास में असमानता, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरणीय असन्तुलन को कम करने में अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त नहीं प्राप्त कर सके।

दुनिया में व्याप्त जटिल चुनौतियों का सामना करने, वैश्विक सोच को व्यापकता प्रदान करते हुए सामूहिक रूप से अपनी–अपनी जिम्मेदारियों का निवर्हन करने के सन्दर्भ में संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में 193 सदस्य देशों, नागरिक समाज, विभिन्न हितधारकों द्वारा विश्व के सामने व्याप्त चुनौतियों पर विस्तृत विचार विमर्श कर एस0डी0जी0 की परिकल्पना की, जिसमें

17 गोल्स एवं 169 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। एस0डी0जी0 का दायरा बहुत व्यापक है जो सबके लिए समान, न्यायपूर्ण, सुरक्षित एवं स्वस्थ समाज के सृजन की दिशा में एक कदम है। वर्तमान में विश्व के 196 देशों द्वारा एस0डी0जी0 को अपनाया गया है। सतत विकास लक्ष्य एक साहसिक और सार्वभौमिक समझौता है जो सबके लिए एक समान, न्यायपूर्ण और सुरक्षित विश्व की सृष्टि करेगा–व्यक्तियों, पृथ्वी और समृद्धि के लिए। सतत विकास लक्ष्य 01 जनवरी, 2016 से पूरे विश्व में लागू किया गया।

उत्तर प्रदेश–सतत विकास लक्ष्य दृष्टिकोण पत्र 2030, योजनागत अभ्यास और रणनीतियों का एक क्रमबद्ध संकलन है, जिसे संबंधित विभागों द्वारा कई चरणों में गहन विचार विमर्श के उपरान्त तैयार किया गया है। एस0डी0जी0 के मुख्य सिद्धान्त 5पी (पीपुल, प्रास्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप एवं प्लैनेट अर्थात सब लोग, सम्पन्नता, शान्ति, साझेदारी एवं पृथ्वी) पर आधारित हैं। निर्धारित 17 गोल में से प्रत्येक गोल के लिए अलग–अलग लक्ष्य भी निर्धारित किए गए है। यह 17 गोल एवं प्रस्तावित मुख्य रणनीति निम्नवत् हैः–

गोल संख्या–1 गरीबी उन्मूलन

- विभिन्न लोक कल्याण कार्य योजनाओं को प्रभावशाली बनाना।
- कौशल एवं उद्यमशीलता का विकास।

गोल संख्या–2 भुखमरी समाप्त करना

- नई कृषि नीति, राज्य पोषण मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आदि का प्रभावी क्रियान्वयन।
- कृषि क्षेत्र, कृषकों एवं कमजोर वर्गों का सर्वांगीण विकास।

गोल संख्या–3 सभी के लिए स्वस्थ जीवन

- आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाओं का विस्तार कर उन्हें सुलभ बनाना ।
- विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशिष्ट रणनीति के साथ लक्ष्य आधारित प्रयासों को गति प्रदान करना।

गोल संख्या–4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

- इसके लिए गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा की सर्वसुलभता।

गोल संख्या–5 लैंगिक समानता

- नीतिगत एवं योजना आधारित पहल के द्वारा महिलाओं के मूल अधिकारों का संरक्षण।
- सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता।

गोल संख्या–6 सुरक्षित जल एवं स्वच्छता का सतत प्रबन्धन

- सभी को पेयजल उपलब्ध कराना ।
- 2019 के अंत तक पूरे प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करना।

गोल संख्या–7 किफायती, सतत और आधुनिक ऊर्जा

- ऊर्जा के अक्षय श्रोतों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत एवं योजनान्तर्गत पहल।

गोल संख्या–8 उचित कार्य एवं आर्थिक विकास

- उद्योगों एवं पर्यटन को बढ़ावा देना।
- कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्वि ।
- बाल श्रम एवं बंधुवा मजदूरी का अंत।

गोल संख्या–9 समावेशी एवं संधारणीय औद्योगीकरण

- अनुसन्धान एवं डिजाईन (आर.एण्ड डी.) को बढ़ावा देना।
- पर्यावरणीय अनुकूल औद्योगीकरण।
- नई औद्योगिक नीति का प्रभावी कियान्वयन।

गोल संख्या–10 असमानता कम करना

- महिलाओं, वृद्धजनों, दिव्यांगो आदि के अनुकूल मूलभूत सुविधाओं एवं सेवाओं का विकास।
- गरीबों विशेषकर किसानों एवं भूमिहीन मजदूरों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए नीतियां एवं योजनाएं।

गोल संख्या–11 समावेशी एवं सुरक्षित शहर

- ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट, जलापूर्ति, सीवेज, ड्रेनेज आदि मूलभूत सुविधाओं का विकास।
- अपशिष्ट प्रबंधन (कूड़ा प्रबंधन) ।
- शहरी आवासीय सुविधा का विकास।

गोल संख्या–12 सतत उपभोग एवं उत्पादन

- जागरूकता के लिए विभिन्न उपाय करना।
- तकनीकी विकास।

गोल संख्या–13 जलवायु परिवर्तन

- वृहद्ध स्तर पर वृक्षारोपण।
- प्रदूषण एवं कार्बन उर्त्सजन के स्तर को कम करना।

गोल संख्या–14 जल के नीचे जीवन

- उत्तर प्रदेश में समुद्र तटीय क्षेत्र नहीं है, अतः यह गोल प्रदेश के लिए लागू नहीं है।

गोल संख्या–15 भूमि पर जीवन

- जंगलों एवं जैव विविधता को बढ़ाना ।
- जल संरक्षण एवं भूमि संरक्षण।

गोल संख्या–16 शान्तिपूर्ण एवं समावेशी संस्थाओं का निर्माण

- कानून प्रशासन।
- उत्तरदायी एवं पारदर्शी शासन।
- ई–गर्वनेंस।

गोल संख्या–17 लक्ष्यों के लिए भागीदारी

- निजी क्षेत्र को बढ़ावा एवं उनसे सहयोग।
- सिविल सोसाइटी एवं एन.जी.ओ. की भागीदारी।

उल्लेखनीय है कि सतत् विकास लक्ष्य के उद्देश्य बड़े ही चुनौतीपूर्ण है। ये दृढ़ इच्छा शक्ति, कठोर परिश्रम, अनुभव, बौद्धिक कौशल, सतत् प्रयास एवं तकनीक के कुशल प्रयोग से प्राप्त किए जा सकते है। दूसरे शब्दों में, एसडीजी हमारी भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य गढ़ने का सबसे बड़ा अवसर प्रदान करते हैं।

सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के सन्दर्भ में भारत, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की ओर देख रहा है क्योंकि हमारे द्वारा किया गया छोटा से छोटा प्रयास भी लक्ष्यों की प्राप्ति के दूरगामी परिणामों पर प्रभाव डालेगा।

सतत विकास लक्ष्यः 1 गरीबी उन्मूलन

विजन

राज्य के प्रभावी और स्थायी प्रयास के माध्यम से 2030 तक सभी वर्गो के (ग्रामीण और शहरी) और सभी समूहों (बच्चों, महिलाओं, विकलांग, बुजुर्ग) के बीच अपने सभी रूपों (आय और अभाव) में गरीबी को समाप्त करना है। इनमें मानव क्षमताओं में निवेश, गुणवत्तापरक मूल सेवाएं, क्षेत्रों की रोजगार क्षमता का अनुकूलन, संसाधनों तक पहुंच (भौतिक और वित्तीय) और आर्थिक हानि कम करने के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान शामिल हैं।

परिवर्तक (गेम चेन्जर) व नवोन्मे”ाी (इन्नोवटिव) कदम

गरीबी उन्मूलन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को पूर्ण करने में निम्नलिखित घटक **खेल परिवर्तक (गेम चेन्जर) व नवोन्मे”ाी (इन्नोवेटिव)** सिद्व हो सकेंगे।

1. सोर्ि”ायो इकोनामिक एवं कॉस्ट सेंसस (SECC) सर्वे सूची तथा छूटे पात्र लाभार्थियों के सर्वे वर्ष 2019–20 की सूची के अनुसार सभी संबंधित विभाग अपनी लाभार्थीपरक योजनाओं से पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करायें, यह सुनिश्चित किया जायेगा।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम व निर्धन परिवारों को कृशि व कृशि से इतर क्रियाकलापों से जोड़कर उनकी आय व आजीविका में वृद्धि की जायेगी।
3. वर्श 2024 तक किसानों की आय दोगुना किये जाने पर बल।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता व सामाजिक–आर्थिक मानकों के क्रिटिकल गैप से सम्बन्धित मिशन अन्त्योदय सर्वे के आधार पर **अपनी योजना–अपना विकास** की अवधारणा पर **ग्राम पंचायत विकास योजना** तैयार की जायेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाये बेहतर होंगी व क्षेत्रीय विशमता दूर हो सकती है।
5. **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, कौशल विकास** आदि योजनाओं के माध्यम से विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग कर निर्धनतम व निर्धन परिवारों को आजीविका संवर्धन व आय में वृद्धि के ठोस उपाय किये जा सकते हैं।
6. अन्तर्विभागीय समन्वय पारदर्शी व स्वच्छ प्रशासनिक पहल व आधुनिकतम तकनीक के प्रयोग को बढ़ाकर गरीबी उन्मूलन की दिशा में सार्थक व ठोस कदम उठाये जायेंगे।

रणनीति

- मानव क्षमताओं में वृद्धि हेतु निवेश।
- गुणवत्तापरक बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता।
- तीनों क्षेत्रों (कृषि, उद्योग एवं सेवा) में रोजगार सृजन में बढ़ोत्तरी के उपाय।
- आपदाजनित कठिनाईयों और कमजोरियों को कम करने के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान।
- भौतिक और वित्तीय संसाधनों तक निर्धन परिवारों की पहुँच।

उपलब्धिः

लक्ष्य 1.1– वर्ष 2030 तक सभी जगह सभी लोगों की अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना जो वर्तमान में 1.25 डालर (लगभग रूपये 80/–) प्रतिदिन से कम पर जीवनयापन करने वाले लोगों के रूप में आंकी गई है।

लक्ष्य 1.2– वर्ष 2030 तक गरीबी के सभी आयामों में जीवन यापन कर रहे सभी उम्र के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों की संख्या, जो राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुसार है, को आधा करना।

गरीबी उन्मूलन के लिए ग्राम्य विकास विभाग लक्ष्य–1 (गोल–1) के अंतर्गत सबसे पहले निर्धनतम परिवारों की निर्धनता समाप्त किये जाने की ओर अग्रसर है। सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना (एस0ई0सी0सी0)–2011 के अंतर्गत वंचितता (Depreviation) के 7 मानकों में से ऐसे परिवार जो सातो (7) मानकों से आच्छादित हैं, उनकी संख्या–681 है। इसी प्रकार 6 मानकों से जो परिवार आच्छादित हैं, उनकी संख्या–16,651 हैं तथा 5 मानकों से जो परिवार आच्छादित हैं, उनकी संख्या 87,266 है। इस प्रकार मानक–5, 6 एवं 7 की परिवार की कुल संख्या 1,04,598 है।

इसके अतिरिक्त एस0ई0सी0सी0 सर्वे–2011 में तथा प्रदे" ा में संचालित लाभार्थीपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से छूटे हुए एवं वंचित पात्र लाभार्थियों के सम्बन्ध में प्रदे" ा के विभागों की योजनाओं यथा निराश्रित विधवा, वृद्वावस्था, दिव्यांगजन पें" ान, अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी रा" ान कार्ड, मुख्यमंत्री आवास योजना भाहरी एवं ग्रामीण, राश्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का सर्वे वर्श 2018 में कराया गया, जिसमें 62,40,828 लाभार्थी चिन्हित किये गये हैं।

- पहली बार वनटांगिया, मुसहर, कोल, थारू जनजाति के 38 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोशित किया गया, जिससे वन क्षेत्रों में बसे इन गांवों के गरीबों को आवास, चिकित्सा, ि" ाक्षा, सड़क, बिजली एवं रा" ान कार्ड आदि मूलभूत सुविधायें मिल सकें।
- वर्ष 2018–19 में मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत 3215 मुसहर वर्ग के तथा 4069 वनटांगिया वर्ग के लाभार्थियों को आवास आवंटित किये गये हैं। अनुसूचित जनजाति के 100 लाभार्थियों को आवासीय सुविधा प्रदान की गयी है, जिनमें 81 थारू जनजाति के लाभार्थी है।
- वंचित पात्र मुसहर, वनटांगिया, थारू व कुष्ट रोगियों के अवशेष लाभार्थियों को वर्ष 2022 तक शत प्रतिशत आच्छादित कर लिया जायेगा।

लक्ष्य 1.3– राष्ट्रीय रूप से उपयुक्त सामाजिक संरक्षण प्रणाली और उपायों को सभी वर्गों के लिये कार्यन्वित करना और वर्ष 2030 तक गरीब और कमजोर वर्गों को इसके अन्तर्गत शामिल करना।

- प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 से वर्ष 2018–19 तक 12.82 लाख आवास लक्ष्य के सापेक्ष 12.47 लाख आवास पूर्ण।

- वर्ष 2019–20 में भारत सरकार से प्राप्त 1.54 लाख लक्ष्य के सापेक्ष आवास निर्माण प्रगति पर।
- वर्ष 2019–20 में लक्ष्य के सापेक्ष 1.19 लाख लाभार्थियों का आवास स्वीकृत करते हुए 1.02 लाख लाभार्थियों को प्रथम किश्त, 40984 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त एवं 1103 लाभार्थियों को तृतीय किश्त निर्गत करते हुए 861 आवास पूर्ण कराये गये है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत भारत सरकार के परफारमेंस इन्डेक्स पर उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर।
- योजनान्तर्गत वर्ष 2024 तक सब के लिए आवास का लक्ष्य है। एसईसीसी सर्वे से अन्तिम रूप से पात्र पाये गये 16.45 लाख लाभार्थियों में से 14.36 लाख लाभार्थियों को अब तक लाभान्वित किया जा चुका है। शेष 2.09 लाख लाभार्थियों में से सत्यापन में मात्र 25 हजार लाभार्थी पात्र पाये गये है, जिसके लिए भारत सरकार से इसी वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित करने की मांग की गई है। धनराशि प्राप्त होने पर यह छूटे हुए लाभार्थी वर्ष 2020 तक आच्छादित कर लिये जायेंगे।
- एसईसीसी सर्वे–2011 से छूटे हुए, किन्तु आवास हेतु पात्र पाये गये 54.31 लाख लाभार्थियों को भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर वर्ष 2022 तक शत प्रतिशत आच्छादित कर लिया जायेगा।
- मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में 16700 लाभार्थियों को आवास आवंटित किये गये हैं, जिनमें से 14684 आवास पूर्ण हो चुके हैं।
- वर्ष 2018–19 में मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत 3215 मुसहर वर्ग के तथा 4069 वनटांगिया वर्ग के लाभार्थियों को आवास आवंटित किये गये हैं। अनुसूचित जनजाति के 100 लाभार्थियों को आवासीय सुविधा प्रदान की गयी है, जिनमें 81 थारू जनजाति के लाभार्थी हैं।
- वर्ष 2019–20 में 34040 लाभार्थियों को लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्तमान में लक्ष्य के सापेक्ष 26844 लाभार्थियों का पंजीकरण, 16747 लाभार्थियों के आवास स्थल की जिओटैगिंग करते हुए 7401 लाभार्थियों के आवास स्वीकृत किये गये है तथा 3037 लाभार्थियों के प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने हेतु फण्ड ट्रांसफर आर्डर (एफ0टी0ओ0) वेरिफाई किया गया है।
- वंचित पात्र मुसहर, वनटांगिया, थारू व कुष्ठ रोगियों के अवशेष लाभार्थियों को वर्ष 2022 तक शत प्रतिशत आच्छादित कर लिया जायेगा।

आजीविका मिशनः

- इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 तक 1.04 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों, 10 लाख स्वयं सहायता समूहों, एक लाख ग्राम संगठन एवं 2500 संकुल स्तरीय संघ में संगठित कर कार्य किया जाना है। अब तक प्रदेश में 3.27 लाख स्वयं सहायता समूह गठित कर 32.74 लाख ग्रामीण महिलाएं जोड़ी जा चुकी हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में 63 हजार समूह गठित किये जा चुके हैं।

- एस0ई0सी0सी0 सर्वे 2011 में चिन्हित 1.04 करोड़ परिवारों में से इच्छुक पात्र परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उनके सतत् आजीविका आय संवर्धन व रोजगार के अवसर बढ़ाते हुए उनको सामाजिक आर्थिक स्वालम्बन दिया जाएगा।

मिशन द्वारा आय सृजन संचालित महत्वपूर्ण परियोजनायें	अद्यतन उपलब्धि
(i) महिला किसान स" ाक्तीकरण परियोजना	94948
(ii) मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी	-
(iii) स्टार्टअप विलेज इन्टरप्रोन्योर" ाप प्रोग्राम (SVEP)	3409786
(iv) 70 लाख सोलर ऊर्जा कार्यक्रम	2200000
(v) ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस योजना	167
(vi) स्कूल यूनीफार्म सिलाई	2398466
(vii) फार्म म" ाीनरी बैंक	45
(viii) बैकयार्ड पोल्ट्री एवं जरी–जरदोजी	25000
(ix) ओ0डी0ओ0पी0 (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट)	MoU
(x) बैंक क्रेडिट लिंकेज	83357
(xi) वंचित समुदाय हेतु वि" ोश प्रयास	4521

मनरेगा योजना –

- मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में श्रम रोजगार प्राप्त कुल परिवारों की संख्या 50.57 लाख है।
- मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में सृजित मानव दिवस 21.29 करोड़।
- मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यय धनराशि 5832 करोड़।
- वर्ष 2019–20 में अब तक 36.70 लाख परिवारों को रोजगार देकर 25 करोड़ मानव दिवस वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 11.32 करोड़ मानव दिवस सृजित किया जा चुके हैं।
- योजनान्तर्गत वर्ष 2022 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लगभग 50.00 लाख परिवारों को श्रमपरक रोजगार उपलब्ध कराते हुए ऐसी परिसम्पत्तियों का लाभ दिया जायेगा जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि हो सके।
- वर्ष 2020 तक मनरेगा अन्तर्गत 60.62 करोड़ सृजित मानव दिवस का लक्ष्य है।
- एस0ई0सी0सी0 सर्वे 2011 में चिन्हित 1.04 करोड़ परिवारों में से इच्छुक पात्र परिवारों को शत–प्रतिशत रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा।

रूबन मिशनः

- ग्रामीण जनजाति एवं गैर जनजाति क्षेत्र में शहरी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से चलाये जाने रूर्बन मिशन में तीनों फेज के इन्ट्रीगेटेड कलस्टर एक्शन प्लान (आई–कैप) को वर्ष 2022 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

- वर्तमान सरकार के द्वारा **''मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना''** एवं अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग हेतु **''शादी अनुदान योजना''** भी संचालित की जा रही है। जहां एक तरफ सामूहिक विवाह योजना में विगत 03 वर्षो में कुल 70,766 परिवारों को योजना का लाभ प्रदान किया गया है, वहीं दूसरी तरफ शादी अनुदान योजना में अनुसूचित जाति के 1,18,762 एवं सामान्य वर्ग के 41,920 परिवारों को योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। सामूहिक विवाह योजना के अर्न्तगत जहां रूपया 51,000/– की धनराशि अनुमन्य कराई जा रही है, वहीं व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना में रूपया 20,000/– की एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। अर्ह पात्र व्यक्तियों/परिवारों को वर्ष 2022 तक समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजना व अन्य योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 में दिव्यांग पेंशनरों की संख्या 9.85 लाख है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 में वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या 40.71 लाख (93 प्रतिशत) है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 में पेंशन प्राप्त करने वाली निराश्रित विधवाओं की संख्या 21.68 है।
- शत–प्रतिशत विधवाओं को वर्ष 2022 तक मनरेगा व आजीविका मिशन से जोड़कर उन्हें सामाजिक आर्थिक रुप से सक्षम बनाया जाएगा।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, **''आयुश्मान भारत''** के अन्तर्गत 1.18 करोड़ गरीब परिवारों को रू0 5 लाख तक का चिकित्सा बीमा एवं एस0ई0सी0सी0 सर्वे–2011 में छूटे हुए 10 लाख 56 हजार परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के जरिए लाभान्वित किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 में मातृत्व लाभ (जननी सुरक्षा योजना) के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने वाली जनसंख्या 2493039 है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी0एम0एस0बी0वाई0) के अन्तर्गत समस्त आधारयुक्त एवं अन्य बचत खाता धारक (केवल एक बचत खाता द्वारा ही पात्र होगा), जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष (कवरेज 70 वर्ष तक), पात्र है। योजनांतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु/पूर्ण अपंगता होने पर रू 2.00 लाख तथा आंशिक अपंगता होने पर रू0 1.00 लाख का बीमा आवरण मात्र रू0 12/– वार्षिक प्रीमियम पर प्रदान किया जाता है। बीमा प्रीमियम की धनराशि सीधे खाते से ली जाती है।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी0एम0जे0जे0बी0वाई0) के अन्तर्गत समस्त आधार युक्त एवं अन्य बचत खाता धारक (केवल एक बचत खाता पात्र होगा) जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष है, पात्र हैं। योजनांतर्गत रू0 330/– वार्षिक प्रीमियम पर रू0 2.00 लाख का जीवन बीमा आवरण प्रदान किया जाता है।

लक्ष्य 1.4 वर्ष 2030 तक यह सुनि"चत करना कि सभी पुरुष और महिलाओं वि"ोष रूप से गरीब और कमजोर को आर्थिक संसाधनों के समान अधिकारों के साथ–साथ मूलभूत सुविधायें, भूमि तथा सम्पत्ति के अन्य रूपों, विरासत, प्राकृतिक

संसाधन, उपयुक्त नई प्रौद्योगिकी और माइक्रोफाइनांस सहित वित्तीय सेवाओं का स्वामित्व और नियंत्रण प्राप्त हो।

- इन्सेफेलाइटिस, मलेरिया, काला ज्वर समेत संक्रामक बीमारियों को अर्न्तविभागीय समन्वय से घातक रोग के मामलों में 35 फीसदी की कमी तथा इलाज में होने वाली मृत्यु के मामलों में 65 फीसदी की कमी पहली बार दर्ज की गयी।
- स्कूल चलो अभियान में 1.80 करोड बच्चों का नामांकन, बालिका शिक्षा को बढ़ावा हेतु ग्रेजुएट स्तर तक निः" ुल्क ि" ाक्षा, **''आपरेशन काया–कल्प''** में 91236 बेसिक स्कूलों में बुनियादी सुविधायें दी गयी।
- ''पॉवर फार आल'' योजना संचालित।
- सौभाग्य योजना से भात प्रति" ात विद्युत कनेक" ान।
- नई सौर ऊर्जा नीति लागू।
- प्रदे" ा में 03 नये एक्सप्रेसवे, पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे, बुन्देलखण्ड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे तेजी से निर्माणाधीन।
- मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे पर सैद्धान्तिक सहमति।
- अटल मिशन फॉर रेजुवेनशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) योजना में प्रदे" ा के 60 भाहर आच्छादित है।
- प्रदे" ा के 10 भाहरों **में स्मार्टसिटी योजना, नमामि गंगे परियोजना** में 45 सीवरेज परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है।
- प्रत्येक नागरिक को सुगम बैंकिंग सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से संस्थागत वित्त विभाग के प्रभावी अनुश्रवण के फलस्वरूप मार्च, 2019 तक प्रदेश में कुल 18394 बैंक शाखाओं एवं 29695 बैंक मित्रों तथा इण्डियन पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लि0 की 73 शाखाओं एवं 17664 एक्सेस प्वाइन्ट्स के माध्यम से प्रदेश के समस्त नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है।
- प्रदे" ा के भाहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगरों, बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई आदि स्वरोजगारियों हेतु प्रदे" ा में **विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना** लागू एवं उ0प्र0 माटी कला बोर्ड का गठन।
- असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान–धन योजना लागू, 5,13,917 श्रमिकों का पंजीकरण।
- कौशल विकास में स्टार्ट–अप, स्टैण्ड–अप संस्कृति को बढ़ावा देते हुए 2018–19 तक 10 लाख से अधिक युवाओं का पंजीकरण। 8.34 लाख से अधिक युवा प्र" िाक्षित तथा 3 लाख से अधिक युवा सेवायोजित।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत उद्योग क्षेत्र में रू0 25.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र में रू0 10.00 लाख के ऋण की सुविधा।

लक्ष्य 1.5– वर्ष 2030 तक गरीब और कमजोर स्थिति के लोगों को कठिनाईयों से उबारना और जलवायु सम्बन्धी चरम घटनाओं तथा अन्य आर्थिक, सामाजिक और

पर्यावरणिक झटकों और आपदाओं से उन पर पड़ने वाले प्रभाव तथा जोखिम को कम करना।

- चिन्हित बाढ़ ग्रस्त व सूखा ग्रस्त जनपदों के प्रभावित निवासियों को प्राथमिकता पर विभिन्न विभाग के अन्तर्गत संचालित आय सृजन, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं आच्छादित किया जायेगा। इन प्रभावित जिलों में आपदा प्रबन्धन प्लान को राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के माध्यम से जनसहभागिता से लागू किया जायेगा।

रणनीति

सतत् विकास व गरीबी उन्मूलन की दृश्टि से हम मुख्यतः तीन प्रकार से गरीबी पर प्रहार करेंगे–

1. समाज के नगरीय क्षेत्रों की झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाले, कूड़ा बीनने वाले, रिक्” ाा चलाने वाले, भिक्षावृत्ति करने वाले तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वनटांगिया, मुसहर, कोल, थारू जनजातियों के साथ–साथ अनुसूचित जनजाति–जनजाति व अन्य वर्गों के निर्धनतम व निर्धन परिवारों की गहराई से पहचान किया जाना।
2. प्रदे” ा के ग्रामीण क्षेत्र में कुल 1.64 लाख (1.04 लाख एस0ई0सी0सी0 सर्वे + 60 लाख छूटे हुये) अति वंचित व निर्धनतम परिवारों में से ग्रामीण क्षेत्र के 50 लाख परिवारों को वर्श 2022 तक, 54 लाख परिवारों को वर्श 2024 तक तथा भोश परिवारों को वर्श 2030 तक गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु उनकी आजीविका संवर्धन के अवसर उपलब्ध कराने के साथ–साथ उन्हें सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान किया जायेगा। अर्न्तविभागीय समन्वय को बढ़ावा देकर ऐसे अति निर्धन चिन्हित व्यक्तियों/परिवारों को विभिन्न विभागों द्वारा संचालित आय संवर्धन गतिविधियों एवं लाभार्थीपरक योजनाओं के बण्डल (गुच्छ) की निरंतर व चरणबद्ध खुराक दी जायेगी। इसी के साथ–साथ ि” ाक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि बुनियादी सेवाओं तथा भौतिक व वित्तीय संसाधनों तक उनकी पहुॅच को बढ़ाने की दि” ाा में रणनीति बनायी गयी है।

सतत विकास लक्ष्यः 2 भूख्य भुखमरी

विजन

वर्ष 2030 तक सभी प्रभावित व्यक्तियों विशेष रूप से गरीब और दयनीय स्थिति में रहने वाले तथा शिशुओं को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पोषण उपलब्ध कराना एवं प्रदेश को राश्ट्र का भंडार कोठार (ग्रेनरी ऑफ ने" ान) के रूप में विकसित करना। वर्ष 2013 की कृषि नीति द्वारा निर्देशित, राज्य के प्राकृतिक संसाधनो का सम्यक् उपयोग को बढ़ावा देने और रोजगार की संभावनाओं को संतुलित करते हुए कृषि क्षेत्र में 5.1 प्रति" ात की वृद्धि सुनि" चत करना।

दृष्टिकोणः

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दृष्टिगत समस्त आबादी के लिए पर्याप्त पोषक तत्वों से परिपूर्ण आहार की व्यवस्था सुनि" चत करना।
- गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, ि" ा" ुओं एवं असहाय व्यक्तियों हेतु पौश्टिक आहार की समुचित व्यवस्था करना।
- भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार एवं पर्यावरण संतुलन को दृश्टिगत रखते हुए उपयुक्त तकनीकी का उपयोग कर कृशि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की उत्पादकता/ उत्पादन में वृद्धि करना।
- उर्वरक, बीज, कृषि रक्षा रसायनों, कृषि यंत्रों, सिंचाई व्यवस्था, कृषि तकनीकी प्रसार सेवाओं, फसल बीमा, खाद्य प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु अवस्थापना सुविधाये विकसित करना।
- बीजों, फसलों एवं पशुओं की जैविक विविधता एवं पारम्परिक ज्ञान को संरक्षित, सवंर्द्धित एवं विकसित करना।

प्रस्तावना :

- वर्ष 2030 तक प्रदे" ा की आबादी 27.35 करोड़ तक पहुॅचने का अनुमान है। इस सतत् बढ़ती हुई आबादी हेतु पर्याप्त मात्रा में भोजन की व्यवस्था करने के लिए कृशि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के उत्पादन स्तर को लगभग दोगुना किया जाना आव" यक होगा। साथ ही कुपोशण (वि" ोश कर महिलाओं एवं बच्चों में) को समाप्त करने के लिए आव" यक पौश्टिक भोजन की उपलब्धता हेतु फसल उत्पादन के साथ सब्जी उत्पादन, बागवानी, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, जलीय खेती, रेशम कीट पालन और मशरूम की खेती के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।
- सतत् उत्पादन के लिए यह भी आव" यक है कि भूमि एवं जल जैसे सीमित प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग किया जाये, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त भोजन मिलता रहे। प्रत्येक वर्श लगभग 25 हजार हे0 कृशि योग्य भूमि भाहरीकरण, औद्योगीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु गैर कृशि उपयोग में जा रही है। इसकी पूर्ति हेतु प्रदे" ा में उपलब्ध समस्याग्रस्त भूमि यथा ऊसर, बीहड़, बंजर, जलमग्न आदि को सुधार कर कृशि योग्य बनाया जाये। साथ ही भू–गर्भ जल स्तर

में लगातार गिरावट की समस्या के निदान हेतु वर्शा जल के संचयन के साथ ही उचित सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों कों विकसित कर लोकप्रिय बनाये जाने की आव" यकता है।

- प्रदे" ा में लगभग 2.38 करोड़ किसान परिवार निवास करते है, जिनमें से 80 प्रति" ात किसान सीमान्त व 13 प्रति" ात किसान लघु श्रेणी के है, जिनकी जोखिम उठा पाने की क्षमता अत्यन्त कम है। इनके लिए समन्वित कृशि प्रणाली के साथ ही लघु कुटीर उद्योग के मॉडल विकसित किये जाने की आव" यकता है, जिससे इनकी आय को दोगुनी करने के साथ ही वर्श पर्यन्त रोजगार भी प्राप्त कर सके।
- पारम्परिक खेती में सैकड़ों भिन्न–भिन्न खाद्य पौधों की प्रजातियों को उगाया जाता था, लेकिन आज राज्य में 60 प्रतिशत भोजन केवल तीन फसल चावल, गेहूँ और मक्का आधारित है, इससे जैव विविधिता पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है। राज्य में 2932 पौधों की प्रजातियों के साथ देश की 6.45 प्रतिशत वनस्पति सम्पदा तथा 2387 जीवों के साथ देश की 2.76 प्रतिशत जीव सम्पदा है। प्रदे" ा की इस प्रचुर जैव विविधता एवं पर्यावारण संतुलन को बनाये रखने हेतु आव" यक कदम उठाये जाने की आव" यकता है।

प्रति व्यक्ति संस्तुत पोशण आव"यकताः–

क्र0 सं0	विवरण	इकाई	प्रति व्यक्ति संस्तुत मात्रा	प्रति व्यक्ति उपलब्धता	
				2015–16	2018–19
1	खाद्यान्न	ग्राम	480	568	726
2	सब्जी	ग्राम	300	305.80	334
3	फल	ग्राम	85	110.46	128
4	खाद्य तेल	ग्राम	30	05	07
5	दूध	ग्राम	300	350	416
6	मछली	किग्रा0 प्रति वर्श	15.00	5.06	5.50

उपलब्धिः

- रू0 36000 करोड़ से 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों का ऋण मोचन।
- किसानों को रू0 75 हजार करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया।
- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना** के अन्तर्गत प्रदेश के 2 करोड़ 33 लाख किसान परिवारों को लाभान्वित करने की प्रकिया जारी है। अब तक 1 करोड़ 57 लाख किसानों को प्रथम किस्त के रूप में रू0 4364.57 करोड़ की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तान्तरित की गयी।

- फसलों की नई प्रोक्योरमेण्ट पॉलिसी लागू।
- गेहूं की एमएसपी को रू0 1735 से बढ़ाकर रू0 1840 प्रति कुतंल किया गया।
- धान कॉमन एवं ए–ग्रेड की एमएसपी में वृद्धि कर क्रमशः रू0 1815 प्रति कुन्तल एवं रू0 1840 प्रति कुन्तल किया गया।

- किसानों को 4 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित।
- पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के **''कृषि कुम्भ''** का आयोजन किया गया, जिसमें एक लाख से अधिक किसानों ने सहभागिता की।
- 166 ई–नाम मण्डियां स्थापित की गयीं हैं तथा इनसे 53 लाख 90 हजार किसानों को जोड़ा गया।
- विगत ढाई वर्षो में 20 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई।

लक्ष्य–2.1: वर्ष 2030 तक भुखमरी समाप्त करना और सभी लोगों, विशेष रूप से गरीब और दयनीय स्थितियों में रह रहे लोगों और f'''ाशुओं को वर्षभर सुरक्षित, पोषक और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को वर्ष पर्यन्त खाद्य एवं पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्न, तिलहन, दूध, फल, सब्जी, अण्डा, मांस व मछली के उत्पादन के लक्ष्य निम्नवत निर्धारित किये गये हैः

क्र0 सं0	क्रियाकलाप	इकाई	आधार वर्श 2015–16	प्रगति वर्श 2018–19	निर्धारित लक्ष्य		
					2020	2024	2030
अनुमानित जनसंख्या		करोड़	22.15	22.79	23.14	24.62	27.35
2.3.1	**(अ) फसलोत्पादन (खाद्यान्न एवं तिलहन)**						
(क)	उत्पादन	लाख मी0टन	449.67	619.71	593.19	700.03	802.73
(ख)	उत्पादकता	कुं0 प्रति हे0	22.71	29.20	26.93	30.84	34.65
(ग)	फसल सघनता	प्रतिशत	156.51	157.53	160.69	163.91	166.76
	(ब) कृशि उत्पाद						
(क)	धान्य	लाख मी0टन	428.35	580.03	552.27	639.40	720.08
(ख)	दलहन	लाख मी0टन	11.12	23.97	25.90	37.01	50.18
(ग)	कुल खाद्यान्न	लाख मी0टन	439.47	604.15	578.17	676.41	770.26
(घ)	तिलहन	लाख मी0टन	10.14	15.56	15.02	23.62	32.47
	(ब) दुग्ध उत्पाद (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन)						
(क)	दूध	ग्राम	350	416	439	533	971
	(स) औद्यानिक उत्पाद (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन)						
(क)	फल	ग्राम	110.46	128	132	135	143
(ख)	सब्जी	ग्राम	305.80	334	335	365	387
	(द) पशुधन उत्पाद (प्रति व्यक्ति प्रतिवर्श)						
(क)	अण्डा	संख्या	10	13	15	20	29
(ख)	मॉस	ग्राम	1039	1309	1527	2077	3059
	(य) मत्स्य उत्पादन						
(क)	मछली	लाख मी0टन	5.88	6.62	12.00	18.00	24.00

- खेती की लागत को कम करने हेतु गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतो को प्रोत्साहन, निवेश उपयोग क्षमता में वृद्धि, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनो का मृदा सुधार हेतु उपयोग,

उन्नत कृषि तकनीकी एवं फसल प्रबन्धन तकनीक को विकसित करने व अपनाने पर जोर दिया जायेगा।

लक्ष्य–2.2: वर्ष 2030 तक कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करने सहित पॉच वर्ष से कम आयु के बच्चों की कमजोरी और विकास को अवरूद्ध करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहमत लक्ष्यों को वर्ष 2025 तक प्राप्त करना और किशोरियों, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं और वृद्धों की पोषण आव"यकताओं को पूरा करना।

- राज्य पोशण मि" ान द्वारा गर्भवती महिलाओं एवं 2 वर्श से कम उम्र के बच्चों में कुपोशण दूर करने हेतु प्राथमिकता प्रदान किया जायेगा। आंगनवाड़ी केन्द्रों पर **''ग्रामीण पोषण दिवस''** का आयोजन कराया जायेगा।
- ग्राम्य स्वास्थ्य पोशण दिवस एवं सप्लीमेन्टरी न्यूट्री" ान प्रोग्राम के समय मुख्य रुप से स्तन–पान की स्थिति में सुधार लाने हेतु महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण एवं जागरूकता वृहद स्तर पर किया जायेगा।
- सफाई एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान को नर्सरी स्तर से ही बच्चों को पढ़ाया जायेगा एवं बच्चों के वजन पर निगरानी हेतु वजन दिवस मनाया जायेगा।
- किशोरियों में एनीमिया की रोकथाम के लिए आयरन तथा पेट के सूत्रकृमि की दवाइयाँ आंगनबाड़ी केन्द्रों से वितरित कराई जाएँगी।

लक्ष्य–2.3: वर्ष 2030 तक, मूल्य वर्धित और गैर कृषि रोजगार के लिए भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और आदानों, जानकारी, वित्तीय सेवाएं, बाजार और अवसरों के माध्यम से लघु उद्योग खाद्य उत्पादकों विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, किसान परिवारों, चरवाहों तथा मछुवारों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

- कृशकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कृशि, उद्यान, प" ुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य विभाग द्वारा केन्द्र एवं राज्य सहायतित योजनाओं के माध्यम से कृशकों को उन्नत प्रजाति/नस्लों एवं नवीनतम तकनीकी के माध्यम से उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा।
- कृषकों को, उत्पाद की बिक्री/बाजार उपलब्ध कराने हेतु आधारभूत संरचनाओं की स्थापना करना एवं इसके लिए तहसील स्तर पर मण्डी अथवा थोक बाजार की स्थापना की जायेगी।
- सभी मंडियों को ई–नाम से जोड़ा जायेगा जिससे कि कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके।

लक्ष्य–2.4: वर्ष 2030 तक सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनि"चत करना और लचीली कृषि पद्धति को कार्यान्वित करना जो उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करें जिससे परिस्थितिकी तंत्र बना रहे ताकि मौसम परिवर्तन, प्रतिकूल वातावरण, सूखा,

बाढ़ और अन्य आपदाओं को सहन करने में सक्षम हो और इससे भूमि और मृदा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

- **मृदा स्वास्थ्य सुधार** हेतु फसल चक्र में दलहनी फसलो का समावेश, फसल अवशिष्ट को भूमि में सड़ाने, हरी खाद का प्रयोग, कम्पोस्ट/वर्मी कम्पोस्ट/नाडेप कम्पोस्ट आदि के प्रयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।
- उपलब्ध जल स्रोतों को संरक्षित करने के साथ ही नवीनतम सिंचाई पद्धतियों यथा–ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।
- बदलते हुए जलवायु परिदृश्य में विद्यमान फसल पद्धति की रणनीतियों की समीक्षा करते हुए नवीन फसल पद्धतियों को विकसित किया जायेगा।
- मौसम में बदलाव के दृश्टिगत बाढ़, सूखा, लवणता के प्रति सहन" ाील एवं रोग व कीट प्रतिरोधी प्रजातियों के विकास को बढ़ावा दिया जायेगा।

लक्ष्य–2.5: वर्ष 2030 तक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर सुदृढ़ प्रबंधन और विविध बीज और पौध बैंकों के जरिये बीज, उगाये गये पौधों और खेती तथा घरेलू जानवरों और उनसे सम्बन्धित जंगली प्रजातियों को रक्षा हो सके तथा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से सहमत आनुवांि"ाक संसाधनों और संबंधित पारम्परिक जानकारी के उपयोग से प्राप्त लोगों को निष्पक्ष और समान रूप से उन तक पहुंचाना सुनि"चत करना।

- जैव विविधता की रक्षा और साथ ही भविश्य की जरूरतों और पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों और प" ाु आनुवांि" ाक संसाधनों के संरक्षण के लिये जीन बैंकों की स्थापना की जायेगी।
- जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से पौधों की प्रजातियों एवं प" ाुओं की नस्ल में सुधार हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा।
- पौधों एवं प" ाुओं की स्थानीय प्रजातिया/नस्लें, जो विलुप्त होने की स्थिति में है, का संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास किया जायेगा।
- ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, सांवा आदि फसलों को जोकि कम वर्शा एवं प्रतिकूल मौसम में भी उत्पादन देने की क्षमता रखती है, की खेती को बढ़ावा दिया जाये।

लक्ष्य 2. एः विकास"ील दे"ाों वि"ोष रूप से न्यून विकसित दे"ाों में कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्वि करने के लिये वर्धित अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग सहित ग्रामीण अवसंरचना, कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं, प्रौद्योगिकी विकास तथा पौध और प"ाुधन जीन बैंकों में निवे"ा बढ़ाना।

- कृशि एवं सम्बद्ध विभागों में अनुसंधान, ि" ाक्षा एवं प्रसार सेवाओं के विकास के लिए अंतर्राश्ट्रीय संस्थाओं तथा इजरायल, नीदरलैण्ड आदि विकसित दे" ाो का सहयोग प्राप्त

किया जायेगा। साथ ही राज्य सरकार के कृशि वि" वविद्यालयों एवं उपकार के माध्यम से कृशि, औद्योगिकी व अन्य क्षेत्रों में सेन्टर आफ एक्सीलेन्स की स्थापना की जायेगी।

लक्ष्य : 2. बीः दोहा विकास कार्यसूची के अधिदे"ा के अनुसार कृषि निर्यात आर्थिक सहायता के सभी रूपों और सभी निर्यात उपायों के समान प्रभाव के समानांतर विलोपन से वि"व कृषि बाजार में सही और नियंत्रित व्यापार प्रतिबंध और विरूपण।

- उपरोक्त बिन्दु नीति विशयक है। प्रदे" ा सरकार द्वारा इस बिन्दु पर भारत सरकार से प्राप्त मार्गद" ान/निर्दे" ा के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

लक्ष्य–2. सीः खाद्य वस्तु बाजारों और उनके व्युत्पन्नों का उचित कार्यकरण सुनि"चत करने तथा खाद्य भंडारों सहित बाजार सूचना की समय पर उपलब्धता को सुसाध्य बनाने हेतु उपायों को अपनाना ताकि खाद्य कीमतों में तीव्र उतार–चढ़ाव को नियंत्रित करने मं सहायता की जा सके।

- खाद्य वस्तुओं के मूल्य की स्थिरता हेतु राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान व गेहूँ एवं प्राइस सपोर्ट स्कीम के अन्तर्गत दलहनी व तिलहनी फसलों का क्रय किया जाता रहेगा।
- प्रदे" ा सरकार द्वारा ए.पी.एम.सी. एक्ट में सं" ाोधन कर कृशि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के व्यापारिक गतिविधियों को सुगम एवं व्यवहारिक बनाया गया है।
- राज्य की सभी कृशि उत्पादन मण्डियों को वर्श 2024 तक ई–नाम से जोड़कर कृशि उत्पादों के क्रय को सुगम बनाने के लिए सभी आव" यक सुविधाए एवं लाजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध कराये जायेगे। मण्डी परिशद द्वारा रु0 एक लाख के स्थान पर रु0 दस हजार में पूरे प्रदे" ा में व्यवसाय करने हेतु एक लाइसेन्स की व्यवस्था लागू कर दी गयी है।

सतत विकास लक्ष्यः 3 उत्तम स्वास्थ्य आर खुशहाली

विजन

एक समावे” ाी स्वास्थ्य–तंत्र का निर्माण करते हुए सभी आयु के लोगों के स्वास्थ्य एवं कु” ालता को व्यक्ति और साक्ष्य आधारित, न्यायसम्य, अन्तर्विभागीय एवं अंतर–क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से सुनि” चत करना जिससे पूरे जीवन–काल में निरोधात्मक, प्रोत्साहनात्मक, जॉच, उपचार, पुनर्वास एवं विश्रामात्मक देख–रेख सुनि” चत की जा सके।

लक्ष्य 3.1 वर्श 2030 तक, वैि”वक मातृ मृत्यु–दर 70 प्रति लाख जीवित जन्म से कम करना।

मातृ मृत्यु–दर कम करने के लिए प्रदे” ा सरकार द्वारा निम्नलिखित गतिविधियॉ संचालित की जा रही हैं:–

- जिला महिला चिकित्सालयों के अतिरिक्त 100 भौय्यायुक्त 35 मैटरनल एण्ड चाइल्ड हेल्थ विंग, 50 भौय्यायुक्त 12 मैटरनल एण्ड चाइल्ड हेल्थ विंग और 30 भौय्यायुक्त 48 मैटरनल एण्ड चाइल्ड हेल्थ विंग संचालित।
- प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं के लिए नि:” ाुल्क 102 एम्बुलेन्स सेवा की 2,270 एम्बुलेन्स संचालित।
- निजी क्षेत्र के चिकित्सकों के सहयोग से **प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान** का समस्त ब्लॉकस्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों, भाहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला महिला चिकित्सालयों में प्रत्येक माह की 09 तारीख को संचालन।
- **प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना** के अधीन गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मातृत्व एवं ि” ा” ाु स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कुछ आव” यक भार्तो को पूरा करने पर रू0 5000/– की प्रोत्साहन राि” ा। प्रदे” ा में इस योजना के अन्तर्गत रू0 701.11 करोड़ (लक्ष्य के सापेक्ष 86.67 प्रति” ात) वितरित।
- प्रदे” ा की सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों में 24.93 लाख महिलाओं का प्रसव तथा जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन राि” ा का वितरण।
- संस्थागत प्रसव वर्श 2014 में 44 प्रति” ात से बढ़कर वर्श 2018–19 में 79 प्रति” ात।

उत्तर प्रदे”ा द्वारा निर्धारित लक्ष्य

सूचकांक	वर्तमान स्थिति		लक्ष्य		
	भारत	उत्तर प्रदे”ा	2020	2024	2030
मातृ मृत्यु–दर	130	201	140	100	70

लक्ष्य 3.2– वर्श 2030 तक, नवजात ि”ा”ाुओं और 5 वर्श से कम आयु के बच्चों की रोकी जा सकने वाली मृत्यु को समाप्त किया जाए एवं नवजात ि”ा”ाु मृत्यु–दर कम

से कम 12 प्रति हजार जीवित जन्म तथा 5 वर्श से कम आयु–वर्ग के बच्चों की मृत्यु–दर कम से कम 25 प्रति हजार जीवित जन्म का लक्ष्य प्राप्त किया जाए।

f” ा” ु एवं बाल स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार के लिए चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, कुपोशण दूर करने हेतु अभियान, टीकाकरण, अन्तर्विभागीय समन्वय एवं सामुदायिक सहभागिता की निम्नलिखित गतिविधियॉ संचालित हैं:–

- नवजात f” ा” ुओं की देखभाल के लिए मूलभूत उपकरणों से लैस 1,820 **न्यूबार्न केयर कार्नर** क्रिया” ील तथा अगले 3 वर्शों में लगभग 680 नए न्यूबार्न केयर कार्नर स्थापित करने का लक्ष्य।
- प्रदे” ा में 4 भौय्यायुक्त 180 **न्यूबार्न स्टेब्लाइजे”ान इकाई** क्रिया” ील तथा लगभग 240 नई इकाइयॉ भीघ्र ही स्थापित किया जाना प्रस्तावित।
- प्रदे” ा में 79 **सिक न्यूबार्न केयर ईकाई** क्रिया” ील तथा 07 नई इकाइयों की स्थापना भीघ्र ही प्रस्तावित।
- दिमागी बुखार के समुचित प्रबन्धन और उपचार के लिए गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल की सभी **सिक न्यूबार्न केयर इकाइयों** में वेन्टीलेटर की सुविधा।
- मस्तिश्क ज्वर प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों के प्रभावी उपचार के लिए 10 पीडियाट्रिक इन्टेन्सिव केयर यूनिट (पीकू), 15 मिनी पीकू और 81 इन्सेफ्लाइटिस ट्रीटमेन्ट सेन्टर संचालित।
- कुपोशित बच्चों का प्रभावी उपचार सुनि” चत करने के लिए 76 **पोशण पुनर्वास केन्द्र** संचालित। इसमें बच्चों को लाने एवं घर छोड़ने के लिए नि:” ुल्क 102 एम्बुलेन्स सेवा। भर्ती के दौरान माता/पिता को नि:” ुल्क भोजन तथा अधिकतम 14 दिनों तक रू0 50/– प्रतिदिन के हिसाब से दिहाड़ी के नुकसान की प्रतिपूर्ति।
- कुपोशण को समाप्त करने के लिए विभिन्न विभागों के प्रभावी सहयोग से **पोशण माह का** संचालन जिसमें जीवन के पहले 1000 दिन, एनीमिया, डायरिया, स्वच्छता और पौश्टिक आहार पर वि” ोश बल।
- चिन्हित 6 आयु–वर्गों में एनीमिया की व्यापकता को ने” ानल फेमिली हेल्थ सर्वे (एन0एफ0एस0एस0–4) के स्तर से एक तिहाई कम करने के लिए **एनीमिया मुक्त भारत** का संचालन।
- **नियमित टीकाकरण कार्यक्रम** के अन्तर्गत बच्चों में वैक्सीने” ान (टीकाकरण) के माध्यम से रोकी जा सकने वाली बीमारियों के रोकथाम के लिए वर्श 2018–19 में 87.37 प्रति” ात बच्चों का पूर्ण प्रतिरक्षण।
- **मीजिल्स–रूबेला अभियान** के अन्तर्गत 7.64 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 7.57 करोड़ बच्चों का टीकाकरण (99.11 प्रति” ात)।
- मातृ–स्वास्थ्य, नवजात f” ा” ु, बाल स्वास्थ्य तथा संक्रामक रोगों के रोकथाम और नियंत्रण के लिए ग्राम स्वास्थ्य एवं पोशण दिवस **(वी0एच0एन0डी0)** और ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोशण समिति **(वी0एच0एस0एन0सी0)** के माध्यम से प्रभावी

अन्तर्विभागीय समन्वय।

उत्तर प्रदे”ा द्वारा निर्धारित लक्ष्य

सूचकांक	वर्तमान स्थिति		लक्ष्य		
	भारत	उत्तर प्रदे”ा	2020	2024	2030
5 वर्श से कम आयु के बच्चों की मृत्यु–दर	39	47	40	35	25
नवजात f”ा”ाु मृत्यु दर	24	30	25	18	12
पूर्ण प्रतिरक्षण दर (12–23 माह)–प्रति”ात	–	87.37	95	100	100

लक्ष्य 3.3: **वर्श 2030 तक, एड्स, टीबी, मलेरिया एवं गर्म प्रदे”ाों के उपेक्षित रोगों की महामारियों को समाप्त करना एवं हेपेटाइटिस, जलजनित रोगों एवं अन्य संक्रामक रोगों का मुकाबला करना।**

संचारी रोगों के विरूद्ध निर्णायक एवं नियमित अभियान–

- **दिमागी बुखार** सहित अन्य संचारी रोगों के विरूद्ध चिकित्सा f”ाक्षा, f”ाक्षा विभाग, पंचायतरीज विभाग, जल निगम, कृशि, नगर विकास, दिव्यांगजन विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्राम्य विकास, मत्स्य एवं प”ाुपालन विभागों का अन्तर्विभागीय सहयोग।
- **"बुखार में देरी पड़ेगी भारी"** जैसे सबसे महत्वपूर्ण संदे”ाों, पर्यावरणीय एवं व्यक्तिगत स्वच्छता की जानकारी को स्कूलों के माध्यम से विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के मन–मस्तिश्क में बैठाने के लिए f”ाक्षकों का चुनाव एवं संवेदीकरण।
- वि”ोश टीकाकरण अभियान के माध्यम से लगातार दो वर्शों 2017–18 एवं 2018–19 में प्रदे”ा के 38 जनपदों में भात–प्रति”ात जापानीज इन्सेफ्लाइटिस टीकाकरण।
- ए0ई0एस0 रोगियों की संख्या वर्श 2016 में 3911 रोगियों की तुलना में वर्श 2019 में अगस्त तक मात्र 938 रोगी। इसी अवधि में ए0ई0एस0 के कारण होने वाली मृत्यु 641 से घटकर मात्र 35 मृत्यु।
- वर्श 2016 में जापानीज इन्सेफलाइटिस के कुल 442 रोगी और 74 मृत्यु की तुलना में वर्श 2019 में अगस्त तक, प्रदे”ा में मात्र 58 जे0ई0 रोगी केवल 4 मृत्यु।

अन्य वेक्टरजनित रोगों पर भी वि”ोश ध्यान

- डेंगू और चिकुनगुनया के सर्विलान्स के लिए प्रदे”ा में 45 सेन्टीनल सर्विलान्स हास्पिटल का संचालन।
- प्रदे”ा के 27 जनपदों की 42 चिकित्सा इकाइयों में ब्लड कम्पोनेन्ट सेपरे”ान

यूनिट किया" ाील।

प्रदे"ा में वर्श 2025 तक टीबी रोग के समाप्ति के लिए–

- जॉच एवं उपचार व्यवस्था का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, समुदाय–आधारित सक्रिय रोगी खोज अभियान, उपचार प्राप्त करने वाले रोगियों के पोशण का वि" ोश ध्यान।

लक्ष्य 3.4 वर्श 2030 तक, रोकथाम एवं उपचार के माध्यम से गैर–संक्रामक रोगों के कारण होने वाली अपरिपक्व मृत्यु में एक–तिहाई कमी लाना तथा मानसिक स्वास्थ्य एवं सलामती को प्रोत्साहित करना।

- गैर–संक्रामक रोगों के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, रोगों की समुदायस्तर पर प्रारम्भिक अवस्था में स्क्रीनिंग एवं स्वास्थ्य ि" ाक्षा–
  - प्रदे" ा में गैर–संक्रामक रोगों के प्रबन्धन के लिए राश्ट्रीय कैंसर, डायबेटीज, हृदय रोग एवं स्ट्रोक रोकथाम तथा नियंत्रण कार्यक्रम संचालित तथा जिलास्तरीय चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एन0सी0डी0 क्लीनिक्स स्थापित।
  - आयुश्मान भारत के अन्तर्गत गैर–संक्रामक रोगों के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए प्रदे" ा में कुल 780 उपकेन्द्रों, 955 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 392 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत करते हुए कुल 2127 हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर संचालित।

उत्तर प्रदे"ा द्वारा निर्धारित लक्ष्यः

रोग	भारत– (मृत्यु प्रति लाख जनसंख्या)	उत्तर प्रदे"ा –मृत्यु प्रति लाख जनसंख्या	लक्ष्य		
			2020 (15 प्रति"ात कम करना)	2024 (एक चौथाई कम)	2030 (एक तिहाई कम करना)
इस्चेमिक हार्ट डिजीज	122	93	79	70	61
क्रानिक आब्सट्रक्टिव पलमोनरी डिजीज	79	108	92	81	71
सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज	61	44	37	33	29
क्रानिक किडनी डिजीज	24	28	24	21	18

लक्ष्य 3.5 मादक औशधियों एवं मदिरा के हानिकारक प्रयोग सहित मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम एवं उपचार को सुदृढ़ करना।

- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मादक पदार्थों के सेवन एवं एल्कोहल सहित अन्य सब्सटेन्स अब्यूज के नियंत्रण के लिए वर्तमान में राश्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन काउन्सिलिंग की जाती है तथा जिला चिकित्सालयों में स्थापित पराम" ा केन्द्रों के द्वारा इन हानिकारक पदार्थों के सेवन की आदत को छोड़ने में सहायता प्रदान की जाती है।

लक्ष्य 3.6 वर्श 2020 तक, सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों एवं घायलों की संख्या को आधा करना।

सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली असामयिक मृत्यु को रोकने के लिए ट्रामा सेंटर की स्थापना, घायल व्यक्तियों का त्वरित परिवहन तथा अन्तर्विभागीय सहयोग–

- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन प्रदे" ा में स्वीकृत 45 ट्रामा सेन्टरों में से 27 ट्रामा सेन्टर किया" ाील।
- घायलों को जल्दी से जल्दी उचित चिकित्सा केन्द्र पर पहुॅचाने के लिए प्रदे" ा में 2200 अद्द 108 एम्बुलेन्सों का संचालन।
- गंभीर रूप से घायल रोगियों के लिए प्रदे" ा में 250 एडवॉस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्स का संचालन।
- राश्ट्रीय राज्यमार्ग एवं एक्सप्रेस–वे पर संचालित 301 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों चिन्हित एवं उनके उच्चीकरण का कार्य प्रस्तावित।

लक्ष्य 3.7 वर्ष 2030 तक परिवार नियोजन सहित यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवा, सूचना और ि"ाक्षा तक सबकी पहुॅच सुनि"चत करना तथा राष्ट्रीय रणनीतियों एवं कार्यकमों में प्रजनन स्वास्थ्य को शामिल करना।

प्रदे"ा में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए–

- **हौसला साझेदारी** कार्यक्रम का संचालन।
- **मि"ान परिवार विकास** के अन्तर्गत पुरूश नसबन्दी और महिला नसबन्दी पर प्रोत्साहन रा" ा का वितरण।

लक्ष्य 3.8 वित्तीय जोखिम सुरक्षा सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, आव"यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता तक पहुॅच और सभी के लिए सुरक्षित, गुणवत्तात्मक और सस्ती दवाईयॉ और टीके उपलब्ध कराना।

प्रदे"ा के प्रत्येक नागरिक के लिए गुणवत्तायुक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं सुनि"चत करने के लिए–

- उच्चस्तरीय एवं निः" ाुल्क चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 174 जिलास्तरीय चिकित्सालय, 853 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 3621 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 20521 स्वास्थ्य उपकेन्द्र संचालित।
- प्रदे" ा के 40 जिलास्तरीय चिकित्सालयों को गुणवत्ता का सर्वोच्च प्रमाणीकरण ने" ानल एक्रीडिटे" ान बोर्ड फॉर हास्पिटल एण्ड हेल्थ केयर (एन0ए0बी0एच0) का इन्ट्रीलेवल प्रमाण–पत्र।
- प्रदे" ा के 60 जिलास्तरीय चिकित्सालयों में सी0टी0स्कैन, 38 स्थानों पर हीमोडायलिसिस तथा 3 जिलास्तरीय चिकित्सालयों में एम0आर0आई0 की सुविधा उपलब्ध।
- प्रदे" ा सरकार के संकल्प के अनुसार 108 एम्बुलेन्स सेवा में विस्तार कर अब 2200 एम्बुलेन्सों का संचालन।
- गंभीर रोगियों के लिए प्रदे" ा सरकार द्वारा 250 एडवान्स लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्स संचालित।
- सुदूर एवं दुर्गम स्थानों में चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए 138 मेडिकल मोबाइल यूनिट संचालित।
- माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से छूटे 42.75 लाख पात्र व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जनआरोग्य अभियान लागू करने का निर्णय।
- प्रदे" ा में आयोजित **दिव्य कुम्भ को स्वस्थ कुम्भ** बनाने के लिए 100 भौय्यायुक्त एक सेण्ट्रल चिकित्सालय, 20 भौय्यायुक्त 10 सर्किल चिकित्सालय, 25 प्राथमिक उपचार पोस्ट, 10 आउट हेल्थ पोस्ट का संचालन।

लक्ष्य 3.9 वर्श 2030 तक, खतरनाक रसायनों एवं वायु, जल तथा मृदा प्रदूशण और संदूशण से होने वाली मौतों और रोगों को काफी सीमा तक कम करना।

- राजकीय चिकित्सालयों में जैव अप" िश्ट का नियमानुसार प्रबन्धन।
- जैव अप" िश्ट के परिवहन, उपचार एवं निपटान हेतु प्राइवेट चिकित्सालयों को प्रोत्साहन।
- अन्तर्राश्ट्रीय संधियों के अनुसार मर्करीयुक्त उपकरणों को चरणबद्ध ढंग से हटाया जाना।
- स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में ऊर्जाकु" ाल प्रका" ा व्यवस्था, उपकरणों एवं हीटिंग, वेन्टीले" ान एवं एअर कन्डी" ानिंग (एच0वी0ए0सी0) का प्रयोग तथा सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करना।

लक्ष्य 3.अ सभी दे"ों में यथा उपयुक्त तम्बाकू नियंत्रण पर वि"व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क कन्वें"ान के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 द्वारा संचालित राश्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों का प्रोत्साहन–

- विद्यालयों कों तम्बाकू मुक्त घोशित कराना।
- स्कूल परिसर और इनसे 100 गज के दायरे में सिगरेट, तम्बाकू आदि की बिक्री पर रोक लगाया जाना।
- टोल फ्री नं0–**1800112356** पर तम्बाकू छोड़ने हेतु प्रेरित करना।
- समस्त सरकारी प्रतिश्ठानों/विभागों में **''यलो लाइन कैम्पेन''** के द्वारा तम्बाकू से आजादी अभियान।

लक्ष्य 3.ब विकास"ील दे"ों को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले संचारी और असंचारी रोगों के टीके और दवाईयों संबंधी अनुसंधान और विकास को सहायता तथा टीआरआईपीएस समझौतों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी दोहा घोषणा के अनुसार सस्ती आव"यक दवाईयाँ और टीक उपलब्ध कराना जिससे विकास"ील दे"ों को सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा वि"ोष रूप से सभी के लिए दवाईयाँ उपलब्ध कराने के लचीलेपन से संबंधित बौद्धिक सम्पदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं के समझौते के प्रावधानों का पूर्णतः उपयोग हो सकेगा।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 द्वारा संचालित समस्त ईकाइयों में नि:" ुल्क वैक्सीन एवं दवाइयों की व्यवस्था।

- औशधियों एवं उपकरणों की नियमित उपलब्धता के लिए उ0प्र0 मेडिकल सप्लाइज कारपोरे" ान की स्थापना।

लक्ष्य 3.स विकास"ील दे"ों वि"ोष रूप से न्यून विकसित दे"ों और द्वीप वाले विकास"ील राज्यों में स्वास्थ्य संबंधी वित्तपोषण में प्रचुर वृद्धि करना और स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती, उनका विकास, प्र"िक्षण और उन्हें बनाए रखना।

- प्रदे" ा के पिछड़े एवं असेवित जनपदों में नए 15 राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना जिसमें से 7 मेडिकल कालेजों में पढ़ाई प्रारम्भ।
- विभाग में चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए चिकित्सकों की सेवा–निवृत्ति आयु 60 वर्श से बढ़ाकर 62 वर्श।
- चिकित्सा ि" ाक्षा विभाग, उ0प्र द्वारा राजकीय मेडिकल कालेजों से उत्तीर्ण होने वाले चिकित्सकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा अनिवार्य करने के लिए बाण्ड भरवाने का दूरगामी नीतिगत निर्णय।
- चिकित्सकों को वि" ोशज्ञ के रूप में तैयार करने के लिए डी0एन0बी0 कोर्स संचालित तथा भीघ्र ही सी0पी0एस0 कोर्स भी संचालित।

लक्ष्य 3.द राष्ट्रीय और वैश्विक स्वास्थ्य जोखिम की पूर्व चेतावनी, जोखिम में कमी और प्रबंधन के लिए सभी देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों की क्षमता को सुदृढ़ करना।

- स्वास्थ्य से सम्बन्धित खतरों को जानने के लिए विभिन्न संक्रामक रोगों के सर्विलान्स।
- विभाग द्वारा सभी जनपदों में रैपिड रेस्पॉस टीम का गठन। स्वास्थ्य की किसी असामान्य घटना पर प्रभावित क्षेत्र में जाकर तत्काल प्रबन्धन।
- जोखिमों को कम करने एवं इनके प्रबन्धन के लिए स्वास्थ्यकर्मियों का आपदा–प्रबन्धन प्रशिक्षण।

सतत विकास लक्ष्यः 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

विजन

उ0प्र0 सरकार समस्त बच्चों किशोरों और युवाओं को लैंगिक एवं सामाजिक भेदभाव के बिना पूर्व प्राथमिक स्तर से उच्च शिक्षा तक गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ऐसी शिक्षा हेतु बल देगी जिससे लोकतान्त्रिक मूल्यों एवं भावनाओ का विकास हो सके।

दृश्टिकोण

इस विजन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा भौक्षिक हस्तक्षेप के 4 स्तम्भ क्रमशः शैक्षिक खोज, विस्तार, बराबरी एवं समावेश, उत्कृष्टता विजन एवं रोज़गारपरकता की परिकल्पना की गयी है। उक्त से प्रेरित होकर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक एवं साक्षरता दर बढ़ाने हेतु रणनीति एवं परिस्थितियों के अनुरूप कार्ययोजना विकसित की जायेगी। पहुंच के विस्तार हेतु किये जाने वाले प्रयास के सार्वभौमिक समावेश के अन्तर्गत वंचित वर्ग के सभी बालक/बालिकाओं, किशोरों और युवाओं को समान रूप से लाभ प्रदान करने वाले लक्षित हस्तक्षेप चिन्हित किए जाएंगे।

लक्ष्य 4.1: वर्ष 2030 तक, यह सुनिश्चित करना कि सभी लड़कियों और लड़कों द्वारा निःशुल्क, सामायिक और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी की जाए ताकि शिक्षा–प्राप्ति के सुसंगत और कारगर परिणाम प्राप्त हों।

वर्तमान परिदृश्यः

प्रारम्भिक स्तर पर नामांकन के दृश्टिकोण से सार्वभौमिक कवरेज में प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रत्येक बच्चे की पहुंच में मानकानुसार विद्यालय की उपलब्धता सुनि”चत की जा रही है–

बेसिक ि”क्षा विभाग		माध्यमिक ि”क्षा विभाग	
कुल परिषदीय विद्यालय	1,58,914	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	2271
सहायता प्राप्त विद्यालय	3,049	अनुदानित माध्यमिक विद्यालय	4512
मान्यता प्राप्त विद्यालय की संख्या	52,746	अनुदानित संस्कृत माध्यमिक विद्यालय	973
कुल शिक्षक (परिषदीय)	5.80 (1.82 लाख रिक्त)	वित्त विहीन संस्कृत माध्यमिक विद्यालय	1151
कुल शिक्षा मित्र	1.50 लाख	वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालय	19209
कुल अनुदेशक	29330	कुल ि”क्षक (माध्यमिक) राजकीय	7634
छात्र शिक्षक अनुपात (प्राथमिक)	1 : 35	कुल ि”क्षक सहायता प्राप्त विद्यालय	50616
छात्र शिक्षक अनुपात (उच्च प्राथमिक)	1 : 24	कुल ि”क्षक सहायता प्राप्त (संस्कृत वि0)	2289
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय	746	छात्र ि”क्षक अनुपात	1:35

- शुद्ध नामांकन अनुपात में वर्श 2017 के सापेक्ष प्राथमिक स्तर पर **3.56 प्रति”ात अंकों** एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर **6.14 प्रति”ात अंकों की वृद्धि**।
- प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में बच्चों का ट्रांजि”ान रेट में 2.74 प्रति”ात तथा उच्च प्राथमिक से माध्यमिक तक के बच्चों का ट्रांजि”ान रेट में 14.38 प्रति”ात की वृद्धि, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

संकेतक	संक्रमण दर प्रति”ात में					
	बेसलाईन 2017	उपलब्धि 2018	लक्ष्य			
			2020	2022	2024	2030
प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर ट्रांजिशन दर	83.47	86.21	90.61	94.49	97.71	100
उच्च प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर पर ट्रांजि”ान दर	81.20	95.58	98	100	100	100

- विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के दृश्टिगत समग्र ि”क्षा अभियान के अन्तर्गत असेवित क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना करायी जा रही है। **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, घर से स्कूल तक सुरक्षित वातावरण, जीवन कौशल शिक्षा,** संबंधित विभागों के साथ अभिसरण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अंगीकृत कर माध्यमिक ि”क्षा में सम्मिलित किया गया है।

उपलब्धि:

- विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं– विद्युतीकरण, फर्नीचर, शौचालय, शुद्ध पेय जल, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष आदि के विकास हेतु **कायाकल्प योजना** के अन्तर्गत विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण आदि के विस्तार हेतु उल्लेखनीय कार्य किये जा रहे हैं।

- छात्र नामांकन में वृद्धि एवं विद्यालय में ठहराव हेतु छात्र–छात्राओं को **यूनीफार्म, पाठ्य–पुस्तकें, स्कूल बैग, स्वेटर एवं जूता–मोजा निः"ुल्क** अपने संसाधनों से उपलब्ध कराया जा रहा है। स्कूल चलो अभियान तथा भारदा अभियान चलाया गया। सभी बच्चों को नियमित गुणवत्तायुक्त मध्यान्ह भोजन तथा दूध एवं फल दिया जा रहा है।
- f" ाक्षकों के सेवा सम्बन्धी समस्त कार्यों के निस्तारण हेतु **ऑन लाईन ''मानव सम्पदा पार्टल''** तथा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के अनुश्रवण हेतु **इंटिग्रेटड पोर्टल–''प्रेरणा''** का शुभारम्भ एवं 15000 विद्यालयों का **अंग्रेजी माध्यम से संचालन**।
- सम्प्राप्ति स्तर सुधार हेतु ग्रेडेड लर्निंग प्रोग्राम संचालित किया गया। **दीक्षा पोर्टल, ई–पोथी** आदि का विकास किया गया तथा 500 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना का लक्ष्य है।
- भौक्षिक गुणवत्ता एवं **समयबद्धता** सुनि" चत करने हेतु भौक्षिक पंचांग लागू किया गया तथा बोर्ड परीक्षा–2020 कार्यक्रम 01 जुलाई, 2019 को घोशित किया गया। इण्टरमीडिएट परीक्षा में एकल प्र" नपत्र की व्यवस्था तथा **परीक्षाओं की भाुचिता** सुनि" चत करने हेतु वॉयस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरों, क्रमांकित उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था एवं **प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर नकल विहीन परीक्षा** सुनि" चत की गयी।
- केन्द्रीय बोर्डों के अनुरूप अप्रैल से सत्रारम्भ। शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन हेतु हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट में **एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निर्धारित पाठ्य–पुस्तकों** को अंगीकृत किया गया एवं **व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत ऑटोमोबाइल, रिटेल, सिक्योरिटी एवं आई0टी0 पाठ्यक्रम** शामिल किया गया।
- प्रदेश के निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए **उ0प्र0 स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018,** अप्रैल, 2018 से लागू।
- प्रदेश में हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के विभिन्न बोर्डों के 1695 मेधावी विद्यार्थियों को मा0 मुख्यमंत्री जी एवं मा0 उप मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया।

रणनीतिः

बेसिक विद्यालयों में **बायोमेट्रिक से उपस्थिति** हेतु **बायोमेट्रिकयुक्त टेबलेट** सभी प्रधानाध्यापकों को शीघ्र उपलब्ध कराया जा रहा है। सेवारत अध्यापकों का **निश्ठा** कार्यक्रम के अन्तर्गत **प्र"िाक्षण**, कमजोर बच्चों हेतु **त्रैमासिक आधार पर परीक्षा एवं रेमेडियल टीचिंग** की व्यवस्था की जा रही है।

- लगभग 500 माध्यमिक विद्यालयों में **स्मार्ट क्लासरूम** स्थापना की जा रही है। आईटी सक्षम प्रणालियों के माध्यम से समान सुधार के सहभागी तरीके विकसित किये जा रहे हैं तथा चिन्हित असेवित क्षेत्रों में **समग्र f"ाक्षा अभियान** के अन्तर्गत **2300 माध्यमिक विद्यालयों को चरणबद्ध रूप में** स्थापित किये जाने की योजना है।

लक्ष्य 4.2: वर्ष 2030 तक, यह सुनि"चत करना कि सभी लड़कियों और लड़कों को गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक बाल्यकाल विकास, देख–रेख और पूर्व प्राथमिक f"ाक्षा सुलभ हो ताकि वे प्रारम्भिक f"ाक्षा के लिए तैयार हो जाएं।

प्रदेश में सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर राष्ट्रीय ई.सी.सी.ई. नीति, 2013 के अन्तर्गत शाला पूर्व शिक्षा (प्री–स्कूल एजूकेशन) 22000 आंगनबाड़ी केन्द्रों में नियमित रूप से प्रदान की जा रही है। संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए प्रारम्भिक बाल्यकाल विकास, देखरेख और पूर्व प्राथमिक f" ाक्षा परिषद एवं समिति का गठन किया गया है।

उपलब्धिः

लगभग 75000 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रांगण में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं तथा इनमें नामांकित 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को शैक्षिक इनपुट, उपयुक्त शिक्षण सामग्री की व्यवस्था, शैक्षिक पर्यवेक्षण हेतु व्यवस्था की गयी है। ऐसे सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालयों के साथ जोड़ने का लक्ष्य है

रणनीतिः

- वर्ष 2022 तक राज्य के 35 प्रतिशत केन्द्र, वर्ष 2024 तक 70 प्रतिशत केन्द्र और वर्ष 2030 तक 100 प्रतिशत केन्द्र उच्च गुणवत्तापूर्ण शाला पूर्व शिक्षा केन्द्र बनाने का लक्ष्य है।
- कवरेज और प्रशिक्षण के लिए कार्यात्मक संकेतक निर्धारित किए जायेगें और प्रोग्रामेटिक और प्रशासनिक गतिविधियों की निगरानी सभी स्तरों पर सुनि" चत की जायेगी।
- वर्ष 2019–20 में समग्र शिक्षा के अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्री को **स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम** हेतु प्रशिक्षण दिये जाने एवं सामग्री उपलब्ध कराये जाने की कार्य योजना है।

लक्ष्य 4.3: वर्ष 2030 तक, सभी महिलाओं और पुरूशों के लिए विश्वविद्यालय सहित किफायती और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी, व्यावसायिक और तृतीयक शिक्षा की समान रूप से सुलभता सुनि"चत करना।

वर्तमान परिदृ"य :–

उच्च शिक्षा	प्राविधिक शिक्षा	व्यावसायिक शिक्षा
▪ राज्य वि" वविद्यालयः –18 (02 निर्माणाधीन) ▪ मुक्त वि" वविद्यालयः – 01 ▪ डीम्ड वि" वविद्यालयः – 01 ▪ निजी वि" वविद्यालयः –	▪ प्राविधिक वि" वविद्यालय–03 ▪ राजकीय इंजीनियरिंग कालेज/ घटक संस्थान–14 ▪ निजी इंजीनियंरिंग कॉलेज– लगभग 600	▪ राजकीय आई0टी0आई0ः–305 ▪ निजी आई0टी0आई0ः–2867 ▪ कुल सीटें–5.46 लाख ▪ कौ" ाल विकास मि" ान के अन्तर्गत 41

27 ■ राजकीय महाविद्यालयः–170 ■ सहायता प्राप्त अ" ाासकीय महाविद्यालय–331 ■ स्ववित्तपोशित अशासकीय महाविद्यालय–6531 ■ अध्ययनरत विद्यार्थीः–5280057 ■ सकल नामांकन अनुपात–25.9	■ राजकीय पॉलिटेक्निक–147 ■ अनुदानित पॉलिटेक्निक–19 ■ निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाएं–1155 ■ इंजीनियरिंग कालेजों में डिग्री कोर्स की उपलब्ध सीटें–2.5 लाख लगभग ■ पालीटेक्निक संस्थाओं में डिप्लोंमा की उपलब्ध सीटें–2.4 लाख लगभग	रोजगारपरक सेक्टर्स के 663 पाठ्यक्रमों में प्र"िक्षण, 217 राजकीय व निजी प्रदाताओं के माध्यम से। ■ अब तक 10.5 लाख से अधिक युवा प्र"िक्षण हेतु पंजीकृत। ■ अबतक 7.90 लाख प्र"िक्षित। ■ 3.04 लाख सेवायोजित।

उपलब्धि– उच्च ि"क्षा

- **उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019** दिनांक 01.09.2019 से प्रवृत्त तथा सहारनपुर तथा आजमगढ़ में **02 नये राज्य विश्वविद्यालय** तथा **48 नये राजकीय महाविद्यालय** स्थापनाधीन।
- महायोगी गुरू श्रीगोरक्षनाथ के लोकोपयोगी मन्तव्यों एवं उपदेशों को एकत्रित करके योगानुकूल सिद्धांतों एवं प्रयोगों को जीवनोपयोगी कार्य तथा व्यवहार में परिवर्तित करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में **महायोगी गुरू श्रीगोरक्षनाथ शाधपीठ** की स्थापना तथा भोध एवं **नवाचार को बढावा** देने के उद्दे" य से प्रदे" ा के **14 वि"वविद्यालयों में पं0 दीन दयाल उपाध्याय भोधपीठ** की स्थापना।
- लखनऊ वि" वविद्यालय, लखनऊ में **भाऊराव देवरस "ोधपीठ** एवं **अभिनव गुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ एस्थेटिक्स एण्ड "ैव फिलॉस्फी** एवं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर में **प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस ऑफ स्टडी एवं रिसर्च** तथा **रिसर्च सेंटर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एण्ड नैनो साइंस एण्ड टेक्नोंलॉजी** की स्थापना।
- राज्य विश्वविद्यालयों में **शैक्षिक कैलेण्डर निर्धारित** एवं **नकल विहीन परीक्षा** की व्यवस्था।

प्राविधिक ि"ाक्षा– पालीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया में शुचिता के दृष्टिगत सिक्योर इफीशिएन्ट एजाइल एवं लीक प्रूफ टेक्नॉलाजी का प्रयोग, 15 पालीटेक्निकों मे **वर्चुअल क्लास रूम**, यूनिवर्सिटी **इंडस्ट्री इन्टरफेस सेल** का गठन, राज्य स्तरीय प्लेसमेन्ट सेल की स्थापना एवं वेब पोर्टल का गठन, 10 रीजनल प्लेसमेन्ट सेल की स्थापना, **व्याख्यानों का आन लाइन प्रसारण** की व्यवस्था, 49 पालीटेक्निक संस्थाओं में **लैंग्वेज लैब** की स्थापना। ''बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ'' योजना के दृश्टिगत यूपीएसईई–2018 तथा डिप्लोमा प्रवे" ा परीक्षा की टापर छात्राओं को **लैपटॉप वितरण।** राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों के **इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास** के लिए 200 करोड़ की **पंडित दीन दयाल गुणवत्ता सुधार योजना** लागू की गयी।

रणनीति–उच्च ि"ाक्षा

- सभी की उच्च ि" ाक्षा तक पहुंच का सुनियोजित ढंग से विस्तार, 18–23 वर्ष तय सीमा में उच्च शिक्षण संस्थाओं के सकल नामांकन दर में वृद्धि, वर्ष 2020 तक 24.2 से बढाकर 30 प्रति" ात, वर्ष 2022 तक 32 प्रति" ात, वर्ष 2024 तक 35 प्रति" ात, एवं वर्ष 2030 के अन्त तक में 40 प्रति" ात तक पहुँचानें का लक्ष्य।
- सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु को अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट सेंटर एवं सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन हिन्दुइज्म, बुद्धिज्म एण्ड जैनिज्म के रूप में विकसित किया जायेगा।

प्राविधिक ि"ाक्षा– ए0आई0सी0टी0ई0 मानकों के अनुसार वर्ष 2022 तक समस्त राजकीय एवं अनुदानित संस्थानों को एन.बी.ए. एक्रिडिटेशन करवाने का लक्ष्य, सभी पालीटेक्निकों में लैंग्वेज लैब की स्थापना किए जाने तथा दीक्षान्त समारोह के आयोजन का लक्ष्य।

लक्ष्य 4.4: वर्ष 2030 तक, रोजगार, उचित कार्यों और उद्यमिता हेतु तकनीकी और व्यावसायिक कौशलों सहित सुसंगत कौशल से सम्पन्न युवाओं और वयस्कों की संख्या में वृद्धि करना।

- आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक आदि सरकारी संस्थाओं में समन्वय स्थापित कर छात्रों को व्यावहारिक कौ" ाल का प्र" िक्षण जैसे–सम्प्रेशण कौ" ाल, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता, उद्यमिता आदि को सम्मिलित किया जायेगा। पाठ्यचर्या में स्थानीय ि" ाल्पकारों एवं दस्तकारों का भी समेकन।
- वर्श 2030 तक 62 लाख युवाओं को मांग आधारित कौ" ाल प्र" िक्षण का लक्ष्य, स्वरोजगारपरक प्र" िक्षण, रोजगार मेलों की संख्या बढ़ाना।

लक्ष्य 4.5: वर्ष 2030 तक, शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को समाप्त करना और नि:"ाक्त व्यक्तियों, स्थानिक लोगों और असुरक्षित परिस्थितियों में रह रहे बच्चों सहित कमजोर लोगों की, ि"ाक्षा और व्यावसायिक प्र"िक्षण के सभी स्तरों तक समान पहुँच सुनि"चत करना।

- वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत वंचित पृश्ठभूमि के बच्चों हेतु 95 **आश्रम पद्धति विद्यालय** स्थापित हैं, वर्श 2020 तक 110, वर्श 2024 तक 131 तथा वर्श 2030 तक 162 विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य है। वर्श 2020 तक 4, वर्श 2024 तक 6 तथा वर्श 2030 तक 8 एकलव्य पद्धति विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य है।
- बालिका ि” ाक्षा को प्रभावी करने हेतु **मीना मंच** को सक्रिय कर आउट ऑफ स्कूल/ड्राप आउट बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में प्रवे” ा तथा इन्हें हाईस्कूल तक उच्चीकृत किया जाना। समस्त राजकीय इण्टर कालेजों (बालक) में **सह–शिक्षा की व्यवस्था**। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 25 विकास खण्डों में बालिका छात्रावासों का संचालन तथा 107 विकास खण्डों में **बालिका छात्रावास** निर्माणाधीन। सभी राजकीय विद्यालयों में बालिकाओं को **आत्मरक्षा कार्यक्रम** के अन्तर्गत जूडो प्रशिक्षण।
- दिव्यांग बच्चों को समान ि” ाक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु दिव्यांगजन स” ाक्तीकरण विभाग द्वारा **बचपन डे केयर सेंटर** 18, **स्प”र्" विद्यालय** 07, **संकेत मूक बधिर विद्यालय** 05, **प्रयास विद्यालय** 02, **ममता विद्यालय** 02 स्थापित हैं। वर्श 2030 तक प्रत्येक जनपद में उक्त प्रकार के 01–01 विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य है। वर्श 2022 तक 25, वर्श 2025 तक 40 तथा वर्श 2030 तक 75 विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य है। वर्तमान में 12 **समेकित वि”ोश माध्यमिक विद्यालय** निर्माणाधीन हैं। वर्श 2030 तक प्रत्येक मण्डल में इस प्रकार के 01–01 विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य है, जिनमें दिव्यांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ समेकित ि” ाक्षा ग्रहण करेंगे।

लक्ष्य 4.6: वर्ष 2030 तक, यह सुनि”चत करना कि सभी युवाओं तथा पुरुषों और महिलाओं सहित अधिकतर वयस्कों द्वारा साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल कर लिया जाए।

- उत्तर प्रदेश में वर्श 2001 की अपेक्षा वर्श 2011 में साक्षरता दर में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पुरुष और महिला साक्षरता के बीच लगभग 20 प्रतिशत का अंतर है। लक्षित हस्तक्षेपों की सहायता से लोगों को साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, ई–साक्षरता, वित्तीय और कानूनी साक्षरता, स्वास्थ्य एवं पोशण साक्षरता आदि प्रदान करना। वालिन्टियर्स, सामाजिक संस्थाओं, स्वैछिक संगठनों एवं सी.एस.आर. का सहयोग प्राप्त करना।

लक्ष्य 4.7– वर्ष 2030 तक, यह सुनिश्चित करना कि सभी शिक्षार्थियों द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ, संधारणीय विकास और संधारणीय जीवन भौली, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, शांति और अहिंसा की संस्कृति का प्रोत्साहन, वैभिवक नागरिकता तथा सांस्कृतिक विविधता और संधारणीय विकास में संस्कृति के योगदान की कद्र करने के संबंध में भिक्षा के माध्यम से संधारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए आवभयक ज्ञान और कौभाल अर्जित कर लिया जाए।

- **''पढ़े भारत बढ़े भारत''**, **''कला उत्सव''** एवं **''एक भारत श्रेश्ठ भारत'', राश्ट्रीय सेवा योजना, एन0सी0सी0** एवं **स्काउट गाईड**, खेल प्रतियोगिताओं आदि कार्यक्रमों के संचालन द्वारा सांस्कृतिक/मानवीय मूल्यों, अनु” ाासन, दे” ा प्रेम, सहयोग की भावना आदि का विकास।

- बच्चों को भाारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखने तथा ज्ञानवर्धन एवं जागरूकता हेतु वृक्षारोपण, फसल अव" ोश खेतों में न जलाना, **महिला स"ाक्तीकरण, स्वच्छता, पालीथीन मुक्त भारत, फिट इण्डिया, पोशण अभियान, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य** विभाग के संचारी रोग, कृमि मुक्ति, टीका करण, जनसंख्या नियंत्रण, पल्स पोलियो कार्यक्रम, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, गौरैया संरक्षण, धूम्रपान निषेध आदि कार्यक्रमों का संचालन तथा **राश्ट्रीय** एवं **अन्तर्राश्ट्रीय समसामयिक विशयों** पर विद्यालयों में **निबन्ध लेखन, चित्रकला प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता** आदि का आयोजन।
- बच्चों को साइबर सुरक्षा हेतु जागरूक करने तथा सो" ाल मीडिया, इंटरनेट व टेलीविजन आदि के दुश्प्रभावों से परिचित कराने एवं बचाव हेतु समुचित जानकारी प्रदान करते हुए उपरोक्त के सन्तुलित उपयोग को बढ़ावा देना।

लक्ष्य 4.क: ऐसी भौक्षिक सुविधाओं का निर्माण और स्तरोन्नयन करना जो बच्चों, नि:"ाक्तता और स्त्री–पुरूश समानता के प्रति संवेदन"ाील हों और सभी के लिए ि"ाक्षा प्राप्ति के सुरक्षित, अहिंसात्मक, समावे"ाी और कारगर परिवे"ा उपलब्ध कराती हों।

- प्रत्येक विद्यालय में आव" यक न्यूनतम अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सुनि" चत करना।
- बालिका ि" ाक्षा को बढ़ावा देने हेतु **कन्या सुमंगला योजना** प्रारम्भ किये जाने की योजना।

लक्ष्य 4.ख: वर्ष 2020 तक, विकसित दे"ाों तथा अन्य विकास"ाील दे"ाों में व्यावसायिक प्रशिक्षण और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तकनीकी, इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक कार्यक्रमों सहित उच्चतर ि"ाक्षा में नामांकन के लिए विकास"ाील दे"ाों वि"ोशकर अल्प विकसित दे"ाों, लघु द्वीप विकास"ाील राज्यों और अफ्रीकी दे"ाों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्तियों की संख्या में वै"िवक स्तर पर वृद्धि करना।

- द" ामोत्तर, उच्च, इंजीनियरिंग एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों को **छात्रवृत्ति** तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पूर्व तैयारी हेतु 07 प्रि" ाक्षण केन्द्रों का संचालन, जिनमें लगभग 900 छात्रों को प्रतिवर्श प्रि" ाक्षण की व्यवस्था।

लक्ष्य 4.ग: वर्ष 2030 तक, विकास"ाील दे"ाों, वि"ोशकर अल्प विकसित दे"ाों और लघुद्वीप विकास"ाील राज्यों में ि"ाक्षक प्रि"ाक्षण के लिए अंर्तराश्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अर्हता प्राप्त ि"ाक्षकों की आपूर्ति में वृद्धि करना।

- प्रदेश के प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में मानक के अनुरूप पर्याप्त प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी के दृश्टिगत प्रि" ाक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन पर वि" ोशा बल, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के अध्यापकों के प्रि" ाक्षण का आयोजन, ि" ाक्षक प्रि" ाक्षण हेतु दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रारम्भ करने पर विचार। प्रि" ाक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति। सेवा पूर्व प्रि" ाक्षण पर विचार।

सतत विकास लक्ष्यः 5 लैंगिक समानता

विजन

उत्तर प्रदेश सरकार प्रगति" ाील हस्तक्षेपों के माध्यम से सामाजिक लोकाचार और अधोसंरचना को प्रभावित करने के लिए लैंगिक रूप से एक ऐसा न्यायपूर्ण समाज हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां पर महिलाओं और पुरुषों की बाजारों, संसाधनों, सेवाओं, लाभों और विकास के अवसरों तक समान और समुचित पहुंच हो, उन्हें अपने जीवन और समाज को प्रभावित करने वाले प्रमुख निर्णयों में समान आवाज और स्वायत्तता का अधिकार हो, वे शासन में समान भागीदारी और नेतृत्व प्राप्त करें, और लैंगिक आधार पर किसी भी भेदभाव और हिंसा से मुक्त जीवन जिएं।

दृश्टिकोण

सरकार मानती है कि महिलाओं के पक्ष में बदलाव करने की अगुआई के लिए राज्य की भूमिका अपरिमित है, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे समान अधिकार और गुणवत्ता के साथ मूलभूत सेवाएं प्राप्त करें। राज्य उन आमूल परिवर्तन वाले हस्तक्षेपों को लागू करने के लिए अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्राथमिकता के साथ उपयोग करेगा जो महिलाओं को आर्थिक और भावनात्मक स्वतंत्रता प्रदान कर सकते हैं। ये हस्तक्षेप संपत्ति सृजन, गैर–परंपरागत क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी समर्थ आर्थिक अवसरों का सृजन, लैंगिक रूप से संवेदनशील अधोसंरचना और वित्तीय समावेश पर केंद्रित होंगे।

लक्ष्य 5.1: सभी जगह सभी महिलाओं तथा बालिकाओं के विरूद्ध होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव का अंत करना।

उपलब्धि एवं रणनीति

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना** का वर्श 2020 में 68 जनपदों में तथा वर्श 2022 तक सभी 75 जनपदों में क्रियान्वयन किया जायेगा।
- वर्श 2014–15 में उत्तर प्रदे" ा का जन्म के समय लिंगानुपात 885 था जोकि वर्श 2018–19 में बढ़कर 918 हो गया। प्रदे" ा में लिंग अनुपात में सुधार हेतु वर्श 2020, वर्ष 2022 एवं वर्ष 2024 के लिए क्रम" ाः 915, 925, 935 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्श 2030 तक जन्म के समय लिंगानुपात को राश्ट्रीय औसत के समान लाने का लक्ष्य है।
- राज्य में लिंगानुपात में सुधार के लिए प्री कन्सेप्सन एण्ड प्री–नॉटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक्स एक्ट 1994 (पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम) के अधीन कुल 5548 इमेजिंग केन्द्र पंजीकृत हैं। राज्य सरकार द्वारा राश्ट्रीय स्वास्थ्य मि" ान के वित्त पोशण से जुलाई 2017 से मुखबिर योजना प्रारम्भ की गई है जिसके द्वारा इस अधिनियम के उल्लंघन की

सूचना साझा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन सब प्रयासों के परिणाम स्वरूप जन्म के समय का लिंगानुपात वर्श 2013–15 में 879 से बढ़कर वर्श 2014–16 में 882 हो गया है।

- प्रदे" ा में महिलाओं तथा पुरूशों को समान मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत समान मजदूरी का प्रावधान है। कार्यस्थल पर विभाग के द्वारा यह सुनि"ि चत किया जाता है कि लैंगिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाये। विभाग द्वारा मातृत्व हित लाभ योजना, ि" ा" ा हित लाभ योजना, निर्माण कामगार बालिका मदद योजना तथा कन्या विवाह सहायता योजना के माध्यम से भी महिलाओं के हितों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना–प्रदे"ा की एक नयी पहल

प्रदेश में बालिकाओं की स्वास्थ्य एवं ि" ाक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करना, प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, प्रदेश में समान लिंगानुपात स्थापित करना, बाल–विवाह की कुप्रथा को रोकना, नवजात कन्या के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा उत्तर प्रदे" ा में बालिका के जन्म के प्रति आम–जन में सकारात्मक सोच विकसित करना व उनके उज्ज्वल भविश्य की आधारि" ाला रखने के उद्दे" य से यह योजना इस वर्श भ्रुरू की गई है।

लक्ष्य 5.2: सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में सभी महिलाओं और बालिकाओं के विरूद्ध सभी प्रकार की हिंसा का अंत करना, जिसमें तस्करी और यौन शोषण भी शामिल हैं।

वर्श 2018 में वन स्टॉप सेन्टर लखनऊ नारी भाक्ति पुरस्कार से

वन स्टॉप सेन्टर योजना के अन्तर्गत हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता हेतु एक ही छत के नीचे महिला हेल्पलाईन, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक एवं अल्पावास गृह आदि की सेवायें प्रदान की जाती है। वर्तमान में प्रदे" ा में 17 जनपदों में वन स्टॉप सेन्टर पूर्ण रूप से तथा अन्य 58 जनपदों में आं" िाक रूप से संचालित है। सभी जनपदों में वर्श 2020 तक पूर्णरूप से संचालन प्रारंभ कर लिया जायेगा। वर्श 2022 तक निर्माण कार्य पूर्ण कराकर विभागीय भवनों में प्रभावी संचालन के माध्यम से अधिकाधिक महिलाओं को लाभ प्रदान किया जायेगा।

पीड़ित महिलाओं हेतु प्रदे"ा की वि"ोश योजना – महिलाओं के विरूद्ध होने वाले जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं के प्रति प्रदे" ा सरकार अत्यंत संवेदन" ाील है। उ0प्र0 रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंर्तगत जघन्य अपराध से पीडित महिलाओं को 1 लाख से 10 लाख रूपये की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है तथा नि" ाुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। लैंगिक अपराध की पीड़ित सभी बालिकाओं एवं महिलाओं का समय से आर्थिक सहायता प्रदान कराई जा रही है।

बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान – प्रदे" ा का अभिनव प्रयास, उत्साहजनक परिणाम मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्दे" ा के अनुसार प्रदे" ा की महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा को और सुदृढ़ किये जाने के उद्दे" य से सम्पूर्ण प्रदे" ा में बच्चों को सुरक्षा संबंधी जागरूकता प्रदान करने हेतु **''बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान''** को चरणबद्ध तरीके से 1 जुलाई से 15 अगस्त 2019 के मध्य संचालित किया गया।

मानव देह व्यापार से पीड़ित महिलाओं को आश्रय, संरक्षण एवं कौ" ाल प्रि" ाक्षण के माध्यम से पुर्नवास प्रदान करने हेतु **उज्जवला योजना** संचालित है। वर्तमान में प्रदे" ा में 2 उज्जवला गृह संचालित है।

- **महिला कल्याण विभाग द्वारा बाल संरक्षण सेवाओं के अंर्तगत** बालिकाओं हेतु 19 राजकीय तथा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित बाल देख–रेख संस्थायें हैं। वि" ोशीकृत आव" यकता वाले बच्चों हेतु पी.पी.पी. मॉडल पर 3 वि" ोश गृहों का संचालन किया जा रहा है। योजना के अर्न्तगत प्रदे" ा में जनपद स्तर पर कि" ाोर न्याय बोर्ड तथा बाल कल्याण समितियां संचालित हैं। विभाग द्वारा संचालित गृहों में निवासरत् संवासियों की काउंसलिंग हेतु **स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से साइकोसो"ाल काउंसलर** नियुक्त किये गये हैं।
- महिलाओं एवं बालिकाओं के विरूद्ध किसी प्रकार की हिंसा की रोकथाम के लिए गृह विभाग द्वारा महिलाओ/बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं पर पूर्णतया अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार **एण्टी रोमियो स्क्वाड** का गठन प्रत्येक जनपद में किया गया है। महिलाओं एवं बालिकाओं के विरूद्ध हो रही हिंसा से बचाव के लिए प्रदे" ा में 1090 वुमेन पॉवरलाइन का संचालन किया जा रहा है।
- महिलाओं एवं बालिकाओं को **साइबर क्राइम** से बचाव हेतु साइबर क्राइम प्रीवेंशन अगेन्सट वूमेन एण्ड चिल्ड्रेन योजना के अन्तर्गत साइबर फोरेन्सिक लैब कम ट्रेनिंग सेण्टर, कैपेसिटी बिल्डिंग, आउटसोर्सिंग मैनपावर की स्थापना की गयी है।
- गुमशुदा बच्चों की सुरक्षित घर वापसी के लिए ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरे" ान आत्मरक्षा तथा साइबर सेल के माध्यम से प्रयास किये जा रहे हैं।
- 35 जनपदों में मानव तस्करी रोधी इकाइयाँ भी स्थापित की गयी हैं।
- पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रकरणों को समयबद्ध रूप से निपटाने को लिए हर जिले में विशेष अदालतें आयोजित कराई जाएंगी। घरेलू हिंसा के प्रति जनजागरूकता और सामुदायिक पुलिसिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

लक्ष्य 5.3: सभी हानिकारक प्रथाओं जैसे कि समय पूर्व और जबरदस्ती बाल विवाह और महिला जननांग विकृति का अंत करना।

उपलब्धि एवं रणनीतिः

बाल विवाह रोकने हेतु प्रयासरत –

- **जिला प्रोबे"न अधिकारी बाल विवाह प्रतिशेद्य अधिकारी के रूप में नामित।**
- **जनपद स्तर पर टास्क फोर्स का गठन, बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम का प्रचार–प्रसार।**
- **गैर सरकारी संगठनों का सहयोग से बाल विवाह से मानसिक, शारीरिक, लैंगिक स्वास्थ्य तथा भावनात्मक स्तर पर होने वाले कुप्रभावों के प्रति जागरूकता।**
- **दहेज संबंधी अपराधों में पीड़ित महिलाएं** जिनका दहेज संबंधी वाद न्यायालय में विचाराधीन है, उन्हें रू 1500 वार्शिक रूप में **आर्थिक सहायता** प्रदान की जाती है तथा रू0 2500 एकमु" त **कानूनी सहायता** हेतु प्रदान किये जाते है।
- **महिला भाक्ति केन्द** वर्तमान में प्रदे" ा में 47 जनपदों में महिला भाक्ति केन्द्रों का पूर्ण रूप से संचालन किया जा रहा है। वर्श 2020 तक 71 जनपदों में केन्द्रों का संचालन प्रारंभ करा दिया जायेगा।

लक्ष्य 5.4: जन सेवाओं, अवसंरचना और सामाजिक सुरक्षा नीतियों के प्रावधान के माध्यम से अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्य का सम्मान और कद्र करना तथा गृहस्थी और परिवार में साझे उत्तरदायित्व को राष्ट्रीय स्तर पर उचित रूप से बढ़ावा देना।

उपलब्धि एवं रणनीतिः

जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदे" ा में महिलाओं की कार्य सहभागिता 16.7% है। महिलाओं द्वारा **अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्य** जैसे बच्चों व परिवार की देखभाल, कृशि, घरेलू उद्योगों में सहयोग आदि कार्य भी किये जाते हैं जिस हेतु उन्हें किसी प्रकार का भुगतान प्राप्त नहीं होता और न ही इन कार्यो के आर्थिक योगदान को मान्यता प्रदान की जाती है। फलतः महिलाओं के इन महत्वपूर्ण कार्यों को महत्व व महिला को श्रेय प्राप्त नहीं हो पाता है। एन0एस0एस0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 26.8% भूमिहीन, 29.8%, लघु भूस्वामी 38.5% एवं 38.3% बड़ी भूमि स्वामी महिलायें गैर भुगतान कार्यों में संलग्न हैं। महिलाओं के घरेलू कार्य के मूल्य को पहचानना तथा इस सम्बंध में जन–सामान्य की सोच में परिवर्तन करना, महिला स" ाक्तिकरण के उद्दे" यों की प्राप्ति के लिये अनिवार्य है। जन–जागरूकता के माध्यम से साझी जिम्मेदारी के इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयास किया जाएगा।

नारी सशक्तिकरण अभियान

वर्श 2018 में नारी सशक्तिकरण की दि" ा में एक माह के लिए **"नारी स"ाक्तिकरण संकल्प अभियान"** आयोजित किया गया। इसके अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम, जनसम्पर्क अभियान तथा

नारी शक्ति शिविरों का आयोजन किया गया। विकास खण्ड स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 109318 नारी सशक्तिकरण दूतों ने प्रतिभाग किया। दूतों द्वारा 1.38 करोड़ महिलाओं से जन सम्पर्क अभियान किया गया। प्रदेश में 14596 नारी सशक्तिकरण शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 14,32,659 महिला लाभार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

लक्ष्य 5.5– राजनैतिक, आर्थिक और लोक–जीवन में निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिये नेतृत्व के समान अवसर तक पूर्ण और कारगर सहभागिता सुनिश्चित करना।

प्रदे" ा सरकार नारी स" ाक्तिकरण हेतु प्रतिबद्ध है तथा इसी दि" ा में **पंचायती राज विभाग द्वारा उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु** पंचायती राज प्रि" ाक्षण संस्थान के माध्यम से चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों का उनकी भूमिका तथा दायित्वों तथा राश्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंर्तगत चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों का लिंग आधारित तथा अन्य मुद्दों पर प्रि" ाक्षण किया जायेगा। इस प्रकार 19992 महिला प्रतिनिधियों को प्रि" ाक्षित करने का लक्ष्य है।

सूक्ष्म, लधु तथा मध्यम उद्योग विभाग द्वारा उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंर्तगत नवीन **उद्यमियों** को **उद्योग** की स्थापना के लिये बैंक से लिये गये ऋण की धनरा" ि पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। सब्सिडी की धनरा" ि पुरूशों के लिये भाहरी क्षेत्र में 15% तथा ग्रामीण क्षेत्र में 25% है जबकि महिला उद्यमियों हेतु सब्सिडी की धनरा" ि भाहरी क्षेत्र में 25% तथा ग्रामीण क्षेत्र में 35% है। इस प्रकार अधिक सब्सिडी देकर महिला उद्यमियों को प्रदे" ा में प्रोत्साहित किया जा रहा है।

लक्ष्य 5.6–जनसख्या और विकास संबंधी अंर्तराष्ट्रीय सम्मेलन के कार्यवाही के कार्यक्रम और बीज़िंग कार्यवाही प्लेटफार्म तथा उनके समीक्षा सम्मेलनों के परिणाम दस्तावेजों के अनुसार यथा–सम्मत यौन और प्रजनक स्वास्थ्य एवं प्रजनक अधिकारों तक सर्वव्यापक पहुंच सुनिश्चित करना

स्वास्थ्य विभाग–लैगिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं सभी पात्र व्यक्तियों तक समुदाय एवं इकाई आधारित गतिविधियों से पहुॅचाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त हौसला साझेदारी, जिम्मेदारी निभाओ, महिला नसबन्दी–लैप्रोस्कोपिक अथवा मिनी लैप, नो–स्कैल्पल वैसेक्टोमी (एन0एस0वी0), आई0यू0सी0डी0, आपातकालीन गर्भनिरोधन, गर्भनिरोधक गोलियॉ एवं कन्डोम, नसबन्दी का अनिवार्य फालो–अप सहित कई अभिनव प्रयोग राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। वर्श 2015 में 15–49 आयुवर्ग में 31.7% विवाहित महिलाओं ने विभिन्न आधुनिक परिवार नियोजन साधनों का उपयोग किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इस प्रति" ात को बढ़ाते हुये वर्ष 2020 का लक्ष्य 45%, वर्ष 2022 का 60%, वर्ष 2024 का 75%, एवं वर्ष 2030 का 90% से अधिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बाल विकास एवं पुश्टाहार विभागः उत्तर प्रदे” ा में 25 अगस्त 2018 को पोषण अभियान की शुरुआत समस्त जनपदों में एक साथ की गयी ताकि अभियान के सभी लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। पोषण अभियान का मुख्य लक्ष्य है–विभिन्न लाभार्थी वर्गों मुख्यतः छोटे बच्चे, गर्भवती, धात्री व कि” ाोरियों के पोषण स्तर में सुधार लाना। इसमें कुछ कार्य बाल विकास विभाग द्वारा स्वयं किये जायेंगे व अन्य विभिन्न सहयोगी विभाग जैसे कि स्वास्थ्य, पंचायती राज, f* ाक्षा, खाद्य एवं रसद व ग्राम्य विकास आदि के साथ मिलकर किये जायेगें।

एनीमिया मुक्त प्रदे”ा अभियान के अन्तर्गत स्कूल जाने वाली 11,28,901 कि” ाोरियों की जांच की गयी, जिनमें से कुल 215830 कि” ाोरियां (19.12%) एनीमिया से ग्रस्त चिन्हित की गयी। इसके साथ ही स्कूल न जाने वाली कुल 214534 कि” ाोरियों की जांच में कुल 53607 (24.9%) कि” ाोरियां एनीमिया से ग्रस्त पायी गयी। चिन्हित इन कि” ाोरियों की स्वास्थ्य एवं पोशण संबंधी देखभाल पर ए0एन0एम0, आ” ाा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा मिलकर ध्यान दिया जा रहा है।

कि”ाोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी महत्व को देखते हुए प्रदेश में स्कीम फॉर एडोलेसेन्ट गर्ल्स (कि” ाोरी बालिकाओं के लिए योजना) की शुरूआत की गई है। प्रदे” ा में स्कूल न जाने वाली 11–14 वर्ष की आयु की कि” ाोरियों के बेहतर पोषण के लिये 22 जनपदों में मीठा एवं नमकीन दलिया एवं लड्डू प्रीमिक्स तथा शेष 53 जनपदों में प्रत्येक माह 2.5 किलो काला चना, 1 किलो दाल एवं मोटा अनाज नैफेड के माध्यम से बुन्देलखण्ड के किसानों से खरीद कर दिया जा रहा है। साथ ही पराग के माध्यम से देसी घी भी दिया जा रहा है। इससे बुन्देलखण्ड के किसानों की आय में वृद्धि होगी, उन्हें फसल का उचित दाम मिलेगा और इस प्रकार वह दलहन की खेती करने के लिये प्रोत्साहित होंगें।

उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के अर्न्तगत वर्श 2015 में बेस वैल्यू के रूप में 15 से 24 वर्ष की जनसंख्या में 25.3% महिलाओं तथा 26.8% पुरूशों को एच0आई0वी0/एड्स की सही व व्यापक जानकारी है। कि” ाोर–कि” ाोरी f* ाक्षा कार्यक्रम, कॉलेज/वि” वविद्यालय के स्तर पर रेड रिबन क्लब, विद्यालय से बाहर यूथ हेतु रेड रिबन क्लब, राश्ट्रीय आई0ई0सी0 कार्यक्रम, लिंक वर्कस् योजना, सो” ाल मीडिया कैम्पेन तथा 18 से 24 के एच0आर0जी0 आयुवर्ग हेतु लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम हैं। वर्श 2020, वर्ष 2022, वर्ष 2024 तथा वर्ष 2030 हेतु क्रमशः 80 प्रति” ात, 90 प्रति” ात, 95 प्रति” ात तथा 100 प्रति” ात को सही जानकारी देने का लक्ष्य सोसाइटी द्वारा निर्धारित किया गया है।

लक्ष्य 5.एः महिलाओं को राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, भूमि और अन्य प्रकार की संपत्ति, वित्तीय सेवाओं, विरासत तथा प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की सुलभता के साथ–साथ आर्थिक संसाधनों के संबंध में समान अधिकार प्रदान करने हेतु सुधार करना।

कृशि सेन्सस 2015–16 के अनुसार प्रदे” ा में महिला कृशक परिवारों की संख्या 18.24 लाख, क्षेत्रफल 10.11 लाख हैक्टेयर तथा जोत का औसत क्षेत्रफल 0.55 हैक्टेयर प्रति महिला कृशक है।

संस्थागत वित्त विभाग द्वारा भी महिलाओं के लिये वित्तीय समावे" ान हेतु कार्य किया जा रहा है। वर्श 2019 में बैंक से लिंक स्वयं सहायता समूहों में वि" ाश्ट महिला स्वयं सहायता समूहों की संख्या 2,53,545 है। वर्श 2030 तक इन्हें बढ़ाकर 7 लाख तक करने का लक्ष्य है। यह महिलाओं के आर्थिक स" ाक्तिकरण की ओर महत्वपूर्ण कदम होगा। एक अन्य योजना में प्रति एक लाख वयस्कों में ऋण लेने वाले व्यक्तियों में वर्श 2019 में 3,928 महिला है। वर्श 2030 तक बढ़ाकर इसे 9,000 महिलायें करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं।

लक्ष्य 5.बी– महिलाओं के स"ाक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिये वि"ोश रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में सक्षम प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना।

181 महिला हेल्पलाइन योजना के अन्तर्गत सभी 75 जनपदों में हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कॉल सेन्टर के माध्यम से 24X7 सहायता एवं पराम" ा उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में सभी 75 जनपदों हेतु यह सेवा संचालित हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी की राश्ट्रीय नीति 2012 का एक लक्ष्य महिलाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से स" ाक्तीकरण का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। इस नीति में 1 करोड़ नये प्र" ाक्षित मानव संसाधन तैयार करने का लक्ष्य है, जिससे महिलाओं को एक उच्च श्रेणी के रोजगार से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही इस नीति में प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को ई– साक्षर बनाने का लक्ष्य है जिससे ई– साक्षर बन महिलाओं के लिये सूचना प्रौद्यौगिकी के माध्यम से अनेक संभवनायें खुल जाती हैं।

लक्ष्य 5.सी– लैंगिक समानता को बढ़ावा देने तथा सभी स्तरों पर महिलाओं व बालिकाओं के स"ाक्तिकरण के लिए सुदृढ़ नीतियों और प्रवर्तनीय विधानों को अपनाना एवं उनका सुदृढ़ीकरण करना।

जेन्डर बजटिंग–महिलाओं के विशिष्ट लैंगिक आवश्यकता व परिस्थितियों के अनुरूप बजट तैयार करना तथा उसका वि" लेशण करके जेण्डर बजटिंग की कार्यवाही की जाएगी। राज्य सरकार जेण्डर बजटिंग को लागू कर राजकोशीय नीतियों के माध्यम से समानता को प्रोत्साहित करेगी। वित्त विभाग तथा यूनिसेफ के सहयोग से जेण्डर बजट सेल निर्माण हेतु शीघ्र ही मार्गदर्" ाका जारी की जायेगी। वर्श 2022 तक प्रदे" ा में वित्त विभाग तथा यूनिसेफ के सहयोग से समस्त हितग्राहियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा तथा वर्श 2024 तक प्रदेश में जेन्डर बजटिंग लागू की जायेगी। वर्श 2030 तक जेन्डर बजट के आंकड़ों का विश्लेशण तथा उनके आधार पर नीति सुदृढ़ीकरण हेतु पैरवी तथा प्रभाव आंकलन किया जायेगा।

सतत विकास लक्ष्यः 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता

विजन

जल संरक्षण, जल प्रबंधन एवं विनियमन के सिद्धांत को लागू करके राज्य में सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता की पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित करना, जिसमें जल संसाधनो, अपशिश्ट एवं स्वच्छता के प्रबंधन का कार्य समुदायों की भागीदारी एवं स्थायित्व आधारित हो।

दृष्टिकोण

स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण में बेहतर जल और स्वच्छता सेवाओं के लाभों को स्वीकार करते हुए, प्रदेश सरकार सभी को सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता, स्थायी, समावेशी और न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समुदाय आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान केन्द्रित करेगी। जल निकायों को रिचार्ज करने के लिए नवाचार तकनीकों, सभी उद्देश्यों के लिए ताजे पानी की आपूर्ति को सुनि"चत करने एवं पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने हेतु नवीन एवं बेहतर तरीकों हेतु सतत् भाोध किया जायेगा। पानी की गुणवत्ता तथा सभी उद्देश्यों के लिए पानी को सुरक्षित रखने हेतु तन्त्र विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा।

लक्ष्यः–6.1 वर्ष 2030 तक सभी के लिये सुरक्षित और किफायती पेयजल की सर्वव्यापक और न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करना।

वर्श 2020 तक राश्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अर्न्तगत 8985.48 करोड़ लागत की 1954 नग ग्रामीण पेयजल परियोजनाएं स्थापित कर भाुद्ध पेयजल व्यवस्था का आच्छादन 24,822 बस्तियों से बढ़ाकर 34,709 बस्तियों तक ले जाना। जापानी इन्सेफलाइटिस तथा एक्यूट इन्सेफलाइटिस सिन्ड्रोम से प्रभावित क्षेत्रों तथा आर्सेनिक एवं फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता देना।

उपलब्धिः

- प्रदे" ा में कुल 97,462 आबाद ग्राम है तथा 2,60,018 बस्तियॉ है। समस्त बस्तियों को मार्च 2019 तक 28,39,165 इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्प अधिश्ठापित कर संतृप्त किया जा चुका है। प्रदे" ा की तीन वर्शों हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना में 1985 नग पाइप पेयजल परियोजनाओं में से 1384 नग परियोजनाओं को धनरा"ि ा रू 3260.83 करोड़ व्यय कर पूर्ण किया गया। भोश परियोजनाओं पर कार्य प्रगति में है। प्रदे" ा में जापानी इन्सेफलाइटिस तथा एक्यूट इन्सेफलाइटिस सिन्ड्रोम तथा आर्सेनिक एवं फ्लोराइड से प्रभावित 3830 बस्तियों में से 2105 बस्तियों को मार्च 2019 तक पाइप पेयजल योजना से लाभान्वित किया जा चुका है।
- वि" ोश टीकाकरण अभियान के माध्यम से लगातार दो वर्शों 2017–18 एवं 2018–19 में प्रदे" ा के 38 जनपदों में भात–प्रति" ात जापानीज इन्सेफ्लाइटिस टीकाकरण।

- ए0ई0एस0 रोगियों की संख्या वर्श 2016 में 3911 रोगियों की तुलना में वर्श 2019 में अगस्त तक मात्र 938 रोगी। इसी अवधि में ए0ई0एस0 के कारण होने वाली मृत्यु 641 से घटकर मात्र 35 मृत्यु।
- वर्श 2016 में जापानीज इन्सेफलाइटिस के कुल 442 रोगी और 74 मृत्यु की तुलना में वर्श 2019 में अगस्त तक, प्रदे" ा में मात्र 58 जे0ई0 रोगी केवल 4 मृत्यु।

- 14 नगरीय क्षेत्रों (स्थानीय निकायों) में लागत रू0 778.89 करोड़ व्यय कर 5 नगर निकायो को भात् प्रति" ात पाइप पेयजल व्यवस्था से आच्छादित किया जा चुका है। भोश नगर निकायों की परियोजनाओं पर कार्य प्रगति में है।
- वि" व बैंक सहायतित ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना के अन्तर्गत योजना के बैच–1 में 10 जनपदों प्रयागराज, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, बस्ती, कु" ाीनगर, गोरखपुर, गोण्डा, बहराइच एवं सोनभद्र में से 9 जनपदों में 411.01 करोड़ लागत की 221 परियोजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है।

रणनीति

- प्रदे" ा सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड/विन्ध्य क्षेत्र के कुल 09 जनपदों तथा गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों में भाुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पाइप पेयजल योजना प्रारम्भ की गयी है। वर्तमान में कुल 7628 ग्रामों में से 1908 ग्राम पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित हैं, भोश 5720 ग्रामों हेतु भाुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृश्टिगत प्रथम चरण में बुन्देलखण्ड/विन्ध्य क्षेत्र में कुल 635 भूमिगत/सतही स्रोतों पर आधारित योजनाएं बनायी गयी हैं, जिससे लगभग 77 लाख आबादी लाभान्वित होगी। उक्त पर कुल रू0 15722.89 करोड़ व्यय होने का अनुमान है।
- वि" व बैंक सहायतित ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना के बैच–2 में जनपद वाराणसी फतेहपुर संतकबीर नगर एवं सिद्धार्थनगर की 592 ग्राम पंचायतों हेतु 379 परियोजनाओं पर कार्य किया जायेगा।
- भारत सरकार द्वारा पेयजल के सं" ाोधित मानदण्डों के आधार पर लगभग 40% आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
- जल परीक्षण प्रयोग" ाालाओं की क्षमता बढाना।
- भूगर्भ जल एवं रिमोट सेन्सिंग विभाग द्वारा भूजल की स्रोतो की मैपिंग तथा वर्शा जल संचयन और रीचार्जिंग (पुनर्भरण) की कार्य योजना तैयार करना।

लक्ष्यः–6.2 वर्ष 2030 तक महिलाओं और बालिकाओं तथा असुरक्षित परिस्थितियों में रह रहे लोगों की जरूरतों की ओर विशेष ध्यान देते हुए सभी के लिये पर्याप्त और न्यायसंगत स्वच्छता और स्वास्थ्यकारिता की पहुंच सुनिश्चित करना और खुेल में शौच की प्रथा को समाप्त करना।

- स्वच्छ भारत मि" ान (ग्रामीण) के अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत भौचालयों का निर्माण कर प्रदे" ा को ओ0डी0एफ0 बनाना।

उपलब्धिः

- स्वच्छ भारत मि" ान (ग्रामीण) के अन्तर्गत आधार वर्श 2012 के अनुसार प्रदे" ा में कुल 2,49,31,738 परिवार थे जिनमें से मात्र 76,12,048 परिवारों के पास भौचालय थे। तत्समय भौचालय विहीन परिवारों की कुल संख्या 1,73,19,960 थी। सरकार ने जनान्दोलन चलाते हुए 1.84 करोड़ से अधिक भौचालयों के निर्माण पर 15,846 करोड़ धनरा" ि व्यय करते हुए प्रदे" ा को ''खुले में भौच से'' मुक्त किया गया। वर्श 2012 के बेसलाइन सर्वे में छूटे हुए लगभग 43.22 लाख परिवारों मे से 42.57 लाख परिवारो हेतु भी भौचालय उपलब्ध कराया गया।
- नगरीय सीवरेज व्यवस्था के अन्तर्गत अल्प सीवरेज व्यवस्था से आच्छादित 63 स्थानीय निकायों में से 35 स्थानीय निकायों में सीवरेज व्यवस्था का आच्छादन 100 प्रति" ात प्रस्तावित किया गया, जिसके सापेक्ष लगभग 1386 करोड़ व्यय कर 11 स्थानीय निकायों में लक्ष्य को प्राप्त किया गया।
- नगरों मे 4000 सामुदायिक भौचालयों का निर्माण किया गया।
- स्वच्छ भारत मि" ान (ग्रामीण) के अन्तर्गत भौचालय की पात्रता के लिए निर्धारित 5 मानकों मे एक मानक **''महिला मुखिया वाले परिवार''** निर्धारित है। इस पात्रता मानक के कारण 08 लाख से अधिक महिला मुखिया वाले परिवारों को भौचालय प्रोत्साहन की धनरा" ि से संतृप्त किया गया।
- प्रदे" ा में महिलाओं के सम्मान एवं उनकी निजता के दृश्टिगत भौचालय को **इज्जत घर** कहा गया। जिसकी राश्ट्रीय एवं अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर सराहना की गयी एवं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी सराहा गया।
- वित्तीय वर्श 2017–18, वर्ष 2018–19 एवं वर्ष 2019–20 में इज्जतघर निर्माण में प्रदे" ा प्रथम स्थान पर रहा है।
- स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018– सिटीजन फीडबैक में प्रदे" ा प्रथम स्थान पर रहा है।
- प्रदे" ा में भौचालय निर्माण कार्य के लिए महिलाओं को प्र" िक्षित कर **''रानी मिस्त्री''** व प्र" िक्षक के रूप में तैयार किया गया है, जिसके कारण उन्हे रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सके हैं।
- प्रदे" ा में ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में भौच को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिये लगभग 2.0 लाख निगरानी समितियों का गठन किया गया । इनका कार्य सुबह–शाम निगरानी करते हुए जन सामान्य को भौचालय उपयोग करने हेतु प्रेरित भी करना है। इन निगरानी समितियों में लगभग 6.5 लाख से अधिक महिलाएं नेतृत्व प्रदान कर रही है।
- इसके अतिरिक्त रक्षा बन्धन एवं करवा चौथ जैसे कई त्योहारों पर सम्मान के दृश्टिगत महिलाओं को भौचालय का उपहार भी दिया गया।

रणनोतिः

- ग्रामीण क्षेत्रो के ऐसे व्यक्ति जिनके पास भाौचालय निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नही है उनके लिए 6000 सामुदायिक भाौचालयों का निर्माण करना।
- प्रत्येक वर्श लगभग 20,000 ग्राम पंचायतों का चयन कर ठोस एवं तरल अपि" ाश्ट प्रबन्धन कार्य करना।
- राज्य के स्कूली पाठ्यक्रमों में पानी एवं स्वच्छता से जुड़े विशयों को भाामिल करना।
- अपि" ाश्ट प्रबन्धन से जुड़ें विशयों को ग्राम पंचायत विकास येाजनाओं में सम्मिलित करने हेतु प्रि" ाक्षण कार्यक्रम आयोजित कराकर प्रि" ाक्षित करना।

लक्ष्य 6.3: वर्ष 2030 तक प्रदूषण में कमी, कूड़े का ढेर लगाने की पथा के उन्मूलन और खतरनाक रसायनों और सामग्री के प्रवाह को न्यूनतम करके अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके जल गुणवत्ता को सुधारना तथा वैश्विक स्तर पर जल की रिसाइक्लिंग और सुरक्षित पुनः उपयोग में वृद्धि करना।

- इस लक्ष्य के अन्तर्गत प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रम के रूप में राश्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम अटल नवीकरण एवं भाहरी रूपान्तरण मि" ान (अमृत योजना) आदि सम्मिलित है। अमृत योजना के अन्तर्गत प्रदे" ा में 60 शहर आच्छिादित हैं।
- **नमामि गंगे परियोजना** के अंतर्गत 45 स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष 12 परियोजनाएं पूर्ण तथा भोष प्रगति पर हैं।

रणनीतिः

- जल प्रदूशण को कम करने की दि" ाा में सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट की क्षमता बढाने व नये ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट स्थापित करना।
- भूजल ऑडिटिंग की प्रणाली को विकसित करना तथा भूगर्भ जल की मैपिंग का कार्य।

लक्ष्य 6.4: वर्ष 2030 तक सभी क्षेत्रकों में जल उपयोग कुशलता में पर्याप्त वृद्धि करना तथा जलाभाव का समाधान करने के लिये मीठे जल की संधारणीय निकासी और आपूर्ति सुनिश्चित करना और जलाभाव से पीड़ित लोगों की संख्या में पयाप्त कमी लाना।

उपलब्धिः

- राज्य सरकार द्वारा बढते जल संकट को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में पानी के प्रबन्धन और बूंद—बूंद पानी सदुपयोग करने का संकल्प किया है। इसी दि" ाा में दूरगामी कदम उठाते हुए केन्द्र सरकार की भॉति प्रदे" ा में भी जल भाक्ति विभाग का गठन किया गया है।

- वर्शो से निर्माणाधीन बाणसागर, पहुॅज बॉध, पथरई बॉध, पहाड़ी बॉध, लहचूरा बॉध, गुंटा बॉध तथा जमरार बॉध आदि सिंचाई परियोजनाओं को वर्तमान सरकार ने पूरा किया है। इन परियोजनाओं पर 4332.91 करोड़ रू0 व्यय कर 2.66 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता में वृद्धि कर 2.35 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया।

रणनीति

- जल भाक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राश्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना को समाहित करते हुए जल जीवन मि" ान प्रारम्भ किया गया है। जल जीवन मि" ान के अन्तर्गत वर्श 2024 तक प्रदे" ा के हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- प्रधानमंत्री कृशि सिंचाई योजना के अन्तर्गत सरयू नहर परियोजना, मध्यगंगा परियोजना एवं अर्जुन सहायक परियोजना सहित मझगांव चिल्ली स्पिंकलर सिंचाई परियोजना, भाहजाद बांध स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना, कुलपहाड़ स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना व अन्य बांध परियेाजनाओं पर 20686 करोड़ रू0 व्यय कर 9.95 लाख सिंचन क्षमता का सूजन किया जायेगा जिनमे 18.52 लाख किसान लाभान्वित होंगे।
- अमृत कार्यक्रम (अटल मि" ान फॉर रेजुवने" ान एण्ड अर्बन ट्रांसफॉर्मे" ान) के अन्तर्गत लागत रू0 3724.15 करोड़ से 60 स्थानीय निकायों में पेयजल पाइप से गृह संयोजन का प्रति" ात 46% से बढाकर 76% करने का लक्ष्य है।

लक्ष्य 6.5: वर्ष 2030 तक सभी स्तर पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना जिसमें यथोचित सीमा पार सहयोग भी शामिल है।

- नदी बेसिन प्रबन्धन एवं नदियों की इण्टरलिंकिग के सम्बन्ध में प्रदे" ा द्वारा आगामी वर्शों हेतु एकीकृत कार्य योजना बनायी जायेगी।

लक्ष्य 6.6: वर्ष 2020 तक पर्वतों, वनों, आर्द्र भूमि, नदियों, जलदायी स्तरों और झीलों सहित जल संबंधी पारितंत्रों का संरक्षण और पुररूद्धार करना।

लक्ष्य 6.अ: वर्ष 2030 तक विकासशील देशों के लिये जल संचयन, अलवणीकरण, जल कुशलता, अपशिष्ट जल उपचार, रिसाइक्लिंग और पुनः उपयोग प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी कार्य कलापों और कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।

लक्ष्य 6.ब: जल और स्वच्छता प्रबंधन में सुधार करने हेतु स्थानीय समुदायों की सहभागिता का समर्थन और सुदृढ़ीकरण करना।

- जन सहभागिता को बढावा देने हेतु सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत वर्श 2015 में 802 जल उपभोक्ता समितियों के सापेक्ष अब 19 जनपदों में 2004 अल्पिका व 169 राजवाह स्तरीय जल उपभोक्ता (कुल 2173) समितियों का गठन किया जा चुका है, भोश जनपदों में गठन की प्रकिया प्रगति में है।

सतत विकास लक्ष्यः 7 सस्ती और प्रदूषण–मुक्त ऊर्जा

विजन

विद्युत एक अति महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है, जो कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को स्पर्श करता है। प्रदेश के विकास एवं सम्पन्नता को ऊर्जित करने हेतु एक दक्ष, समर्थ एवं वित्तीय रूप से चिरस्थाई पावर सेक्टर की आवश्यकता है। कृषि उद्योग सहित अर्थव्यवस्था के सभी अंगों के विकास के लिए विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती विद्युत की आवश्यकता है। इसके दृष्टिगत सतत् विकास लक्ष्य–7 के अनुसार विकास पथ पर अग्रसर होने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कृत संकल्प है।

दृष्टिकोण

मुख्य दृष्टिकोण वैकल्पिक स्रोतों को विश्वसनीय, सस्ती और टिकाऊ स्रोतों के रूप में बढ़ावा देना है। अतः उत्तर प्रदेश राज्य ऊर्जा मिश्रण में कार्बन ईंधन के अनुपात को उत्तरोत्तर कम करने और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों में स्थानांतरित करने के लिए उपाय कर रहा है। उ0प्र0 राज्य का प्रयत्न होगा कि पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिये प्रणाली सुधार एवं व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों स्तरों पर लोगों को ऊर्जा संरक्षण का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करना। राज्य में वर्ष 2030 तक ऊर्जा की चरम मांग (36000 मेगावाट से अधिक) की उपलब्धता करने हेतु सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग के द्वारा 20 प्रति" ात उक्त माँग का पूरा करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

लक्ष्य 7.1 वर्ष 2030, सभी के लिये किफायती, भरोसेमंद और आधुनिक ऊर्जा सेवाएं सुनिश्चित करना

उपलब्धिः

- उत्तर प्रदेश के दूरस्थ गाँव–गाँव तक आज बिजली पहुँच चुकी है। पिछले दो वर्षों में वि" ोष अभियान चला कर एक करोड़ से अधिक घरों में बिजली कनेक्शनों को देने का वृहद् कार्य ऊर्जा विभाग द्वारा किया गया जिसमें 84.68 लाख कनेक्शन केन्द्र सरकार की सौभाग्य योजना के अंतर्गत दिये गये। **सौभाग्य योजना में प्रदेश पहले पायदान पर** है।
- वर्तमान में 4531 नग, 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों से समुचित विद्युत आपूर्ति की जा रही है। बिजली की लगातार बढ़ती माँग को पूरा करने के लिये विद्युत पारेषण तंत्र के समुचित विकास के लिये भी ऊर्जा विभाग कार्यरत है।
- उत्पादन गृहों से उपभोक्ताओं के घर तक बिजली की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 2019 में 42787 सर्किट किलो मीटर पारेषण तंत्र का विकास किया गया है।

एस0डी0जी0 –7 के सूचकांक उत्तर प्रदेश की विशिष्ट उपलब्धियां एवं लक्ष्य				
लक्ष्य – 7.1 2030 तक सभी के लिये वहनीय एवं प्रदषण मुक्त ऊर्जा की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करना				
7.1.1	विद्युतीकृत घर	100%	हर घर बिजली, शत प्रतिशत गाँवों में बिजली	प्रदेश सौभाग्य योजना में प्रथम
7.1.2	प्रदूषण में कमी	महिलाओं को प्रदत्त एलपीजी गैस कनेक्शन	1,47,86,745 कनेक्शन वितरित	उत्तर प्रदेश उज्जवला योजना में प्रथम
		सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहन	14564	प्रदेश फेम योजना में देश के अग्रणी तीन राज्यों में।
लक्ष्य – 7.2 2030 तक विश्व की कुल ऊर्जा का बड़ा भाग स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित किया जाना				
7.2.	प्रदेश में नवीकरणीय / पारंपरिक ऊर्जा का प्रतिशत	6%	15% 2024 लक्ष्य	20% 2030 लक्ष्य
7.3	ऊर्जा दक्षता में वृद्धि	दो करोड़ साठ लाख ऊर्जा दक्ष एलईडी बल्बों का वितरण	2.733238 मि0टन0 आफ आयल के समकक्ष प्रति वर्ष की प्रदूषण में कमी।	प्रदेश उजाला योजना में देश के अग्रणी तीन राज्यों में।
		पैट योजना में 25 बड़े उद्योगों ने विद्युत बचत की	0.69 मि0टन0 आफ आयल के समकक्ष प्रति वर्ष की प्रदूषण में कमी।	पैट योजना में प्रदेश ने लक्ष्य से अधिक 109 % प्रगति की।
7.5	अन्य विभागों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के लिये कार्य योजना	लक्ष्य से सम्बन्धित अन्य सभी विभागों को मिलाकर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिये लक्ष्य	10700 मेगावाट वर्ष 2022 तक	सभी विभागों के लिये 50 से लेकर 200 मेगावाट तक के लक्ष्य निर्धारित

रणनीतिः

- आगामी वर्षों के लिये 60,000 सर्किट किलो मीटर पारेषण तंत्र की वर्ष 2030 तक आवश्यकता का आकलन किया गया है।
- पारेषण तंत्र के विकास के लिये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल से अगले 10 वर्षों में रू0 20,000 करोड़ पूँजी निवेश के प्रयास किये जा रहे है।

लक्ष्य 7.2: वर्ष 2030 तक वैश्विक ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्से में पर्याप्त वृद्धि करना।

उपलब्धिः

- वर्तमान में बिजली की पीक माँग 22000 मेगावाट से अधिक पहुँचती है जिसे स्वयं के स्रोतों के अतिरिक्त विद्युत आयात कर पूरा किया जाता है। अभी प्रदेश में बिजली खपत का लगभग 6 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित किया जा रहा है।
- ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के साथ ही सौर ऊर्जा एवं नवीकरणीय एवं जैव ऊर्जा (यथा, गन्ने के बगास, चावल की भूसी इत्यादि) सभी का उपयोग करके ऊर्जा की सहज उपलब्धता के लिये प्रदेश लगातार प्रयासरत है। प्रदेश में इथेनॉल उत्पादित करने वाली

चीनी मिलों (आसवानियों) की कुल उत्पादन क्षमता 121.54 करोड़ लीटर है। 2620 केएलपीडी क्षमता की 17 नई आसवानियाँ स्थापित की जा रही है।

- भारत सरकार द्वारा भी प्रदे" ा के लिये 2379 करोड़ की 34 इथेनॉल परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के लिये स्वीकृत की गई हैं।
- प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सौर ऊर्जा से संचालित संयंत्रों के माध्यम से विद्यालयों में बच्चों के पीने हेतु स्वच्छ आर0ओ0 वाटर जल, खाना बनाने, शौचालय एवं बागवानी आदि हेतु पम्प के माध्यम से जलापूर्ति तथा इसके अतिरिक्त बच्चों के अध्ययन कक्षों में पंखें की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।
- माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर के धुरियापार में इण्डियन ऑयल कारपोरे" ान की सहायता से 50 एकड़ इथेनॉल प्लान्ट की स्थापना के लिये दिनाँक 18 सितम्बर, 2019 को शिलान्यास किया गया।
- प्रदेश के कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से अनुदान पर सोलर सिंचाई पम्प की योजना कृषि विभाग एवं यूपी नेडा द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जा रही है।
- FAME योजना में उत्तर प्रदेश देश के तीन अग्रणी राज्यों में है।
- योजना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश में 14564 इलेक्ट्रिक वाहन (थ्री–व्हीलर एवं कार) सडकों पर उतर चुके हैं तथा योजना के प्रथम चरण में **40 इलेक्ट्रिक बसें लखनऊ** में चलायी गई हैं।
- प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा 591 सीएनजी बसें चलाई जा रही हैं एवं इनकी संख्या बढ़ाने के लिये विचार किया जा रहा है।
- **उज्ज्वला योजना में उत्तर प्रदे"ा में सर्वाधिक गैस संयोजन निर्गत किए गए हैं।** इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैसे कनेक" ान मिले। इस योजना का मुख्य उद्दे" य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिये उपयोग में आने वाले जीवा" म ईंधन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना है।

रणनीतिः

- सतत् विकास के स्वच्छ ऊर्जा के एजेण्डे के अनुसार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ा कर 20 प्रतिशत ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्शवार विवरण निम्नवत् है–
- **यूटीलिटी स्केल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं से प्रदेश में ऊर्जा की बढ़ती माँग की पूर्ति एवं ऊर्जा सुरक्षा व सम्यक् ऊजा मिश्रण की प्राप्ति में सहायता मिलती है तथा निजी निवे"ा आकर्षित करने के साथ–साथ रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी होती है।**

- **रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट** कार्यक्रम के अंतर्गत छतों पर सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर ऊर्जा उत्पादित की जाती है। इसमें पारंपरिक विद्युत पर निर्भरता में कमी एवं उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी। प्रदे" ा के सरकारी भवनों की छतों पर भी सोलर संयंत्र लगाये जा रहें हैं।

		अब तक पूर्ण कार्य	लक्ष्य		
			2022	2024	2030
प्रधानमंत्री कुसुम योजना (कृषकों की आय में वृद्धि के लिए)	पार्ट–A ग्रामीण विद्युत सब–स्टेशनों पर सोलर पावर प्लान्ट (कुल मेगा वाट)	अभी प्रारम्भ	275	475	1000
	पार्ट–B (कृषकों के लिये स्टैन्ड अलोन सोलर पम्प संयंत्र) (कुल संख्या)		30,000	50,000	1,00,000
	पार्ट–C (ग्रिड कनेक्टेड पम्पों को सोलराईज्ड करना) (कुल संख्या)		20,000	35,000	1,00,000
बड़ी सौर विद्युत परियोजनाएं (स्थापित एवं आवंटित), (मेगा वाट)		2650	6,400	8,000	15,000
सोलर रूफटॉप संयंत्र (मेगा वाट)		225	4,300	5,300	8,500
प्राथमिक विद्यालयों पर सोलर आर ओ वाटर संयंत्र (संख्या)		2727	4,000	6,000	12,000
कृषकों के लिये सोलर पंप (स्थापित एवं आवंटित) (संख्या)		30,000	60,000	80,000	1,30,000
सोलर स्ट्रीट लाइट (संख्या)		2,70,000	3,25,000	3,65,000	4,85,000
जैव ऊर्जा	बायोएथेनॉल (लाख लीटर प्रतिदिन)	अभी प्रारम्भ	2.75	4	8
	बायो सीएनजी (टन लीटर प्रतिदिन)	अभी प्रारम्भ	40	60	100
	बायो कोयला (टन लीटर प्रतिदिन)	अभी प्रारम्भ	75	125	400

- **किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (कुसुम)** वर्ष 2019 में भारत सरकार के निम्नलिखित घटकों के साथ किसानों के लिये नई योजना शुरू की है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में 0.5 – 2 मेगावाट क्षमता तक के ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा पावर प्लान्ट की स्थापना (वर्ष 2019–20 में 75 मेगावाट का लक्ष्य)।
  - किसानों की सिंचाई जरूरतों को पूरा करने के लिये स्टैंड अलोन ऑफ ग्रिड पम्पों की स्थापना (वर्ष 2019–20 में सोलर पम्प का 15000 नग का लक्ष्य)।
  - मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पम्पों का सोलराइजेशन और उनके द्वारा उत्पादित अधि" ोष ऊर्जा डिस्कॉम को बेचने और किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिये वर्ष 2019–20 में 7500 नग ग्रिड से जुड़े पम्पों का लक्ष्य है।
- **जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम** विभिन्न जैव ऊर्जा परियोजनाएं जैसे बायो डीजल, बायो इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोगैस/बायो सीएनजी प्रोड्यूसर गैस, बायो कॉल (पैलेट्स तथा ब्रिकेटस) उत्पादन इकाईयों द्वारा जैव ऊर्जा के उत्पादन से पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य की प्राप्ति करने का प्रयत्न किया जा रहा है। पैट्रोलियम आधारित ईंधन की खपत को उत्तरोत्तर रूप में कम करने तथा अतिरिक्त रोजगार सृजन में सक्षम उक्त परियोजनाओं के महत्व को दृष्टिगत रखते हुये जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश सरकार की नीति घोषित की गयी है, जिसमें जैव परियोजना उत्पादन ईकाईयों की स्थापना प्रोत्साहित की जा रही है।

- पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग करने के लिये राज्य द्वारा उच्च पवन क्षेत्र का स्तर मूल्यांकन कराया जा रहा है और 14 Wind डेंज अलग–अलग ऊँचाई पर स्थापित किये गये हैं।
- राज्य देश के विभिन्न प्रदेशों से 440 मेगावाट पवन ऊर्जा का आयात कर रहा है। वर्ष 2024 तक 1250 मेगावाट ऊर्जा खरीद करने का लक्ष्य है।
- योजना के द्वितीय चरण में 600 इलेक्ट्रिक बसें 13 शहरों में चलायी जायेंगी। 50 इलेक्ट्रिक बसें राज्य स्वयं के स्रोतों से सड़क पर उतारेगा (State Urban Transport Directorate) के माध्यम से।
- उत्तर प्रदेश में वर्श 2024 तक 2,00,000 इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टे" ान बनेंगे।
- मल्टी स्टोरी भवनों एवं आई0टी0 पार्कों में चार्जिंग स्टेशन के लिये इन्सेंटिव।
- पहले 1,00,000 इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को रजिस्ट्रे" ान फीस एवं रोड टैक्स पर 100 प्रतिशत की छूट।
- प्रदेश में 1,000 बसों को मिला कर एक लाख इलेक्ट्रिक वाहन लाये जायेंगे।
- वर्ष 2030 तक प्रदे" ा के 10 शहरों में 70 प्रति" ात पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदला जायेगा।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये वर्ष 2024 तक 40000 करोड़ पूँजी निवे" ा।
- योजना का एक मुख्य उद्दे" य महिला स" ाक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना और शुद्ध ईंधन के उपयोग को बढ़ाकर प्रदूषण में कमीं लाना भी योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है।

लक्ष्य 7.3 वर्श 2030 तक ऊर्जा बचत में सुधार की वैश्विक दर दोगुनी करना।

उपलब्धिः

- **केन्द्र सरकार की उजाला योजना** के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 2,60,000,00 एलईडी बल्बों का वितरण किया गया है, जिससे पीक लोड में लगभग 1000 मेगावॉट की कमी का आकलन किया गया है।
- **परफॉर्म अचीव एवं ट्रेड (पैट)** योजना के प्रथम चरण में अधिक ऊर्जा खपत वाले डेजिगनेटेड उद्योगों द्वारा लक्ष्य (0.33 मिलियन टन ऑयल समकक्ष) के दोगुने से भी अधिक (0.69 मिलियन टन ऑयल सकमक्ष) ऊर्जा बचत की।
- **बिल्डिंग इनर्जी एफिसियंसी कार्यक्रम** के अंतर्गत भवनों का निर्माण ईसीबीसी कोड के अनुरूप किये जाने के फलस्वरूप न्यूनतम 30 प्रति" ात ऊर्जा की बचत संभावित है। वर्तमान में कुल 128 सरकारी/निजी भवनों का निर्माण ईसीबीसी कोड के अनुसार किया जा रहा है।
- वर्ष 2015 में प्रारम्भ किये गये ई0ई0एस0एल0 के स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएनएलपी) के अतंर्गत शहरों में मार्ग प्रका" ा व्यवस्था में 93965 ऊर्जा दक्ष एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईटें लगायी गयी हैं।

रणनीतिः

- ईसीबीसी से आच्छादित व्यावसायिक भवनों में ग्रीन बिल्डिंग का प्रतिशत वर्ष 2022 में 50% एवं वर्ष 2030 में 100% लें जाये जाने के लक्ष्य है।
- **स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम** ऊर्जा दक्ष स्ट्रीट लाईटें ऊर्जा खपत को कम करके प्रदेश में विद्युत के पीक डिमाण्ड को कम करने के महत्वपूर्ण लक्ष्य है।
- **नगर पालिका ऊर्जा कुशलता कार्यक्रम** (MEEP) कार्यक्रम के तहत, राज्य ने 61 AMRUT (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) भाहरों में इनर्जी ऑडिट कर पुराने अकु" ाल सीवर एवं वेस्ट डिस्पोजल संयंत्रों को चिन्हित किया गया है।

नगर पालिका ऊर्जा कुशलता कार्यक्रम (MEEP) कार्यक्रम के 73.42 मिलियन यूनिट की अनुमानित वार्षिक ऊर्जा बचत के साथ 3.42 मेगावाट की पीक माँग से बचने में मदद करेगा।

लक्ष्य	राष्ट्रीय सूचक	उ0प्र0 में प्रस्तावित सूचक	उपलब्धि		
			2015	2017	2019
7.1 वर्ष 2030 तक सब जगह सुलभ, वहनीय और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना	7.1.1 विद्युतीकृत घर	विद्युतीकृत गाँवों की संख्या	96,289	97,751	104,636
		विद्युतीकृत बी0पी0एल0 उपभोक्ता	1,027,707	2,078,000	6,796,262
		विद्युतीकृत घर	50%	58%	100%
		उजाला योजना में वितरित एल0ई0डी0 बल्ब	40,59,000	1,55,66,118	2,60,00,000
		IPDS योजना से अच्छादित टाउन	21	523	637
		वितरण उपकेन्द्रों की संख्या	3,383	3,817	4,531
		पारेषण तंत्र (सर्किट किलोमीटर)	30,085	92,658	42,787
		पारेषण क्षमता (एम0बी0ए0)	75,467	75,467	107,965
		उज्जवला में वितरित गैस कनेक्शन	योजना वर्ष 2017 में प्रारम्भ हुई है।		1,47,86,745
		PAHAL लाथार्थियों की संख्या			3,73,53,001

लक्ष्य	राष्ट्रीय सूचक	उ0प्र0 में प्रस्तावित सूचक	उपलब्धि		
			2015	2017	2019
7.2 वर्ष 2030 तक वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बहुत अधिक बढ़ाना	7.2 नवीकरणीय/ पारपंरिक ऊर्जा अनुपात	प्रदेश में सौर एवं नवीकरणीय/पारपंरिक ऊर्जा अनुपात	0.25%	4.53%	6%

सतत विकास लक्ष्यः 8 उत्कृश्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि

विजन

अगले 13 वर्षों में सूबे में उचित प्रौद्योगिकी और प्रथाओं के उपयोग के माध्यम से संसाधन कुशल और पर्यावरण के अनुकूल विकास को अपनाकर न्यूनतम 9 प्रति" ात प्रतिवर्ष की आर्थिक वृद्धि हासिल करने के लिए अनुकूल व्यापार का माहौल बनाकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों संबद्ध कृषि और गैर–कृषि क्षेत्रों में पर्याप्त और पर्याप्त संख्या में रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा अगले 5 वर्शों में 1 ट्रिलीयन इकोनोमी को प्राप्त करने का लक्ष्य निधार्रित किया गया है।

लक्ष्य 8.1–राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार प्रति व्यक्ति आर्थिक वृद्धि दर और विशेषकर अल्प विकसित देशां में प्रतिवर्ष कम से कम 7 प्रति"ात सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर बनाये रखना।

- राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2015–16 और वर्ष 2018–19 के बीच लगभग 11.87 प्रतिशत की दर से बढ़कर 15,82,000 करोड़ (पन्द्रह लाख बयासी हजार करोड़) रूपये तक हो गया है।

लक्ष्य 8.2–उच्च मूल्यवर्धन और श्रम बहुल क्षेत्रकों पर ध्यान केन्द्रित करने सहित विविधीरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और नवोन्मेष के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता के उच्चतर स्तरों को हासिल करना।

उपलब्धिः

- वर्तमान सरकार द्वारा भ्रुरू की गई **एक जनपद एक उत्पाद योजना** के अर्न्तगत राज्य के प्रत्येक जनपद में चयनित उत्पादों के उत्पादकों को आव" यक प्र" िक्षण, उन्नत उपकरण, वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गद" ान उपलब्ध कराकर विकास कराया जा रहा है। उत्पादों को बेहतर बाज़ार उपलब्ध कराने के लिये भी कार्य किया जा रहा है। ओडीओपी योजना के अन्तर्गत वर्श 2018–19 में कुल 916 छोटे दस्तकारों को 3150 लाख का मार्जिन मनी सहयोग प्रदान कर बैंक से ऋण उपलब्ध कराया गया।
- राज्य सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का संकल्प लिया है। राज्य में **कृशि निर्यात नीति** लागू कर दी गई है जिससे किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य निर्यात के द्वारा प्राप्त होना संभव होगा। ग्रामीण कृशकों को संगठित करने के लिये राज्य सरकार **कृशक उत्पादक कम्पनियों** का गठन करा रही है।
- सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को तेजी से बढ़ाने के लिये स्वरोजगार की योजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है। **चैम्पियन सर्विसेज** के द्वारा सेवा क्षेत्र का क्षमता वर्धन किया जा रहा है।
- हैंडलूम तथा वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा राज्य के हथकरघा तथा पावरलूम क्षेत्र के बुनकरों के हितार्थ कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्श 2018–19 में प्रदे" ा में

हैंडलूम द्वारा 50.8 मिलयन मीटर तथा पावरलूम द्वारा 2950 मिलयन मीटर उत्पादन किया गया। वर्श 2018–19 तक कुल 3167 बुनकरों को मुद्रा योजना के अन्तर्गत कुल 2606 लाख का ऋण उपलब्ध कराया गया।

- सेरीकल्चर विभाग के प्रयासों से प्रदे" ा में कच्चा रे" ाम कीट पालन क्षेत्र में विकास हो रहा है। वर्श 2018–19 में प्रदे" ा का कुल कच्चा रे" ाम उत्पादन लगभग 300 मैट्रिक टन था।
- प्रदे" ा से निर्यात बढ़ाने के लिये ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य के हस्त"ि ाल्प उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिये **उ0प्र0 हस्त"िाल्प निर्यात संवर्धन परिशद** का गठन किया गया है। प्रदे" ा से वर्श 2018–19 में कुल निर्यात रूपये **1,14,000 करोड़** का है जो दे" ा के कुल निर्यात रूपये 23,03,898 करोड़ का लगभग 5 प्रति" ात है। राज्य ने निर्यात क्षेत्र में प्रथम बार रू 1,00,000 करोड़ का आकड़ा पार किया है।
- राज्य सब्सिडी और नीति और वित्तीय प्रोत्साहन के साथ–साथ **औद्योगिक और सेवा क्षेत्र निवेश नीति, 2017** और **बुनियादी ढाँचे और औद्योगिक निवेश नीति, 2017** के तहत व्यवसायों के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई **उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन संवर्धन नीति 2017** लाई गई है यह पर्यटन को भी बढ़ावा देगी तथा हवाई संपर्क बढ़ने के साथ–साथ सड़क संपर्क बढ़ेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- वर्तमान में जनवरी 2019 तक, उत्तर प्रदेश में 21 अधिसूचित, 12 परिचालन सेज और 24 औपचारिक रूप से अनुमोदित एसईजेड कार्यरत हैं।
- राज्य सरकार एमएसएमई क्षेत्र को महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व के रूप में मान्यता देती है क्योंकि इसमें कम निवेश के साथ उच्च रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता है। छोटे शहरों और यहां तक कि गांवों में एमएसएमई इकाइयां स्थापित करना भी राज्य में क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने और संसाधनों के अधिक न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने का एक प्रभावी तरीका है। एमएसएमई की नई नीति भी प्रस्तावित है जिससे राज्य में एमएसएमई ईकाईयों को स्थापित करने में **सरलतम प्रक्रिया** अपनाने का प्रस्ताव है। राज्य में नयी एमएसएमई ईकाई की स्थापना के लिये पीएमईजीपी, सीएमवाईएसवाई योजना के अर्न्तगत बैंक ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

रणनीतिः

- राज्य वर्तमान 12 वें स्थान से अपनी **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग** में सुधार के लिए एक रोडमैप पर काम कर रहा है। योजना के तहत, 23 राज्य विभागों ने कार्य प्रवाह को आसान बनाने की प्रक्रिया को लागू किया और, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मैट्रिसेस में सुधार किया है। यह सतत प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। प्रदे" ा को **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग** में **दे"ा में प्रथम स्थान** पर लाने का प्रयास किया जायेगा। सिंगल विडों सिस्टम **'निवे"ा मित्र'** को बेहतर किया जायेगा।
- **एक जनपद एक उत्पाद** योजना के माध्यम से स्थानीय विधाओं/ि" ाल्प को बढ़ावा देकर, उनके निर्माण गतिविधियों, विपणन, ब्राडिंग, वित्त पोशण इत्यादि की समुचित

व्यवस्था सुनि" चत कर कारीगरों/लघु उद्यमियों के माध्यम से रोजगार के बेहतर अवसर पैदा कर **जनपदवार जी0डी0पी0** को बढ़ाना।

- एमएसएमई की नई नीति भी प्रस्तावित है जिससे राज्य में एमएसएमई इकाईयों को स्थापित करने में **सरलतम और सुगम प्रक्रिया** अपनाने का प्रस्ताव है। एमएसएमई की नई नीति में राज्य सरकार एमएसएमई उद्यमियों की अपने क्रेताओं से पुराना बकाया वसूलने की परे" ाानी को हल करने के लिये **फैसिलिटे"ान काउन्सिल** को और अधिक सक्षम करने का प्रस्ताव है।
- **एक जनपद एक उत्पाद** योजना के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जनपद में चयनित उत्पादों के उत्पादकों को आव" यक प्र" ाक्षण, उन्नत उपकरण, वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गद" ान उपलब्ध कराकर विकास कराया जा रहा है। उत्पादों को बेहतर बाज़ार उपलब्ध कराने के लिये भी कार्य किया जा रहा है।
- **चैम्पियन सर्विसेज** के द्वारा सेवा क्षेत्र का क्षमतावर्धन किया जायेगा। चैम्पियन सेवाओं में स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, सूचना प्रोद्योगिकी, उच्च ि" ाक्षा एवं परिवहन का चुनाव किया गया है। चैम्पियन सर्विसेज के निर्यात की सम्भावनाओं को तला" ाकर निर्यात के माध्यम से आय को बढ़ाने के प्रयास किया जाएगा।
- कृशि क्षेत्र में नवाचार केन्द्रों (**इनोवे"ान हब**) की स्थापना कर, कृशि विज्ञान की उपयोगिता बढ़ा कर, तकनीकी के प्रचार, अच्छे बीजों के वितरण को अपनाकर सतत उत्पादन प्रथाओं के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाया जायेगा।
- स्थानीय समितियों के सृजन के साथ साथ **कृशि तथा कशिकी अनुशांगी गतितिधियों** में **क्लस्टर डेवलेपमेंट अप्रोच** तथा किसान संगठनों/उत्पादक कम्पनियों को प्रेरित कर समान व उचित कार्य के अवसरों को पैदा किया जायेगा।
- **वन डिस्टिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना,** हथकरघा और वस्त्र उद्यमियों/बुनकरों को सब्सिडी, हस्तशिल्प विपणन विकास सहायता, दस्तकारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हस्तशिल्प कारीगर पेंशन योजना आदि के द्वारा प्रदे" ा के हस्ति" ाल्प, हथकरघा एवं क्षेत्र वि" ोश के उत्पादों और उनसे जुड़े उत्पादकों को आव" यक **प्र"ाक्षण, उन्नत उपकरण, वित्तोय सहायता, तकनोकी मार्गद"ान** उपलब्ध कराकर विकास करना।
- आर्थिक विकास को गति देने के लिए विनिर्माण क्षेत्र, विशेषकर एमएसएमई, को एक मजबूत प्रोत्साहन देना। एमएसएमई, उत्पादक्ता, रोजगार, उद्यम" ाीलता, रचनात्मकता और नई खोज, धन और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के सर्मथन और सुधार के लिये विकासोन्मुख नीतियों के दायरे और पहुंच का विस्तार करना। बाजार की मांग से जुड़े आपूर्ति श्रृंखलाओं, डिजाइन और उत्पाद विकास के ऊर्ध्वाधर एकीकरण, विकेंद्रीकरण के आधार पर संतुलित विकास और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना।

- आर्थिक विकास गतिविधियों/योजनाओं के लिये नीति बनाते समय और उनका क्रियान्वयन/मूल्यांकन करते समय, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, रोजगार सृजन, समावे" ाी विकास और पर्यावरण पर प्रभाव (स्वच्छ और हरित ऊर्जा) जैसे व्यापक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना।
- कम विकसित क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना और स्थानीय संसाधनों के आधार पर क्षेत्र विशेष के उद्योगों को बढ़ावा देना और स्थानीय आवश्यकताओं को संबोधित करना।
- आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देना, तकनीकी अनुबंधन और विशेष संस्थानों में तकनीकी इन्क्यूबेटरों की स्थापना, हथकरघा हस्तशिल्प और संबद्ध क्षेत्रों को ब्रांडिंग और विपणन सहायता प्रदान करना, मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता और उत्पादन के लिए तकनीकी सलाहकार सेवाओं की पहल को तेज करना।
- **अप्रयुक्त संसाधनों के माध्यम स आर्थिक विकास एवं जोविकोपार्जन की संभावनाओं को तला"ना।**
- कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कृषि और सम्बद्ध व्यवसायों के लिए कुशल सूचना प्रबंधन प्रणालियों और डेटाबेसों का उपयोग, चारे की गुणवत्ता एवं उपलब्धता में सुधार, प्रजनन योग्य पशुधन आबादी की प्रजनन व्याप्ति, प्रमुख बीमारियों के खिलाफ पशुधन आबादी के शत–प्रतिशत टीकाकरण कवरेज के साथ–साथ रोग की निगरानी तंत्र को मजबूत करना।
- गुणवत्ता में सुधार और संसाधन कुशल प्रौद्योगिकी सुनिश्चित करने, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण में पोषक तत्वों की हानि को रोकने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, स्वच्छ उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए सहायता प्रदान करना।
- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम** एवं **मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना** के द्वारा नई इकाई की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता प्रदान कर स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना और नये रोजगार का सृजन करना। रोजगार की संभावनाओं के अनुकूलन के लिए गैर– कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से संबद्ध गतिविधियो एवं खाद्य प्रसंस्करण पर ध्यान देना।
- आईटी/इलेक्ट्रोनिक सिटी, आईटी पार्कस, स्टार्ट अप, इन्क्युबेटर की स्थापना एवं इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर विकास की योजना द्वारा प्रदे" ा में आईटी और इलेक्ट्रोनिकस उद्योगो को बढ़ाना। इसके साथ ही एक **नई आईटी और स्टार्टअप नीति 2019** एवं **नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2019** पर कार्य चल रहा है।
- **स्टार्टअप पोर्टल** को ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विकसित और लाइव किया जायेगा और स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत नामांकन के लिए स्टार्टअप एक्सप्रेस कार्यक्रम के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम किये जायेगें।
- प्रदे" ा में **मेगा लेदर क्लस्टर**–हरदोई और कानपुर देहात, **प्लास्टिक सिटी**–औरैया, **टेक्सटाइल पार्क**–फरूखाबाद, वाराणसी और फतेहपुर, **एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्टियल**

पार्क–गौतम बुद्ध नगर और आगरा, **लेदर पार्क**–आगरा, **अपैरल पार्क**–कानपुर और गाजियाबाद में अधिक्तम इकाइयों की स्थापना कराकर निवे" ा बढ़ाना।

- झांसी और औरैया में **राष्टोय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र** और लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट में **रक्षा औद्योगिक गलियारा** विकसित कर रक्षा उपकरणों के उद्योग लगवाना और स्थानीय जनता के लिये रोजगार उपलब्ध कराना।
- **त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना** और **उत्तर प्रदेश निर्यात अवस्थापना विकास योजना** द्वारा प्रदे" ा के निर्यातको को समुचित प्रोत्साहन एवं व्यापार सहायता प्रदान कर प्रदे" ा से निर्यात को कई गुना बढ़ाने का प्रयास करना।
- **उत्तर प्रदेश अवसंरचना और औद्योगिक निवेश नीति 2017** के तहत औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन योजनाएं संचालित कर राज्य में नये उद्योगो की स्थापना करवाना।
- रेशम कीट विकास योजना, रेशम अनुसंधान एवं विकास योजना, उष्णकटिबंधीय टसर के लिए नर्सरी पौध उत्पादन की योजना एवं **नील क्रांति मिशन** द्वारा द्वारा रेशम कीट पालन उद्योग एवं राज्य में रे" ाम उत्पादन को बढ़ाना।
- **निवे"ा मित्र** के माध्यम से अन्य विभागों से समन्वय कर उद्योग की स्थापना के लिए पूर्ण पारदर्शिता के साथ समयवद्ध निकासी प्रक्रिया अपनाना।
- राज्य में विभागों के संगठित प्रयासों एवं विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से वर्श 2022 तक एमएसएमई ईकाईयों की संख्या को 45 लाख तक ले जाने का लक्ष्य है। वर्श 2030 तक यह संख्या 70 लाख तक किया जाना।
- अगले 2.5 वर्शो में राज्य से निर्यात भी रू 1,35,000 (एक लाख पैतीस हजार) करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

लक्ष्य 8.3: उत्पादक कार्यकलापों, उचित रोजगार सृजन, उद्यमिता, सर्जनात्मकता और नवोन्मेष का समर्थन करने वाली विकासोन्मुखी नीतियों को बढावा देना और वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को निश्चित रूप देना और इनके विकास को प्रोत्साहित करना।

उपलब्धि:

- मानव पूंजी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये कौ" ाल विकास, स्वरोजगार प्रोत्साहन एवं वि" वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से प्रयास किये जा रहे हैं।
- उत्तर प्रदे" ा कौ" ाल विकास मि" ान द्वारा अगस्त 2019 तक कुल 5.44 लाख युवाओं को विभिन्न ट्रेडस में प्रि" ाक्षित किया गया। औद्योगिक प्रि" ाक्षण संस्थानों द्वारा वर्श 17–18 से अगस्त 2019 तक कुल 4.13 लाख युवाओं को विभिन्न ट्रेडस में प्रि" ाक्षित किया गया।
- एक जनपद एक उत्पाद योजना, वि" वकर्मा श्रम सम्मानयोजना एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत **50000** से ज्यादा शि" ाल्पियों, बुनकरों एवं खादी कामगारों को वर्श 2018–19 में कौ" ाल उन्नयन प्रि" ाक्षण दिया गया।

रणनीतिः

- कुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता, कौशल विकास प्रशिक्षण में अंतर, रोजगार की मियादी प्रकृति, क्षेत्र विशिष्ट क्षमता निर्माण की कमी, लिंग असमानता, कम गुणवत्ता की बुनियादी और माध्यमिक शिक्षा एवं समान काम के लिए समान वेतन का प्रवर्तन मानव संसाधनों की अक्षय निधि को भुनाने की चुनौती से पार पाकर प्रदे" ा में स्वालम्बन के एक उच्च स्तर को प्राप्त किया जाएगा। **कौ"ाल विकास को भात प्रति"ात रोजगार तथा स्वरोजगार से जोड़कर सभी के लिये काम की परिस्थितियां पैदा की जाएगीं।**
- सभी के लिए 'उचित कार्य' का लक्ष्य हासिल करने के लिये **ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं पर अधिक जोर** देना तथा शहरों के अनौपचारिक क्षेत्र में **उचित कार्य ढांचे को बढ़ावा** दिया जायेगा ताकि भाहरी गरीबों को उचित कार्य के अवसरों में भाामिल किया जायेगा।
- आर्थिक विकास गतिविधियों/योजनाओं के लिये नीति बनाते समय और उनका क्रिर्यान्वयन/मूल्यांकन करते समय, **अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, रोजगार सृजन, समावे"ाी विकास और पर्यावरण पर प्रभाव** (स्वच्छ और हरित उर्जा) जैसे व्यापक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों एवं भारी उद्योगो की स्थापना से आर्थिक विकास एवं कृशि एवं खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रोद्योगिकी, पर्यटन आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा देना और औद्योगिक विकास के लिए तीन महत्वपूर्ण कारकों के रूप में बुनियादी ढांचे, कौशल और प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान केंद्रित करना।
- अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को पुनः प्राप्त करने के लिए उद्योगों, विशेषकर एमएसएमई और सेवा क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप श्रमिकों की कौशल वृद्धि करना और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना।
- राज्य में सेवा क्षेत्र के महत्वपूर्ण घटक पर्यटन और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान केन्द्रित कर अधिकतम नौकरियों के सृजन के प्रयास करना।
- मौजूदा वैधानिक विधानों और प्रावधानों को लागू करके श्रमिकों के रोजगार एवं आय सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास करना। श्रम अधिकारों की सुरक्षा एवं सकु" ाल और सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ाना।
- एमएसएमई को क्षेत्र की जरूरतों से सीधे जुड़े लोगों को कौशल उन्नयन के माध्यम से अतिरिक्त बढ़ावा दिया जाएगा। इस क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी भागीदारी को सुनिश्चित करने एवं उद्यमिता विकास के लिए कदम उठाए जाएंगे।
- एमएसएमई, हस्ति" ाल्पियों, बुनकरों, खादी कामगारों को संगठित करने के लिए **संकुल विकास नोति** को अपनाना और ज्यादा से ज्यादा क्लस्टर बनाना।
- बाजार की मांग के आधार पर पाठ्यक्रम और व्यापार कौशल प्रदान करने हेतु अभिसरण में कम एचडीआई वाले जिलों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ डिप्लोमा स्तर

के तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना और कौशल विकास मिशन के माध्यम से विकलांग महिलाओं और व्यक्तियों के लिए कौशल/नौकरियों के नए सेट डिजाइन करना।

- एमएसएमई और स्वरोजगार की आवश्यकतानुसार तथा बाजार और उद्योगों की मांग के अनुसार लोगों का कौशल उन्नयन और विशेष रूप से युवाओं के लिए सेवा क्षेत्र के साथ–साथ कृषि–व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करते हुये **उद्यमिता विकास प्रशिक्षण**।
- एमएसएमई को **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना** एवं अन्य क्रेडिट लिंक्ड योजनाओं के माध्यम से क्रेडिट सुविधा बढ़ाना।
- निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में प्रभावी कानून व्यवस्था स्थापित करना।
- अगले 2.5 वर्शो में ओडीओपी, वि" वकर्मा श्रम सम्मान योजना एवं अन्य खादी कामगार, हस्त"ि ाल्पी, बुनकर कौ" ाल विकास योजनाओं से लगभग 1.00 लाख ि" ाल्पियों, बुनकरों एवं अन्य कामगारों का कौ" ाल उन्नयन किया जायेगा।
- वर्श 2022 तक राज्य में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों द्वारा 14 लाख और वर्श 2030 तक 65 लाख लागों को कौ" ाल उन्नयन प्र" िक्षण देकर उनकी आय बढ़ाने और रोजगार के लिये तैयार करने का लक्ष्य है।

लक्ष्य 8.4: विकसित देशों की पहल के साथ, संधारणीय उपभोग और उत्पादन संबंधी कार्यकमों 10 वर्षीय रूपरेखा के अनुसार आर्थिक विकास को पर्यावरणीय अवकमण से अलग करने का प्रयास करना तथा संसाधनों के उपभोग और उत्पादन में वैश्विक कुशलता में वर्ष 2030 तक कमिक रूप से सुधार लाना।

रणनीतिः

- उत्तर प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि क्षेत्रों में **न्यूनतम पर्यावरणीय क्षरण** के साथ उत्पादन प्रक्रिया टिकाऊ हो।
- संसाधनों के बेहतर उपयोग, **शून्य प्रदूषण** और **न्यून कार्बन अर्थव्यवस्था** की ओर बदलाव का समर्थन करके आर्थिक विकास को दस गुणा करने के लिए जागरूक प्रयास करना। इसमें प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा दक्षता के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और अपनाना शामिल होगा।
- **नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों**, और **ईंधन–कुशल परिवहन प्रणालियों** के उपयोग को बढ़ाने और एमएसएमई सहित शहरी बुनियादी ढांचे और उद्योगों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए और प्रयास करना।
- एमएसएमई को अधिक ऊर्जा कुशल बनाने तथा अच्छी संख्या में रोजगार पैदा करने के लिये एमएसएमई क्षेत्र में **जैव–ऊर्जा नीति 2014**, राज्य जल नीति 2009, **सौर नीति 2013** और **उत्तर प्रदे"ा रूफटॉप सौर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट नीति 2014** का कार्यान्वयन करना।
- गैर–पारंपरिक ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल,"**कम प्रयोग, पुनः उपयोग एवं पुनःचक्रण**", प्रौद्योगिकियोका उपयोग करना। गैर–पारंपरिक ऊर्जा/हरित/स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एमएसएमई को बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना।

- वैकल्पिक ऊर्जा के प्रयोग को **15 प्रति"ात** तक बढ़ाया जाना।
- उद्योगों और बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में **जीरो डिस्चार्ज** और **अपशिष्ट प्रबंधन** और **अपशिष्ट जल रीसाइक्लिंग** के लिए उद्योगो की क्षमता में विस्तार करना। सामान्य सुविधा केंद्र और सामूहिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना।
- हरित खाद, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी पर जोर देना और **प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग** के माध्यम से वानिकी, शहद मधुमक्खी पालन, लाख उत्पादन, हस्तशिल्प और सेरीकल्चर जैसे आर्थिक उत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- **जीरो कार्बन फुटप्रिन्ट** संबंधी उत्पादों के प्रयोग को बढ़ावा देना। पर्यावरणीय अनुकूल प्रक्रिया से जनित उत्पादों (**इको लेबल प्रोड्क्ट्स**) को प्रोत्साहित किया जाना। औद्योगिक एवं घरेलू सेक्टर में ऊर्जा दक्षता उपकरणों का उपयोग तथा एनर्जी कन्जर्वे" ान बिल्डिंग कोड प्रमाणित भवनों का प्रयोग।
- **ग्रीन प्रोडक्टिविटी, ग्रीन स्किल्ड मानव संसाधन** के विकास हेतु प्र" ाक्षण सुविधाएं विकसित करना।
- **लीन मैन्यूफैक्चरिंग** के सिद्धान्तों के अनुरूप 07 वेस्ट को न्यून कर औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया में संसाधनों की रिकवरी तथा पुनर्उपयोग। लीन मैन्यूफैक्चरिंग के सिद्धान्तों को लागू कराये जाने हेतु औद्योगिक सेक्टरों की बेंचमार्किंग एवं क्यु.सी.आई., ने" ानल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का सहयोग प्राप्त करना।
- **ग्रीन हाउस गैस** के उत्सर्जन में कमी किया जाना और **कार्बन आफसेटिंग** किया जाना।

लक्ष्य 8.5: वर्ष 2030 तक युवाओं और निःशक्त व्यक्तियों सहित सभी महिलाओं और पुरूषों के लिये पूर्ण लाभकारी रोजगार और उचित कार्य की उपलब्धता तथा समान मूल्य के कार्य के लिये समान भुगतान सुनिश्चित करना।

उपलब्धिः

- **उत्तर प्रदेश असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा नियम 2016** का अनुपालन
- **उत्तर प्रदे"ा भवन एवं सन्निमार्ण (नियोजन तथा सेवा"ार्त विनियमन) अधिनियम, 1996** का क्रियान्वयन

  अब तक कुल 49,98,264 निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण और कुल 213431 निर्माण स्थलों का पंजीयन किया गया है। बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से 1782602 पंजीकृत भवन निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित करते हुए रू 1054.53 करोड़ की धनरा" ा का व्यय किया गया है।

रणनीतिः

- सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के उन्नत कवरेज, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक और उच्च शिक्षा में सुधार और नियमित पाठ्यक्रम में जीवन कौशल और व्यावसायिक कौशल को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- श्रमिक बीमा, स्वच्छ और सुरक्षित कार्य स्थान, लिंग समानता, और समाज के विकलांग और सीमांत वर्गों को शामिल करने के माध्यम से कार्य बल की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना और वि" ोश रूप से सेवा क्षेत्र में विद्यमान वैधानिक

विधानों/प्रावधनों को लागू करके श्रमिकों के रोजगार एवं उनकी आय सुरक्षा को मजबूत करना।

- महिलाओं, निः" ाक्तजनों और समाज के हाि" ाये पर खडे तबके के लोगों का सामाजिक समावे" ा करना और गुणवत्तापरक ि" ाक्षा, स्वास्थ्य और कौ" ाल विकास के माध्यम से जनसांख्यिकी विभाजन को समाप्त करना।
- **समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976** का प्रवर्तन।
- कौशल उन्नयन के माध्यम से एमएसएमई गतिविधियों (उद्यमिता और रोजगार) में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनि" चत करना।
- व्यावसायिक और तकनीकी कौशल सीखने के अवसरों के सृजन के साथ प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में विकलांग व्यक्तियों और हाशिए के वर्गों के साथ युवाओं के जुड़ाव को बढ़ावा देना।
- असंगठित क्षेत्र (बुनकरों, हथकरघा श्रमिकों, वृक्षारोपण श्रमिकों आदि) में श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए **उत्तर प्रदेश असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा नियम 2016** का आच्छादन बढ़ाना।
- भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों को **राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं**, दुर्घटना सहायता योजना, बाल लाभ योजनाएं, निर्माण श्रमिक बालिका आश्रय योजना, विकलांगता पेंशन योजना, निर्माण श्रमिक आवास योजना और खाद्यान्न सहायता योजना (मध्याह्न भोजन), का लाभ पहुंचाना।
- महिला श्रमिकों के लिये एक सुरक्षित और उचित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना।
- महिलाओं को कानून के अनुसार मातृत्व लाभ सुनि" चत करना।
- **समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976** के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन देना।
- नवोदय विद्यालयों की भाँति पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु प्रत्येक मण्डल में अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया जाना।
- श्रमिकों के कल्याण के लिये नयी योजनाओं को लागू किया जाना।

लक्ष्य 8.6—वर्ष 2020 तक रोजगार शिक्षा अथवा प्रशिक्षण से वंचित युवाओं के अनुपात को पर्याप्त रूप से कम करना।

उपलब्धिः वर्तमान में राज्य के सभी विभागों के सहयोग से प्रतिवर्ष लगभग 3.00 लाख युवाओं को विभिन्न माध्यमों से रोजगारपरक प्रि" ाक्षण दिया जाता है

रणनीतिः

- व्यावसायिक और तकनीकी कौशल सीखने के अवसरों के सृजन के साथ प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और हाशिए के वर्गों के साथ युवाओं के जुड़ाव को बढ़ावा देना।
- बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के साथ समन्वय और अभिसरण। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के उन्नत कवरेज, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक

और उच्च शिक्षा में सुधार और नियमित पाठ्यक्रम में जीवन कौशल और व्यावसायिक कौशल को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

- **राष्टोय ग्रामीण आजीविका मिशन** के तहत ग्रामीण क्षेत्र में अजीविका बढ़ाने के लिये प्रि” क्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करना। **सामुदायिक सेवा केन्द्र** ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता के अवसर पैदा करना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनेरगा) के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना।
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना** (वर्ष 2016–2020), **उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन**, पूर्व शिक्षण को मान्यता (**आरपीएल**) एवं अन्य क्षेत्रों में कौ” ाल विकास कार्यक्रमों द्वारा प्रदे” ा में मानव संसाधन का क्षमतावर्धन कर रोजगार के उपयुक्त बनाया जायेगा।
- **राष्टोय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली** के अनुसार रोजगार क्षमता की मांग को पूरा करने के लिए उपाय करना।
- बाजार की मांग के आधार पर पाठ्यक्रम और व्यापार कौशल प्रदान करने हेतु अभिसरण में कम एचडीआई वाले जिलों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ डिप्लोमा स्तर के तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना।
- कौशल की मान्यता और प्रमाणीकरण के साथ व्यावसायिक शिक्षण और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के लिए और अधिक रास्ते बनाना।
- कौशल विकास मिशन के माध्यम से विकलांग महिलाओं और व्यक्तियों के लिए कौशल/नौकरियों के नए सेट डिजाइन करना।
- एमएसएमई और स्वरोजगार की आवश्यकतानुसार तथा बाजार और उद्योगों की मांग के अनुसार लोगों का कौशल उन्नयन।
- विशेष रूप से युवाओं के लिए **सेवा क्षेत्र** के साथ–साथ **कृषि–व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण** पर ध्यान केंद्रित करते हुये उद्यमिता विकास प्रशिक्षण।
- **चैम्पियन सर्विसेज** से युवाओं, महिलाओं को जोड़ने के लिये आव” यक कौ” ाल उन्नयन प्रि” क्षण प्रदान करना।
- प्रदे” ा के ज्यादा से ज्यादा लोगों को ि” ाक्षा, कौ” ाल उन्नंयन से जोड़कर अधिकतम लोगों को रोजगार देने के प्रयास किये जायेगें।
- **वन डिस्टिक्ट वन प्रोडक्ट** योजना एवं **विश्वकर्मा श्रम सम्मान** योजना के अर्न्तगत प्रत्येक जनपद में चयनित परम्परागत उत्पाद के कारीगरों को कौ” ाल उन्नयन प्रि” क्षण।
- नये–नये डिजाइन विकसित करने के लिये **एनआईएफटी, एनआईडी** आदि के कु” ाल डिजाइनरों के मार्गद” िन में हस्ति” ाल्प एवं हथकरघा क्षेत्र में डिजाइन डेवलेपमेंट कार्य” ाालाओं द्वारा ि” ाल्पियों एवे बुनकरों को प्रि” क्षण देकर उनकी उत्पादकता बढ़ाना।
- **प्रधानमंत्री रोजगगार सृजन कार्यक्रम** एवं **मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना** के लाभार्थियों को उद्यमिता विकास प्रि” क्षण।
- **पूर्व शिक्षण की मान्यता** कार्यक्रम द्वारा परम्परागत उद्योगों में लगे ि” ाल्पियों, बुनकरो को कौ” ाल उन्नयन का उन्नत प्रि” क्षण देकर उनके पूर्व ि” क्षण को प्रमाणित करना।
- परिवहन विभाग द्वारा कानपुर में चालक प्रि” क्षण हेतु आटोमैटेड प्रि” क्षण केन्द्र में चालकों को प्रि” क्षण दिया जा रहा है।

- खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को **सोलर चरखे का प्रशिक्षण** देकर रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।
- खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- राज्य में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभागों के आपसी सामंजस्य से बच्चों को प्रारम्भ से ही व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जायेगा।

लक्ष्य 8.7: बेगार का उन्मूलन करने और सबसे खराब प्रकार के बाल श्रम का निषेध और उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिये तात्कालिक और कारगर उपाय करना और वर्ष 2025 तक बाल सैनिकों की भर्ती और उपयोग सहित सभी प्रकार के बाल श्रम का अंत करना।

उपलब्धि:

- वर्तमान में **बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986** और वर्ष 2016 के संशोधन के कार्यान्वयन द्वारा बाल श्रम के उन्मूलन एवं उनके पुनर्वास के लिए राज्य के श्रम विभाग द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। विभाग कार्य स्थल से बच्चों को निकालकर और उनका शैक्षिक पुनर्वास सुनिश्चित करता है। अबतक कुल 110149 बच्चों का चिन्हींकरण किया गया जिसमें से 52518 बच्चे जोखिम वाले कार्य में लगे हुए थे। पहचाने गए बच्चों को औपचारिक शिक्षा में शामिल किया गया और उनके परिवारों को सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है। नियोक्ताओं के खिलाफ और आपराधिक कार्रवाई की गई है।
- **सशर्त नकद हस्तांतरण (सीसीटी) योजना** एवं **विशेष नकद हस्तांतरण कार्यक्रम** का कार्यान्वयन

  उन बच्चों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो अपने गरीब परिवार की स्थिति के कारण बाल मजदूरी में लगे हुए हैं, जैसे कि या तो माता–पिता की मृत्यु, किसी भी पुरानी बीमारी से पीड़ित माता–पिता की स्थायी विकलांगता जो बच्चे को अपने परिवार के तहत कमाने के लिए मजबूर करती है। अब तक कुल 2500 बच्चों एवं उनके परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। विगत ढाई वर्षो में कुल 293 लाभार्थियों पर 25.43 लाख का व्यय हुआ है।

रणनीति:

- बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन और पुनर्वासन करना।
- 14–18 वर्ष की आयु के किशोरों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास करना और सभी कामकाजी बच्चों और किशोरों के लिए पुर्नवास गृह की सुविधा उपलब्ध कराना।
- **आरटीई अधिनियम** और एसएसए के तहत प्रावधानों का उपयोग करके यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चो को स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रदेश में सभी उद्योग बाल श्रम मुक्त हों।
- नए **बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016** के अनुसार सभी बच्चों को श्रम और किशोरियों और खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं से बच्चों को हटाने के लिए विशेष अभियान।

- शहरी क्षेत्रों में घरेलू बाल श्रमिकों को संबोधित करने के लिए, राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलायेगा और नियोक्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा।
- वाणिज्यिक यौन कार्य के लिए मानव तस्करी का मुकाबला करने के लिए, विशेष **मानव–तस्करी विरोधी इकाइयों** का गठन किया गया है। मानव तस्करी को रोकने और मुकाबला करने के लिए इन इकाईयों को एक अभिसरण तरीके से मजबूत करने के लिए और उपाय करना।
- घरेलू काम के लिए प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से लड़कियों की तस्करी रोकने के लिए प्लेसमेंट एजेंसियों को विनियमित करने के लिए कानूनी प्रावधान किए जाएंगे।
- राज्य में किसी भी रूप में बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना।
- बाल श्रम की सामाजिक और सांस्कृतिक स्वीकृति को संबोधित करने और उन्मूलन करने के लिए, राज्य बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाएगा, देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रचार करेगा।
- राज्य सरकार कृषि सहित पंचायतों, ब्लॉकों, जिलों और क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी, जहां बच्चे नियोक्ताओं द्वारा पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में लगे हुए है। राज्य का लक्ष्य प्रदे" । से बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी प्रथा को पूर्णतया समाप्त करना है।

लक्ष्य 8.8: प्रवासी कामगारों और विशेष रूप से महिला प्रवासी कामगारों तथा अनिश्चित रोजगारों में कार्यरत कामगारों के लिये सुरक्षित कार्य परिवेश को बढावा देना और श्रमिक अधिकारों की रक्षा करना।

रणनीतिः

- **प्रवासी श्रम अधिनियम** का कार्यान्वयन
- कार्य बल का बीमा, 'स्वच्छता–सुरक्षित' कार्य स्थल
- सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षित और सुरक्षित कार्य वातावरण के लिए श्रम कानूनों का प्रवर्तन
- प्रवासी श्रमिकों की आधार पहचान पत्र के आधार पर बुनियादी सेवाओं तक पहुँच।

लक्ष्य 8.9: वर्ष 2030 तक, रोजगारों का सृजन करने वाले तथा स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को बढ़ावा देने वाले संधारणीय पर्यटन को बढ़ावा देने की नीतियां तैयार करना और उन्हें लागू करना।

उपलब्धिः

- उत्तर प्रदेश भारत के हृदयस्थल में संस्कृतियों के मिलन और आस्था के संगम के अनोखे दृश्यों को समेटे एक अनूठा प्रदेश है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में पूरे उप–महाद्वीप की दो महान प्राचीन नदियों गंगा और यमुना के किनारे संस्कृतियों और धार्मिक रीतियों का उद्गम हुआ। गंगा और यमुना के दोनों ओर बसे नगरों में जिन धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और बौद्धिक परम्पराओं का विकास हुआ है उसने पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व को एक नई दिशा दी है। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, बनारस में पर्यटन विकास की योजनायें चलाई जा रही हैं।

रणनीतिः

- व्यवसाय के अवसरों, रोजगार के अवसरों, सामूहिक/सामुदायिक आय को बढ़ाकर और पर्यटन का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढाँचे और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच द्वारा समावेशी विकास सुनिश्चित करना।
- उप–क्षेत्रों की गतिशीलता को समझने के लिए विस्तृत क्षेत्रीय सर्वेक्षण।
- ग्रामीण गतिविधियों में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/सहकारी आंदोलन द्वारा ग्रामीण जनता के लिये जीविकोपार्जन के नये आयाम खोजना।
- व्यवसाय के अवसरों, रोजगार के अवसरों, सामूहिक/सामुदायिक आय को बढ़ाकर और पर्यटन का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढाँचे और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच द्वारा समावेशी विकास सुनिश्चित करना और विश्व बैंक सहायतित् **उ0प्र0 प्रो–पुअर पर्यटन विकास परियोजना** के अन्तर्गत **सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलेपमेंट** एवं स्थानीय गरीब समुदाय की आय वृद्धि, रोज़गार सृजन तथा उन्हें मूलभूत सुविधाओं से लाभान्वित करना। राज्य में ईको पर्यटन का विकास कर क्षेत्रीय जनता को उससे जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराना।
- **ओडीओपी** एवं **हस्ति"ाल्प विपणन विकास सहायता योजना** द्वारा राज्य के हस्ति" ाल्प, हथकरघा एवं अन्य उत्पादों के कामगारों को दे" ा और प्रदे" ा के विख्यात मेलों, प्रद" ानियों में प्रतिभाग कराकर उनकी बिक्री बढ़ाने के लिये नये बाज़ार उपलब्ध कराना और उनके उत्पादों का विक्रय **अमेजॉन एवं फ्लिपकार्ट** के माध्यम से कराया जाना।
- **खादी एवं ग्रामोद्योग के कामगारों** के स्वयं सहायता समूह गठित कर उन्हें वित्तीय सहायता तथा उनके उत्पादों के लिये नये बाज़ार खोजना।

लक्ष्य 8.10: **सभी के लिए बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाओं की पहुंच को प्रोत्साहित और विस्तारित करने हेतु घरेलू वित्तीय संस्थानों की आईसीडीएस क्षमता का सुदृढ़ीकरण करना।**

उपलब्धिः

- प्रधानमंत्री रोजगगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत नई इकाई लगाने वाले उद्यमियों को बैंक के माध्यम से ऋण दिलवाया जा रहा है।
- **वन डिस्टिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम** के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में चयनित परम्परागत उत्पाद के उत्पादकों को बैंक के माध्यम से तथा हस्ति" ाल्प दस्तकारों एवं बुनकरों को मुद्रा योजना के अन्तर्गत व्यवसाय बढ़ाने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
- हस्ति" ाल्प दस्तकारों, बुनकरों एवं खादी कामगारों को **महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना** एवं **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना** के अन्तर्गत बीमित करवाया जा रहा है।

रणनीतिः

- एमएसएमई के ऋणों को **माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज क्रडिट गारंटी फंड टस्ट** के अर्न्तगत आच्छादित कराना।
- केन्द्र और राज्य सरकार की सभी रोजगार सृजन, क्रेडिट लिंक्ड योजनाओं आजीविका आधारित करना और उनमें आर्थिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों को आच्छादित करना।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के लिए वित्तीय साक्षरता के लिये पहल करना।
- एमएसएमई, कारीगरों, बुनकरों, कार्यबल आदि के डेटा बैंक को आधार से जोड़ना।
- आधार लिंक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली का दायरा और अधिक बढ़ाना।
- सामान्य आवेदन–पत्र का उपयोग कर अंतर–विभाग समन्वय के साथ ऑनलाइन **एकल–खिड़की** मंजूरी प्रणाली का प्रयोग करना।

माइलस्टोनः

क्रम	गतिविधि	वर्तमान	2022	2024	2030
1	आर्थिक विकास (जीडीपी 2011–12)	6.0	6.7	7.8	9.0
2	एमएसएमई की संख्या (लाख)	42.00	45.00	55.00	70.00
3	कार्यबल का रोजगार (लाख)	105.00	118.00	130.00	175.00
4	निर्यात (करोड़ रुपये)	1,14,000	1,35,000	1,50,000	2,00,000
5	हस्तकला का निर्यात (रु करोड)	9,500	12,000	18,000	30,000
6	हथकरघा उत्पादन (मिलियन मीटर)	50.8	57.0	60.0	70.0
7	पावरलूम उत्पादन (मिलियन मीटर)	2,950.00	3,350.00	3,500.00	4,500.00
8	मत्स्य उत्पादन (लाख टन)	12.00	15.00	18.00	24.00
9	कच्चा रेशम उत्पादन (मीट्रिक टन)	330.00	410	510	824
10	नामित औद्योगिक भूमि प्रतिशत	0.06	0.07	0.09	0.12
11	कौशल उन्नयन (संख्या करोड़)	10.00	14.00	30.50	65.00
12	दुग्ध उत्पादन (प्रति दिन लाख किलो)		742.88	962.22	1,196.47
13	क्लस्टर विकास परियोजनाओं की संख्या	15	20	30	50
14	पर्यटकों की आमद (लाख)	2,888.61	3,200.00	3,528.00	4,728.00
15	पर्यटन क्षेत्र में रोजगार (लाख में)	2.28	3.75	4.50	7.00
16	मत्स्य क्षेत्र में रोजगार (लाख में)		5.00	8.50	12.00
17	बागवानी क्षेत्र का विस्तार (हेक्टेयर)		30,000	50,000	1,30,000
18	वानिकी श्रम (व्यक्ति दिनों की संख्या लाखों में)		200	400	700
19	आईटी सिटी की संख्या	1	1	1	1
20	इलेक्ट्रानिक सिटी की संख्या	0	1	1	1
21	आईटी पार्क की संख्या	8	8	110	15
22	स्टार्ट अप की संख्या	200	1000	1500	3000
23	इन्कयुबेटर की संख्या	25	75	100	200

सतत विकास लक्ष्यः 9 उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं

विजन

राज्य सरकार का उद्दे" य एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जिससे नागरिकों के जीवन–स्तर के उन्नयन तथा उद्योगों की स्थापना व संचालन को स्थायित्व प्रदान करने हेतु गुणवत्तापरक व समान रूप से अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इस दि" ा में सरकार का लक्ष्य यह है कि स्थायी व जीवंत नीतिगत् ढांचा तैयार किया जाए तथा अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करके वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी औद्योगिक भाक्ति विकसित हो सके। इसके लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, उत्पादन प्रणालियों तथा सुदृढ़ बुनियादी ढांचे का विकास करके एक स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण के सृजन को वरीयता दी जाएगी।

दृष्टिकोण

राज्य सरकार समेकित आर्थिक विकास एवं जीवन–स्तर में सुधार करने के लिए औद्योगीकरण को गति प्रदान करने हेतु भौतिक तथा डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर कार्य करती है और सतत् रूप से करती रहेगी। सुदृढ़ व उच्च श्रेणी की अवस्थापना सुविधाओं के विकास में ऊर्जा की आव" यकता के अधिकतम अं" ा की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से करने को प्राथमिकता दी जाएगी। निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी को सक्रिय रूप से प्रेरित किया जाएगा। नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) को प्रोत्साहित किया जाएगा, निर्बाध रूप से नए क्षेत्रों में विकास एवं निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। नीति की दिशा रोजगार सृजन तथा स्थायी एवं सर्वसमावेशी औद्योगीकरण पर केंद्रित होगी।

लक्ष्य 9.1– सभी के लिये किफायती और न्यायसंगत पहुंच पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आर्थिक विकास और मानव कल्याण हेतु सहायता प्रदान करने के लिये क्षेत्रीय और सीमा पार अवसंरचना सहित गुणवत्तापूर्ण विश्वसनीय, संधारणीय और समुत्थानशील अवसंरचाना का विकास करना।

उपलब्धिः

- आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे तथा यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी के लिए कनेक्टिविटी में वृद्धि।
- जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कों का 4–लेन चौड़ीकरण।
- नोएडा एवं लखनऊ में संचालित मेट्रो रेल का विस्तार।
- लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लम्बे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का विकास।
- चित्रकूट को आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले 290 किलोमीटर लम्बे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे का विकास।

- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 88.5 किलोमीटर लम्बे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का विकास।
- कुशीनगर तथा आगरा में दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विकास।
- जेवर में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास।
- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना 'उडान' के अन्तर्गत् राज्य में 8 वायुसेना के हवाई अड्डे, 16 हवाई पट्टियां तथा 3 सिविल हवाई अड्डों का विकास।
- बोडाकी, ग्रेटर नोएडा में मल्टी–मोडल ट्रांसपोर्ट हब का विकास।
- ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर का 57 प्रति" ात् तथा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर का 8.5 प्रति" ात् आच्छादित क्षेत्र (Catchment area) उत्तर प्रदेश में है, इनके विकास में सहयोग।
- दादरी–नोएडा–गाजियाबाद निवे" ा क्षेत्र का विकास।
- आईटी सिटी, लखनऊ का और विकास व विस्तार।
- सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं (आईटी/ आईटीईएस) के विकास के पूरक के रूप में सहायक अवस्थापना सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहन, जिसमें पीपीपी परियोजनाओं के माध्यम से विश्वस्तरीय विद्यालयों, चिकित्सालयों और अन्य सुविधाओं का विकास।
- सम्पूर्ण राज्य में तीव्र एवं विश्वसनीय इंटरनेट तथा मोबाइल टेलीफोन्स के भौतिक नेटवर्क का विस्तार।
- किफायती आवास योजनाओं के माध्यम से आवासों की व्यवस्था करना।

रणनीतिः

- अमरोहा, बुलंद" ाहर, बदायूं, " ाहजहांपुर, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से होते हुए मेरठ से प्रयागराज तक 600 किलोमीटर लम्बे गंगा एक्सप्रेसवे का विकास।
- कानपुर, मेरठ, वाराणसी एवं गोरखपुर में मेट्रो रेल का विकास।
- वाराणसी मल्टी–मोडल टर्मिनल का अंतर्दे" ाीय नदी बंदरगाह के रूप में विकास, जो हल्दिया बंदरगाह से सीधे जुड़ेगा।
- दादरी में मल्टी–मोडल लॉजिस्टिक्स हब का विकास।
- टियर–2 एवं टियर–3 नगरों में आईटी सिटीज़ और आईटी पार्कों का निर्माण।
- नियोजित शहरीकरण हेतु भवन–उपनियमों एवं संहिताओं को कड़ाई से लागू करना।
- बेहतर ठोस एवं तरल अपि" ाष्ट प्रबन्धन (Solid & Liquid Waste Management) तथा जल एवं स्वच्छता हेतु अवस्थापना विकास (Water & sanitation Infrastructure)।

लक्ष्य 9.2: समावेशी और संधारणीय औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग की हिस्सेदारी में पर्याप्त वृद्धि करना और अल्प विकसित देशों में इसकी हिस्सेदारी को दुगुना करना।

उपलब्धिः

- व्यवसाय के अनुकूल व सक्षम वातावरण का सृजन (Ease of Doing Business)।
- भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा संदर्भित ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के सुधारों को राज्य में लागू करने के फलस्वरूप 92.89 प्रति" ात् स्कोर तथा 'एचीवर स्टेट' की श्रेणी प्राप्त की है।
- निवे" ा मित्र पोर्टल भारत में सबसे बड़े सिंगल विण्डो पोर्टल्स में से एक है, जिसके माध्यम से 20 विभागों की 118 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जाती हैं।
- सम्पूर्ण राज्य में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस तथा निवे" ा मित्र के प्रति जागरुकता एवं प्रि" ाक्षण अभियान संचालित।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा उद्योग–विशिष्ट क्लस्टरों का विकास एवं गठन।
- मानव संसाधनों का कौ" ाल विकास तथा विभिन्न सेक्टरों की आव" यकताओं के अनुसार उनसे जोड़ना।
- उत्तर प्रदेश को उत्कृ' ट निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित एवं प्रचारित करने तथा अनेक सेक्टरों में निवे" ा आकर्शण हेतु भारत में विभिन्न नगरों, यथा– हैदराबाद, बंगलूरू, मुम्बई, अहमदाबाद, दिल्ली और कोलकाता में रोड–शो आयोजित किए गए।
- वर्श 2018 में उ. प्र. इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन किया गया, जिसमें 30 लाख से अधिक रोजगार सृजन की संभावना के साथ कुल 4.28 लाख करोड़ रुपये के निवे" ा प्रस्ताव वाले कुल 1045 समझौता–ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
- माह जुलाई 2018 में इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन के मात्र 5 माह के भीतर ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह के प्रथम् चरण में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक निवे" ा तथा 2.06 लाख संभावित रोज़गारों वाली 81 परियोजनाओं का शि" ालान्यास किया गया ।
- ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह के द्वितीय चरण में लगभग 65,000 करोड़ रुपये के निवे" ा की 250 से अधिक परियोजनाओं का शि" ालान्यास किया गया।
- व्यापक उ0प्र0 औद्योगिक विकास एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति 2017 प्रख्यापित।
- राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देने वाली कतिपय अन्य नीतियां इस प्रकार हैं– उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017, उ0प्र0 खाद्य–प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017, उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति 2017, उ0प्र0 वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति 2018, नागर विमानन प्रोत्साहन नीति 2017, फार्मास्युटिकल उद्योग नीति 2018, रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति 2018 आदि।
- राज्य में वित्त एवं अन्य सुविधाओं तक उद्यमियों की आसान पहुँच सुनि" चत करना।
- उच्च रोजगार सृजन करने वाले उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का निरूपण।
- उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति 2017 का प्रख्यापन।

- राज्य में स्टार्ट–अप्स के वित्त पोशण हेतु रु. 1000 करोड़ का उ. प्र. स्टार्ट–अप कोश की स्थापना।
- रणनीतिः
- निवे" ा–मित्र पोर्टल भारत में सबसे बड़े सिंगल विण्डो पोर्टल्स में से एक है, जिसके माध्यम से सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जाती हैं। वर्श 2024 तक सभी सम्बंधित सेवाएं निवे" ा मित्र में सम्मिलित कर दी जाएंगी।
- वर्श 2019–20 में उत्तर प्रदे" ा में प्रथम् बार जिला–स्तरीय ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस कार्यक्रम तथा जिलों की रैंकिंग की योजना।

लक्ष्य 9.3– विशेष रूप से विकासशील देशों में लघु उद्योगों तथ अन्य उद्यमों के लिये किफायती ऋण सहित वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता तथा मूल्य श्रृंखलाओं और बाजारों में उनके एकीकरण में वृद्धि करना।

उपलब्धिः

- राज्य के प्रत्येक जिले के पारंपरिक एवं वि" िश्ट उत्पादों के प्रोत्साहन हेतु 'एक जिला–एक उत्पाद' (ओडीओपी) योजना संचालित।
- विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए वि" ोश रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में प्रोत्साहन हेतु निम्नवत् उपाय किये जाएंगे–
- आपूर्ति श्रृंखलाओं का ऊर्ध्वाधर एकीकरण करना।
- डिजाइन तथा उत्पाद के विकास को बाजार की मांग से जोड़ना ।
- विकेन्द्रीकरण के आधार पर संतुलित विकास करना।
- पिछड़े हुए क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुसंधान व विकास करना।
- स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप क्षेत्र–विशिष्ट उद्योगों को प्रोत्साहन।
- सूचना एवं संचार प्रोद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- विशेषीकृत संस्थानों से तकनीकी संयोजन (लिंकेज) तथा तकनीकी इन्क्यूबेटरों की स्थापना।
- हथकरघा, हस्तशिल्प व संबद्ध क्षेत्रों को ब्रांडिंग एवं विपणन में सहायता।
- मशीनरी के क्रय तथा उत्पादन के लिए तकनीकी परामर्" ी सेवाओं हेतु वित्तीय सहायता।

लक्ष्य 9.4– वर्ष 2030 तक सभी देशों द्वारा अपनी–अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्यवाही करते हुए वर्धित संसाधन उपयोग कुशलता तथा स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों एवं औद्योगिक प्रकियाओं के और अधिक अंगीकरण के साथ उद्योगों को संधारणीय बनाने के लिये उन्हें रेट्रोफिट करना और अवसंरचना का स्तरोन्नयन करना।

उपलब्धिः

- गैर–पारंपरिक ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों का उपयोग।
- कम करने (Reduce), पुनःप्रयोग (Reuse)] पुनर्चक्रण (Recycle) में नवाचारों (Innovation) को प्रोत्साहित करना।
- जल प्रबंधन सहित पर्यावरण नियामक अनुपालन में सुधार करना।
- ऊर्जा क्षेत्र में अग्रसक्रिय नीतियों को अपनाना।
- अपर्" ाश्ट को कम करने हेतु ऊर्जा भण्डारण प्रणालियों के सम्बंध में उत्पादकता तथा प्रौद्योगिकी तक पहुंच में सुधार के लिए लक्षित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।
- नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से जागरुक कर वायु एवं जल प्रदूषण के स्तर के सम्बंध में सूचना विषमता को कम करना।
- उद्योगों द्वारा संसाधन पुनःप्राप्ति (recovery) प्रणाली को लागू करना तथा जीवाश्म ईंधन के स्थान पर स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करना।
- उद्योगों के लिए सर्व सुविधा केंद्रों (Common Facility Centres) तथा सर्व उत्प्रवाह उपचार संयंत्रों (Common Effluent Traetment Plants) का विकास करना।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) तथा भारी उद्योगों हेतु पर्यावरण के प्रति संवेदनशील तथा अनुक्रियाकु" ाल विनियमों को लागू करना।

लक्ष्य 9.5– वर्ष 2030 तक नवोन्मेष को प्रोत्साहित करके और प्रति 1 मिलियन लोगों में अनुसंधान और विकास कामगारों की संख्या को बढ़ाकर तथा सार्वजनिक और निजी अनुसंधान और विकास पर व्यय को बढ़ाकर सभी देशों में विशेषकर विकासशील देशों में वैज्ञानिक अनुसंधान में वृद्धि करना और औद्योगिक क्षेत्रकों की प्रौद्योगिकी क्षमताओं का स्तरोन्नयन करना।

उपलब्धिः

- राज्य में अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु बजटीय प्रावधान।
- नवाचार जनित उद्यमशीलता विकास हेतु नीतिगत् ढांचा ।
- राज्य के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कला इन्क्यूबे" ान तथा त्वरण केंद्रों का विकास, सीड (वित्त–पोशण) कोषों की स्थापना तथा उद्यमशीलता पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना।

रणनीतिः

- अनुसंधान एवं विकास में औद्योगिक निवेश के साथ–साथ राज्य में अनुसंधान एवं विकास की अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- विशेषीकृत संस्थानों में प्रौद्योगिकियों के विकास तथा तकनीकी लिंकेज स्थापित करने के लिए तकनीकी इनक्यूबेटरों को स्थापित किया जाएगा।

सतत विकास लक्ष्यः 10 असमानताओं में कमीं

विजन

उत्तर प्रदेश सरकार गरीबी में जीवनयापन कर रहे लोगों का उन्नयन करने वाले समुचित लोकनीति हस्तक्षेपों के माध्यम से असमानताओं में कमीं लाने के लिये प्रतिबद्ध है। राज्य, स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्तापरक सेवाएं प्राप्त करने, कमजोर वर्गो हेतु सामाजिक सुरक्षा का ठोस आधार प्रदान करने, निर्धनता न्यूनकरण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीण अवसंरचना तथा कृषि में लोक निवेश की वृद्धि सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास करेगी। सामाजिक एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्गो की अधिकाधिक सहभागिता हेतु और न्याय प्रदान करने के विद्यमान तौर–तरीकों में दक्षता लाने हेतु शासकीय ढांचों को अपेक्षाकृत अधिक सशक्त करना होगा। राज्य में सर्वाधिक वंचित व्यक्तियों को पहचान प्रदान करने और मूलभूत गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के निमित्त उन्हें सहायता प्रदान करने तथा सामाजिक सुरक्षा से आच्छदित करने के लिये ग्राम पंचायतो को सशक्त बनाने पर जोर दिया जायेगा।

दृष्टिकोण

परम्परागत समाज में असमानता को कम करने के उद्दे" य से सामाजिक असमानता की व्याख्या करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वंचित जन समूहों की आवाज और उनके प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने हेतु उनका सामाजिक समावे" ा महत्वपूर्ण होता है ताकि आर्थिक तथा सामाजिक जीवन की स्थितियों में सुधार लाने की उनकी आकांक्षा को पूरा किया जा सके। सामूहिकता के इस दृष्टिकोण से ही विषमता के सम्बंध में व्याख्या करने हेतु कार्यक्रम तथा योजनायें बनायी जायेंगी और उन्हें क्रियान्वित किया जायेगा। सरकार का मुख्य दृष्टिकोण, प्राथमिक बाधाओं को दूर करने वाले और समावेशन हेतु विद्यमान आधारों को सशक्त करने वाली अति आवश्यक सेवाओं की गुणवत्ता तथा उनके विस्तार में सुधार करके समावेशी विकास करना है। उक्त प्रयास विशिष्टतः, सूचना के सम्बंध में अवरोधकों को कम करने में समुचित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने पर भी लक्षित है। समावेशी विकास अपेक्षाकृत अधिक पारिश्रमिक रोजगार तथा स्वास्थ्य–परिणामों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु बच्चों की सार्वभौमिक पहुँच और विद्युत, जल ,सड़क, स्वच्छता तथा आवास जैसी मूलभूत सुंविधाओं की व्यवस्था में सुधार के रुप में प्रतिबिम्वित होगा। हस्तक्षेपों पर अल्पकालिक एवं दूरगामी प्रभाव डालने के लिये महिलाओं एवं बच्चों, पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

लक्ष्य

10.1– वर्ष 2030 तक आबादी के सबसे निचले 40 प्रतिशत लोगां की आय को राष्ट्रीय औसत से अधिक दर से बढ़ाना तथा उसे बनाये रखना।

10.2– वर्ष 2030 तक हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से सशक्त करना और बढ़ावा देना, चाहे वे किसी भी उम्र, लिंग, अशक्तता, प्रजाति, मूल, धर्म अथवा आर्थिक या अन्य स्थिति के हों।

10.3– समान अवसर सुनिश्चित करना तथा आय की असामनता को कम करना जिसके लिये भेदभावपरक कानूनों, नीतियों और व्यवहारों को समाप्त करना और इस संबंध में उपयुक्त विधान, नीतियों और कार्यवाई को प्रोत्साहित करना।

10.4– खासकर मौद्रिक, वेतन तथा सामाजिक संरक्षण नीतियों को अंगीकृत करना ओर कमशः उच्चतर समानता प्राप्त करना।

10.5– वैश्विक वित्तीय बाजारों और संस्थानों के विनियमन तथा अनुवीक्षण को बेहतर बनाना और एसे विनियमनों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना।

10.6– वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक तथा वित्तीय संस्थानों में निर्णयकारी प्रकिया में विकासशील देशों के लिये प्रतिनिधित्व तथा स्वर सुनिश्चित करना ताकि संस्थानों को अधिक प्रभावी, विश्वसनीय, उत्तरदायी तथा विधायी बनाया जा सके।

10.7– लोगों का व्यवस्थित, सुरक्षित, नियमित तथा उत्तरदायी प्रवास और गतिशीलता को सुगम बनाना जिसमें सुनियोजित तथा सुप्रबंधित प्रवास नीतियां शामिल हैं।

10.क– विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार, विकासशील देशों और खासकर सबसे कम विकसित देशों के लिये विशेष और अलग व्यवहर के सिद्धान्त का कार्यान्वयन।

10.ख– खासकर सबसे कम विकसित देशों, अफ्रीकी देशों, छोटे द्वीपों, विकासशील राज्यों तथा जमीन से घिरे विकासशील देशों के ऐसे राज्यों के लिये उनकी राष्ट्रीय योजनाओं तक कार्यकमों के अनुरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित राजकीय विकास सहायता तथा वित्तीय प्रवाह को प्रोत्साहित करना जिनकी आवश्यकतायें सर्वाधिक हैं।

10.ग– वर्ष 2030 तक प्रवासियों के लेनदेन लागत को घटाकर 3 प्रतिशत से कम करना तथा 5 प्रतिशत से अधिक लागत वाली जमा व्यवस्थाओं को समाप्त करना।

उपलब्धिः

- 60 वर्श से अधिक आयु के निराश्रित वृद्धों की पें" ान रू0 400/– से रू0 500/– करते हुए गत वर्श रिकार्ड 41.57 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया है।

- **दिव्यांगजन की पें"ान रू0 300/— से बढ़ाकर रू0 500/—** करते हुये लगभग 10 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया है।
- राश्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना अन्तर्गत रू0 20 हजार की एकमु" त सहायता देते हुये लगभग 22 हजार परिवारों को लाभान्वित किया गया है।
- निराश्रित वृद्धों की समुचित देखभाल एवं आश्रय देने हेतु समस्त जनपदों में वृद्धाश्रमों की स्थापना करते हुये विधिक मदद हेतु तहसीलवार, सुलह अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है।
- मानसिक उपचारित व्यक्तियों के पुर्नवास हेतु वृद्धाश्रमों में लॉग स्टे होम व हॉफ वे होम की स्थापना की गयी है।
- **मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना** अन्तर्गत अब तक 68 हजार कन्याओं के विवाह कराये गये।
- **निर्धन पुत्री विवाह योजना** अन्तर्गत अब तक 05 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया है।
- छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभिभावकों की आय सीमा रू0 02 लाख से बढ़ाकर रू0 02.50 लाख वार्शिक की गयी।
- वर्श 2018—19 में सभी वर्गों के रिकार्ड 01 करोड़ से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को पूर्वद" ाम् छात्रवृत्ति रू0 2250 से बढ़ाकर रू0 03 हजार की गयी।
- पारदर्" िता को बढ़ाने के उद्दे" य से प्रत्येक वर्श 02 अक्टूबर से सीधे बैंक खाते में छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था बनायी गयी है।
- अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम के अन्तर्गत 15 हजार से अधिक परिवारों को रू0 155 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गयी है।
- अत्याचार उत्पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने हेतु 25 नये वि" ोश अदालतों का गठन किया गया।
- **वनटांगिया, मुसहर, कोल तथा थारू समुदाय के ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं को विकसित किये जाने की कार्ययोजना का क्रियान्वयन।**
- 18 नये आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना का निर्णय लेते हुये सभी जनपदों को संतृप्त करने की योजना लागू की गयी है।
- अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जनपदों (सोनभद्र, ललितपुर एवं बहराइच) में नये एकलब्य माडल स्कूल की स्थापना की गयी है।
- श्रमिकों के बच्चों की ि" ाक्षा हेतु 18 मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
- तीन तलाक जैसी कुप्रथा को दण्डनीय अपराध घोशित कर मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न रोकने एवं लैंगिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

- मुस्लिम महिलाओं को सुविधा देते हुये हज यात्रा पर बिना महरम जाने की सुविधा प्रदान की गयी है।
- आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को भी ि" ाक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 10 प्रति" ात आरक्षण की साहसिक पहल की गयी है।
- मदरसों में भी सी0बी0एस0सी0 बोर्ड के समान पढ़ाई की व्यवस्था लागू करते हुये छात्रो को एन0सी0सी0 एवं एन0एस0एस0 से जोड़ा गया तथा छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।
- किन्नर समुदाय को सम्मानजनक जीवनयापन एवं समाज की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु **ट्रान्स जेन्डर बोर्ड के गठन** की पहल की गयी है।
- लैंगिक सन्तुलन एवं कन्या भ्रूण हत्या रोकने की दृश्टि से **मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना** का भ्ाुभारम्भ किया गया है।

रणनीतिः

ऐसे सभी प्रयासों, जो गरीबी, अि" ाक्षा, भौगोलिक विकास में असंतुलन, कुपोशण इत्यादि को कम करने हेतु केन्द्रित है, से समाज में व्याप्त असमानता को दूर किया जा सकता है। आय के साथ–साथ उपलब्ध सेवाओं में बढ़ोत्तरी हेतु सभी आव" यक प्रयास किया जायेगा ताकि अगले 15 वर्शों में गरीबी को दूर करने में सफलता प्राप्त हो। ि" ाक्षा का सार्वभौमिककरण, गुणवत्ता बढ़ाये जाने, भ्ाालाओं में योग्य एवं समुचित ि" ाक्षकों की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास एवं आधुनिक तकनीक का ज्यादा प्रयोग, ि" ाक्षा परिशदों के कार्यो में मूल्यवर्धन के साथ–साथ ि" ाक्षकों का गुणवत्तापूर्ण प्रि" ाक्षण, ि" ाक्षण प्रि" ाक्षण संस्थाओं का पुर्नगठन, मांग आधारित प्रि" ाक्षण दिया जायेगा।

- स्वरोजगार के माध्यम से अवसर उपलब्ध कराने हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को बैंकों एवं विविध वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ऋण एवं कौ" ाल सरल भार्तो पर प्रदान करने के साथ–साथ श्रम बाजारों में वंचित समूहों की भागीदारी बढ़ाने हेतु लचीले श्रम कानून एवं वृहद सामाजिक सुरक्षा का भी विकास किया जायेगा।
- कृशि क्षेत्र में विकास दर को तेजी से बढ़ाने हेतु कृशि विस्तार योजनाओं को समयान्तर्गत एवं कु" ालता से समस्त किसान भाईयों तक पहुॅचाना।
- ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों द्वारा परम्परागत गेंहू एवं धान की खेती के अतिरिक्त कृशि क्षेत्र में विविधीकरण (डाईवर्सिफिके" ान) के साथ–साथ डेयरी, प" ाुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि का इन्टीग्रेटेड बहुद्दे" ाीय कृशि माडल अपनाया जाना।
- ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को वंचितों तक पहुॅच कर आसान एवं सरल भार्तो पर वित्त एवं कौ" ाल उपलब्ध कराने के साथ–साथ वित्तीय साक्षरता एवं अर्थव्यवस्था से भी जोड़ने की योजना सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुॅचाना।

- लैगिंक संवेदनात्मक एवं दिव्यांग मैत्रीपूर्ण भाासकीय संरचना एवं लोक सेवायें।
- विकास कार्यक्रमों हेतु जेन्डर बजटिंग एवं दृश्टिकोण।
- अल्पसंख्यकों हेतु आव" यक वित्तीय कार्यक्रम एवं समावे" ाी नीतियों का क्रियान्वयन।

प्रत्येक स्तरों यथा ग्राम, ब्लाक/तहसील, नगर पंचायत/नगर पालिका, जनपद स्तर पर पात्रों का चयन करते हुये लाभार्थियों को एक बहुउद्देशीय प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना ताकि लाभार्थी अपने से सम्बन्धित समस्त योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। इस तरह राज्य में सभी क्षेत्रों को लाभार्थियों की दृष्टि से संतृप्त करने के लिये योजनाबद्ध रूप से कार्य तंत्र विकसित करना अपेक्षित है।

सतत विकास लक्ष्यः 11 संवहनीय भाहर और समुदाय

विजन

उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त शहरों व कस्बों में समावेशी, सुरक्षित, अनुकूलतम, आपदा–रहित, स्लम–मुक्त एवं स्मार्ट आई.टी. की पहुँच सहित, सतत् सक्षम प्रशासन, मूलभूत नगरीय सुविधायुक्त; यथा परिवहन सुविधायें, मार्ग–प्रकाश, पर्याप्त, सुरक्षित एवं सस्ते आवास व स्वच्छ, स्वस्थ एवं जीवनयोग्य वातावरण के साथ हरित व खुले सार्वजनिक स्थान, मलिन बस्तियों के उन्नतिकरण एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु कटिबद्ध है।

दृष्टिकोण

नगरों व शहरों का नियोजन और विकास नागरिकों की भागीदारी पर केन्द्रित है। इसलिए शहरों और नगरों के विकास की परिकल्पना सहभागिता के दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें सार्वजनिक व निजी भागीदारी, गैर–सरकारी संगठनों और निवासियों के सामूहिक प्रयासों को बढावा मिलता है। शासन–प्रशासन, इस प्रकार के सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देकर लक्ष्य–प्राप्ति के प्रति कटिबद्ध है।

शहरी विकास के मूल में नगरीय–विकास हेतु बहु–नगरपालिका की परिकल्पना है। विकास के नये आयामों के सदर्भ में शासन–प्रशासन की संगठनात्मक व्यवस्था को लचीलेपन के साथ विकसित करना हैं एवं इसके प्रबन्धन को और अधिक क्रिया" ाील बनाने के लिए उक्त व्यवस्था को शा" वत बनाना होगा। शहरी क्षेत्रों में पानी की आवश्यकताओं की चुनौतियों का सामना करने के लिए जल संसाधनों के समुचित उपयोग को अपनाया जायेगा। जिसके लिए पानी के विभिन्न स्त्रोतों जैसे भूजल, सतही जल और वर्षा जल संचयन, जिसमें रिचार्ज/रूफ वॉटर संचयन एवं पाईपलाईन द्वारा अधिक अन्तरण सम्मिलित है, पर निर्भरता में बदलाव लाने की आवश्यकता है। जल आपूर्ति के सामुदायिक प्रबन्धन हेतु जल स्त्रोतों एवं संसाधनों के स्वामित्व और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा एवं प्रोत्साहित करने की संकल्पना करता है।

- वैश्विक अनुभव है कि राष्ट्रीय स्तर पर समाजिक, आर्थिक उन्नति और रोजगार के अवसरों के सृजन करने में शहरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश में आज तेजी से शहरीकरण हो रहा है और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 22.2 प्रतिशत आबादी शहरों में निवासरत थी और विगत वर्षों के अनुभव तथा आकड़े यह परिलक्षित करते है कि शहरी क्षेत्रों में आबादी की वृद्धि दर तेजी से बढ़ी है। यह अनुमानित है कि वर्ष 2031 तक प्रदेश की लगभग 36 प्रतिशत आबादी शहरों में होगी।

- मा0 प्रधानमंत्री जी के संकल्प से सिद्धि के आवाहन की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिये मा0 मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में राज्य के शहरों को विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने हेतु प्रतिबद्ध है। विभाग की योजनायें तथा कार्यक्रम जैसे कि अमृत, स्मार्ट सिटी मिशन, हृदय योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना,

मुख्यमंत्री अल्पविकसित मलिन बस्ती विकास योजना, नमामि गंगे, पं0 दीनदयाल उपाध्याय शहरी आवास योजना, कान्हा उपवन गौशाला आदि योजनाओं के माध्यम से शहरों के विकास हेतु किए जा रहे कार्य सतत् विकास के लक्ष्य–11 में वर्णित उद्देश्य ''समावेशी एवं सुरक्षित शहर'' की संकल्पना के अनुरूप है।

लक्ष्य 11.1: वर्ष 2030 तक सबके लिये पर्याप्त, सुरक्षित तथा सस्ते मकान और बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा झुग्गी बस्तियों का विकास।

उपलब्धि एवं रणनीतिः

- सभी के लिये आवास के लक्ष्य की प्राप्ति देश के समावेशी विकास की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत विगत ढाई वर्षों में अब तक 1342982 आवास शहरी क्षेत्र के लिए स्वीकृत किये गये हैं जिसमें से 253750 आवास पूर्ण हो चुके हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्र में आवास उपलब्ध कराने में देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य बन चुका है। देश की स्वतन्त्रता के 75वें वर्ष तक आवासीय सुविधा से प्रदेश के समस्त परिवार शत प्रतिशत संतृप्त हों इस हेतु हम प्रतिबद्ध है।
- आवासीय सुविधा के साथ–साथ शहरों में विद्यमान अल्पविकसित क्षेत्रों (झुग्गी– झोपड़ियों) में बुनियादी सुविधायें विकसित हो इस हेतु चिन्हित अल्पविकसित क्षेत्रों में विकास के लिये मुख्यमंत्री अल्पविकसित मलिन बस्ती विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बुनियादी सुविधाओं के साथ–साथ गरीबों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाते हुए उन्हें तरक्की का अवसर उपलब्ध कराये जाने के लिये पं0 दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। शहरी पथ विक्रेताओं हेतु वेंडिंग जोन और बेघर हेतु आश्रय स्थल उपलब्ध रहें, इस हेतु भी विशेष ध्यान दिया गया है। शहरी आजीविका केन्द्रों के माध्यम से गरीब कामगारों को पंजीकृत कर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारा यह लक्ष्य है कि समस्त अल्पविकसित क्षेत्रों में सतत विकास के उद्देश्य के अनुरूप कोई भी बस्ती अथवा परिवार शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे। वर्तमान में अमृत परियोजनान्तर्गत 01 लाख से ऊपर आबादी के चयनित 60 शहरों में व्यापक रूप से पेयजल, सीवरेज एवं हरित क्षेत्र (पार्कों) के विकास हेतु कुल लगभग 11400 करोड़ की परियोजनाओं पर सरकार कार्य कर रही है। वर्ष 2022 तक इन शहरों में शत प्रतिशत उपरोक्त बुनियादी सुविधाओं को विकसित किये जाने का लक्ष्य है।

लक्ष्य 11.2: वर्ष 2030 तक सबके लिये सुरक्षित, सस्ती तथा सुलभ और संधारणीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराना ताकि सड़क सुरक्षा बढे और सार्वजनिक परिवहन का विस्तार हो तथा कमजोर तबके, महिलाओं, बच्चों, अशक्तों और वृद्धों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जा सके।

उपलब्धि एवं रणनीतिः

इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रदेश सरकार अनेक परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। जहां एक ओर बड़े शहरों में मेट्रो रेल परियोजना पर कार्य किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुकूल इलेक्ट्रिक बसें नगरीय परिवहन हेतु उपलब्ध हो, इस हेतु कार्य आरम्भ कर दिया गया है। लखनऊ नगर में उपरोक्त सुविधा शुरू कर दी गयी है। शीघ्र ही लगभग 700 और इलेक्ट्रिक बसें राज्य के विभिन्न नगरों में संचालित होना शुरू हो जायेंगी। नगरीय बस सेवा का विस्तार अन्य शहरों में किये जाने की कार्ययोजना पर कार्य किया जा रहा है। सिटी बसों को जी0पी0एस0 युक्त बनाते हुए बसों के आवागमन/समय सारिणी के विषय में आम जन को सुगमता से सूचना रहे इस हेतु ''चलो ऐप'' बनाया गया है। परिवहन विभाग के साथ समन्वय कर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा व्यापक रूप से बढ़ाये जाने हेतु कार्य किया जा रहा है। बड़े शहरों में मल्टीलेवल पार्किंग की परियोजना व स्मार्ट सिटी शहरों में इन्ट्रीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम परियोजना पर भी कार्य किया जा रहा है।

लक्ष्य 11.3: वर्ष 2030 तक समावेशी तथा संधारणीय और शहरीकरण तथा क्षमता की वृद्धि ताकि सभी देशों में सहभागितापूर्ण, एकीकृत संधारणीय मानव पुनर्वास योजना व प्रबंधन हो सके।

उपलब्धि एवं रणनीतिः

- शहरों का विकास मानकों के अनुरूप नियोजित किये जाने हतु आवास विभाग के साथ समन्वय कर एक लाख से ऊपर आबादी के समस्त 60 शहरों में मास्टर प्लान को जीआइएस बेस्ड बनाये जाने की परियोजना पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है। अनियोजित विकास पर अंकुश हो इसके लिए 'रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण' (RERA) का गठन करते हुए उसे प्रभावी किया गया।
- पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सतत् विकास की संकल्पना के अनुरूप गैर पारम्परिक ऊर्जा आधारित परियोजनाओं की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। नगरीय क्षेत्र में लगभग 8 लाख परम्परागत स्ट्रीट लाइटों को परिवर्तित कर कम ऊर्जा खपत वाली एलईडी लाइट के अधिष्ठापन का कार्य किया गया है।
- प्रदेश के शहर विश्व स्तरीय शहरों के रूप में विकसित हो, इस हेतु देश के चयनित 100 स्मार्ट सिटीज में से 10 शहर यथा लखनऊ, बनारस, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, झांसी, गाजियाबाद, बरेली, आगरा, मुरादाबाद का चयन उत्तर प्रदेश राज्य से किया गया और इन शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत उपरोक्त चयनित शहरों की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मिशन अन्तर्गत दस हजार करोड़ की धनराशि प्राप्त होगी। प्रदेश के अवशेष नगर निगम भी स्मार्ट शहर के रूप में विकसित हों, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा

इस वर्ष निर्णय लिया गया है। छोटे निकायों के समेकित विकास हेतु पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना प्रारम्भ की गयी है।

लक्ष्य 11.4 : विश्व के सांस्कृतिक और प्राकृतिक दायों की संरक्षा और सुरक्षा के प्रयासों का सुदृढ़ीकरण।

उपलब्धि एवं रणनीतिः

- हेरीटेज बाइलॉज को मास्टर प्लान में अंगीकृत करने हेतु कार्यवाही किये जाने के साथ–साथ पुरातत्व विभाग के साथ समन्वय कर चिन्हित 143 ऐतिहासिक स्मारकों के रख–रखाव को भी सुनश्चित करने की ओर हम प्रतिबद्ध है।
- वैश्विक पटल पर सांस्कृतिक धरोहरों को अप्रतिम पहचान मिले इस हेतु प्रयागराज में आयोजित कुम्भ महापर्व पर विशेष ध्यान दिया गया और पूरे विश्व ने उक्त आयोजन को सराहा तथा हमारी संस्कृति को वैश्विक स्तर पर एक नयी पहचान मिली। हृदय परियोजना के अन्तर्गत मथुरा तथा वाराणसी नगर में ऐतिहासिक/सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने का कार्य किया जा रहा है।
- गोरखपुर में रामगढ़ ताल और झांसी में लक्ष्मी ताल को पुनर्जीवित कर पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया गया। अयोध्या का दीपोत्सव, बरसाना का रंगोत्सव एवं रामायण महोत्सव इत्यादि आयोजनों की शुरूआत सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा की गई अभिनव पहल है।
- विभिन्न देशों के मध्य सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने हेतु की जा रही ट्विन सिटी एग्रीमेंट के क्रम में उजबेकिस्तान के शहर 'समरकन्द' तथा भारत के 'आगरा' शहर के मध्य ट्विन सिटी एग्रीमेन्ट अक्टूबर, 2018 में एवं नगर निगम, आगरा और जार्डन के शहर पेट्रा के मध्य ट्विनिंग एग्रीमेन्ट, फरवरी 2018 में किया गया है।

लक्ष्य 11.5: वर्ष 2030 तक मौतों की संख्या को काफी कम करना तथा जल आपदाओं सहित अन्य आपदाओं सहित सकल घरेलू उत्पादों को होने वाले आर्थिक नुकसान से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या में कमी करना जिसमें कमजोर परिस्थितियों में रह रहे गरीबों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया हो।

उपलब्धि एवं रणनीतिः

- राज्य में आपदाओं की स्थिति में जनहानि और नुकसान को कम किये जाने हेतु आपदा प्रबन्धन के लिये उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा किसी प्रकार की आपदा की स्थिति में जनहानि अथवा आर्थिक नुकसान कम हो, इस हेतु जमीन स्तर से लेकर शासन प्रशासन सर्वोच्च स्तर के मध्य आपदा प्रबन्धन हेतु ऐसी व्यवस्था विकसित की गयी है कि आपदा के कारण जन सामान्य को कठिनाई न हो और यथाशीघ्र राहत उपलब्ध हो सके।

लक्ष्य 11.6: वर्ष 2030 तक नगरों के प्रति व्यक्ति पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को घटाना जिसमें वायु की गुणवत्ता और नगरपालिका तथा अन्य अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना शामिल है।

उपलब्धि एवं रणनीतिः

- वर्ष 2014 में मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा यह संकल्प लिया गया था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर हम खुले में शौच से मुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और उपरोक्त संकल्पना के अनुरूप राज्य के समस्त शहरों में उक्त लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है।
- पर्याप्त संख्या में सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी कराया गया है तथा महिलाओं हेतु पिंक शौचालय विशेष रूप से निर्मित कराये गये।
- नगरीय क्षेत्रों में लगभग 15500 टन प्रतिदिन जनित ठोस अपशिष्ट लगभग 55%–60% अपशिष्ट का प्रसंस्करण एवं पुनर्चक्रण निकायों द्वारा कराया जा रहा है और इस कार्य को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किये जाने हेतु राज्य स्तर से वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति निर्गत की गयी। वर्तमान में 12007 वार्डों में से लगभग 11675 वार्डो मे डोर–टू–डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उपरोक्त को शत प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने हेतु निकाय स्तर पर प्रयास किया जा रहा है।
- प्रदेश के 15 ऐसे शहर जहां की वायु प्रदूषण क्रिटिकल है उन्हें चिन्हित करते हुए पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ समन्वय कर वायु प्रदूषण को कम करने के लिये विशेष परियोजना बनायी गयी, जिसमें समयबद्ध रूप से एक्शन प्लान को लागू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- वर्ष 2018 में अधिसूचना निर्गत करते हुए प्लास्टिक/पॉलिथीन से निर्मित सिंगल यूज डिस्पोजेबल सामग्री को पूर्णतया प्रतिबन्धित किया गया है और अब तक कुल लगभग 645.55 टन प्रतिबन्धित पॉलिथीन सामग्री जब्त की गयी है और दोषियों पर 7.24 करोड़ का जुर्माना किया गया है।

लक्ष्य 11.7: वर्ष 2030 तक खासकर महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और अशक्तों के लिये सुरक्षित, समावेशी और सुगत, हरित तथा सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराना।

उपलब्धि एवं रणनीतिः

- उत्तर प्रदेश ओपन स्पेस एंड प्लेग्राउंड पॉलिसी 1975 के अनुसार राज्य सरकार शहरी इलाकों में खुले स्थानों और हरित क्षेत्र को भवन उपविधि के प्रावधानों को लागू करके बढ़ा रही है।

- प्रदेश के 60 अमृत शहरों में अबतक 432 पार्कों की परियोजनाओं की कार्ययोजना स्वीकृत की जा चुकी है।
- पार्क की सुविधा के साथ–साथ विशेष वृक्षारोपण कर शहरों की हरितिमा को बढ़ाने के उद्देश्य से इस वर्ष कुल 30 लाख वृक्षों के रोपण और किये जाने की परियोजना पर कार्य किया गया।
- आगामी वर्षो में यह लक्ष्य होगा कि सतत् रूप से शहरी क्षेत्रों में एक व्यक्ति–एक वृक्ष प्रतिवर्ष लगाया जाये।

11 कः वर्ष 2030 तक, शहरी, अर्ध–शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सकारात्मक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिए क्षेत्रीय विकास योजना का सशक्तीकरण करना।

- नगर विकास विभाग द्वारा लक्ष्य के अनुरूप अन्तर्विभागीय समन्वय करते हुए यथाव" यक परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जा रहा है और स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं का समग्रता से भलीभांति क्रियान्वयन हेतु जिला योजना समिति का गठन किया गया है।

11.खः वर्ष 2020 तक नगरों तथा मानव बस्तियों की संख्या में वृद्धि के लिये एकीकृत और अनुकूलन हेतु योजनाओं का अंगीकरण और कार्यान्वयन जो सभी स्तरों पर आगामी समग्र आपदा जोखिम प्रबंधन के अनुरूप हो।

11.गः स्थानीय सामग्रियों का उपयोग कर संधारणीय और मजबूत भवनों के निर्माण में, सबसे कम विकसित देशों को समर्थन जिनमें वित्तीय तथा तकनोकी सहायता शामिल है।

माइलस्टोनः

क्र.स.	सतत् विकास वैश्विक लक्ष्य	राष्ट्रीय स्तर पर चयनित संकेतांक	वर्ष 2030 तक प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय लक्ष्य	राज्य स्तर पर उक्त की वर्तमान स्थिति एवं लक्ष्य की प्राप्ति एवं निर्धारण
11.1	वर्ष 2030 तक सबके लिये पर्याप्त, सुरक्षित तथा सस्ते मकान और बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा झुग्गी बस्तियों का विकास।	1. प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत मांग के अनुरूप निर्मित किए गए आवासों का प्रतिशत	100 प्रतिशत	वर्तमान में 14.2 लाख के सापेक्ष लगभग 13.43 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके है जिसके सापेक्ष 2.54 लाख आवास (18%) निर्मित किए जा चुके है। वर्ष 2022 तक उपरोक्त की शत–प्रतिशत प्राप्ति लक्षित है।
		2. झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाले शहरी परिवारों का प्रतिशत	0 प्रतिशत	वर्तमान में प्रदेश में 3.12 प्रतिशत परिवार नगरीय क्षेत्र में झुग्गी–झोपड़ी में है, वर्ष 2024 तक इनमें 50 प्रतिशत की कमी लक्षित है और वर्ष 2030 तक उपरोक्त को राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप प्राप्त किया जाना लक्षित है।
11.6	वर्ष 2030 तक नगरों में प्रति व्यक्ति पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को घटाना विशेषकर वायु की गुणवत्ता सुधारना और नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	3. वार्डों का प्रतिशत जिनमें 100 प्रतिशत डोर–टू–डोर अपशिष्ट का संग्रहण हो रहा है।	100 प्रतिशत	वर्तमान में प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में कुल 12007 वार्डों में से 11675 वार्डों में (97 प्रतिशत) में डोर–टू–डोर संग्रहण किया जा रहा है। वर्ष 2020 तक उपरोक्त लक्ष्य को शत–प्रतिशत प्राप्त किया जाना लक्षित है।
		4. अपशिष्ट के निस्तारण का प्रतिशत	100 प्रतिशत	वर्तमान में नगरीय क्षेत्र में कुल 15500 टन प्रतिदिन जनित ठोस अपशिष्ट में से लगभग 55 प्रतिशत अपशिष्ट का प्रसंस्करण एवं पुनर्चक्रण निकायों द्वारा कराया जा रहा है। वर्ष 2022 तक शत–प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाएगी।

सतत विकास लक्ष्यः 12 संवहनीय उपभोग और उत्पादन

विजन

राज्य एक ऐसे समाज की परिकल्पना करता है जो स्थायी उपभोग और उत्पादन की ओर उन्मुख हो और पर्यावरण की चुनौतियों को आर्थिक अवसरों में बदलने की क्षमताओं की बढ़ोत्तरी करे तथा वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ताओं और उत्पादकों के लिए एक बेहतर अवसर प्रदान करे। विनियामक ढांचे, उपभोक्ता जागरूकता, स्वच्छ एवं हरित उत्पादन प्रणालियों को प्रोत्साहित करने के माध्यम से राज्य में धारणीय जीवन भौली एवं विकास के मुख्य मूल्यों के रूप में सतत उत्पादन और उपभोग पर बल दिया जाएगा।

''पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्कताओं की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त है परन्तु लालच की पूर्ति हतु नहीं''—महात्मा गांधी

"भगवान बुद्ध के जीवन में पर्यावरण उपभोक्तावाद का महत्व प्रदर्शित करता संवाद"

शिष्यः हे प्रभु! मेरे वस्त्र पुराने और जीर्ण हैं, क्या मुझे नये वस्त्र मिल सकते हैं?
भगवान बुद्धः ठीक है, किन्तु पुराने वस्त्र का क्या हुआ ?
शिष्यः उसका प्रयोग मैं बिस्तर की चादर के रूप में कर रहा हूँ।
भगवान बुद्धः किन्तु पुरानी चादर का क्या हुआ ?
शिष्यः उसका प्रयोग मैं अपनी खिड़की के पर्दे के रूप में कर रहा हूँ।
भगवान बुद्धः परन्तु पुराने पर्दे का क्या हुआ ?
शिष्यः उसका प्रयोग मैं बर्तन पोछने के लिए कर रहा हूँ।
भगवान बुद्धः परन्तु बर्तन पोछने के पुराने कपड़े का क्या हुआ ?
शिष्यः उसका प्रयोग मैं फर्श साफ करने के लिए कर रहा हूँ।
भगवान बुद्धः परन्तु फर्श साफ करने के पुराने कपड़े का क्या हुआ ?
शिष्यः मैं उसका प्रयोग दीपक की बाती के लिए कर रहा हूँ।
भगवान बुद्धः बाती जलने के उपरांत राख का क्या करते हो?
शिष्यः मैं राख का प्रयोग बर्तन साफ करने के लिए कर रहा हूँ।

शिष्य में पर्यावरण उपभोक्तावाद की चेतना देखकर भगवान बुद्ध सन्तुष्टि भाव से मुस्कराये

और कहा कि अब तुम एक नये वस्त्र के हकदार हो।

संवाद से सीखः

दृष्टिकोण

सतत खपत और उत्पादन का लक्ष्य बहुआयामी है और इसमें अन्य सतत विकास लक्ष्यों के पहलुओं के समन्वय और अभिसरण की आवश्यकता है। गोल 12 के लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी प्रबंधन और कंपनियों को दीर्घकालिक प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके कचरे के उत्पादन में भारी कमीं को इंगित करते हैं। इस गोल का मूल उद्दे" य संसाधनों के उपयोग और प्रकृति के साथ सद्भाव को अपनाने वाली जीवनशैली को बढ़ावा देना है।

लक्ष्य 12.1 : संधारणीय उपभोग तथा उत्पादन संबंधी कार्यकम के 10 वर्षीय फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन जिसके लिए सभी देश कार्यवाही करें तथा विकासशील देश इसका नेतृत्व करें जिसके लिए विकासशील देशों के विकास और क्षमताओं को ध्यान में रखा जाए।

उपलब्धि

- **प्लास्टिक कैरीबैग, सिंगल यूज प्लास्टिक एवं थर्मोकोल** उत्पाद अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई 2018 द्वारा **प्रतिबंधित।**
- **'एक जनपद–एक उत्पाद'** योजनान्तर्गत लाइफ साइकिल प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहन।
- **'इनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड'** दिनांक 26.07.2018 को अंगीकृत।
- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन द्वारा **173 क्लीन डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स एवं 10 वानिकी क्लीन डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स अनुमोदित** किये गये।
- उद्योगों में **ऊर्जा दक्षता हेतु** परफार्म एचीव एण्ड ट्रेड योजना से कुल **47 उद्योग आच्छादित।**
- प्लास्टिक वेस्ट के प्रबन्धन हेतु ब्राण्ड ओनर्स की जिम्मेदारी विषयक लखनऊ में **राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला माह जून, 2019 में** आयोजित।

रणनीति

- **ग्रीन प्रोडक्टिविटी** : पर्यावरणीय सिद्धान्तों के अनुरूप सतत उत्पादन तथा उसका नियमित आडिट।
- उद्योगों में **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का प्रमाणीकरण** सुनिश्चित किया जाना।
- व्यवसायिक भवनों, होटलों आदि में **एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड** लागू किया जाना।
- **वैकल्पिक ऊर्जा** के प्रयोग को **15 प्रतिशत** अनुपात तक बढ़ाया जाना।
- **ग्रीन हाउस गैस** के उत्सर्जन **में कमी** तथा **कार्बन आफसेटिंग** किया जाना।

- उपभोक्ता द्वारा **अपृथकीकृत अपशिष्ट** के प्रबन्धन के भार के वहन हेतु **उपविधियों में संशोधन।**
- **इको लेबल प्रोड्क्ट्स** तथा **जीरो कार्बन फुटप्रिन्ट** उत्पादों को प्रोत्साहन।
- **सिंगल यूज उत्पाद** यथा–प्लास्टिक, थर्मोकॉल के विकल्प **को प्रोत्साहन।**
- **ऑनलाईन मार्केट प्लेटफार्म** द्वारा पुराने वस्तुओं के पुनर्प्रयोग को बढ़ावा।
- **''इनवारमेन्टली रिस्पांसिबल कन्ज्यूमर''** हेतु प्रचार–प्रसार एवं मोबाइल ऐप।
- **ग्रीन स्कील्ड मानव संसाधन** हेतु प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित कर प्रोत्साहित किया जाना।
- **सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांत** पर उत्पादन हेतु अपशिष्ट का उपयोग करने वाली इकाईयों को प्रोत्साहन हेतु नीति निर्धारण एवं कार्यवाही किया जाना।
- उत्पादों के पूर्ण जीवन चक्र में प्रयोग के आधार पर उत्पादों का मानकीकरण एवं उनके पुनर्उपयोग को बढ़ाने हेतु **बाय–बैक तंत्र** को प्रोत्साहन।
- उत्पादों में पैकेजिंग लेयर्स को कम करना तथा **पैकेजिंग के पुर्नपयोग** हेतु पैकेजिंग मैटेरियल की डिजाइन में सुधार एवं पुनर्उपयोग के तरीकों को प्रोडक्ट के लेबल पर प्रदर्शित करना।

लक्ष्य 12.2: वर्ष 2030 तक प्राकृतिक संसाधनों का संघारणीय प्रबन्धन तथा प्रभावी उपयोग हासिल करना।

उपलब्धिः

- **भूजल अधिनियम–2019** विज्ञापित, **जल शक्ति अभियान** तथा **राज्य भूजल संरक्षण मिशन** लागू, जिसके अंतर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार, नये तालाबों का निर्माण, मानसून/बाढ़ की अवधि में रिचार्ज में वृद्धि हेतु पिट का निर्माण, चैकडैम का निर्माण, ऑनफॉर्म रेनवाटर हार्वेस्टिंग, पर्कुलेशन पॉण्ड, कन्टूर बन्ड/ट्रेंच का निर्माण, डगबैल का निर्माण आदि।
- प्रदेश में वृक्षावरण/वनावरण का वर्तमान स्तर 9.18% को बढ़ाने हेतु वन, राजकीय, ग्राम सभा, कृषि एवं सार्वजनिक भूमियों पर वृक्षारोपण (वर्ष 2017–18 में 5.71 करोड़, वर्ष 2018–19 में 11.77 करोड़, वर्ष **2019–20 में 22.59 करोड़**), वर्ष **2020–21 में 25 करोड़** पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित।
- उ0प्र0 सरकार द्वारा **सोलर एनर्जी पालिसी–2017** के अनुसार सौर ऊर्जा प्रोग्राम के अंतर्गत सोलर पार्क, ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट, ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट्स एवं रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना हेतु अनुदान/प्रोत्साहन तथा सोलर रूफटॉप ट्रांजेक्शन पोर्टल की स्थापना।
- वैकल्पिक ऊर्जा का **2952.76 मेगावॉट** उत्पादन (क्षमता का **11.21%**)।
- खनन नीति–2017 प्रख्यापित तथा **''सतत् खनन मार्गदर्शिका''** के सिद्धान्तों के आधार पर खनन एवं अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही।

- मृदा संसाधन के विकल्प के रूप में **फ्लाई–ऐश** के प्रयोग को बढ़ावा (उत्पादन **57 प्रति"ात** का उपयोग)।

रणनीति

- **सर्कुलर इकोनामी** : एक उद्योगों के अपशिश्ट को दूसरे उद्योगों के संसाधन हेतु प्रयुक्त किया जाना।
- भूमि संसाधन संरक्षण हेतु **वर्टिकल विकास** के सिद्धांत पर एफ0ए0आर0 का निर्धारण किया जाना।
- **ऊर्जा के वैकल्पिक श्रोतों** जैसे–सौर ऊर्जा/पवन ऊर्जा इत्यादि के उपयोग **का बढ़ावा देना।**
- संसाधनों के उपभोग को कम किये जाने हेतु औद्योगिक प्रक्रिया में **तकनीकी सुधार** किया जाना।
- **भू–जल की रिचार्जिंग** हेतु आवश्यक संरचनाओं का विकास किया जाना।
- **अपशिष्ट रिसाइक्लिंग प्लांटों** की संख्या में वृद्धि किया जाना।
- नदियों में पर्यावरणीय बहाव को सुनिश्चित किये जाने हेतु **जल ग्रहण क्षेत्र एवं उनके समीपस्थ आर्दभूमियों का संरक्षण**।

लक्ष्य 12.3: वर्ष 2030 तक खुदरा तथा उपभोक्ता स्तरों पर प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को आधा करना, उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला के दौरान आहार को होने वाले नुकसान को कम करना जिसमें फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान भी शामिल है।

उपलब्धि

- फसलों तथा खाद्य पदार्थों की सुरक्षा हेतु **'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना'** तथा **'प्रादेशिक किसान सेवा योजना'** लागू।
- खाद्यान की सुरक्षा हेतु **'पेस्ट सर्विलेंस एंड एडवाइजरी यूनिट'** गठित।
- **'सर्विलेंस ऑफ को–कप एंड डायग्नोस्टिक सिस्टम** (पी0सी0एस0आर0सी0)' योजना लागू।
- प्रत्येक ब्लॉक के न्यूनतम 5 राजस्व गॉवों न्यूनतम 50 हेक्टयर क्षेत्रफल में **बीज एवं मृदा उपचार की योजना लागू।**
- खाद्य पदार्थों के उत्पादन एवं सुरक्षा हेतु **इंट्रीग्रेटेड मिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ हार्टीक्लचर, स्टेबेलिसमेंट ऑफ ड्रिप/स्प्रिंकर ऐरीग्रेशन सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग डेवलपमेंट** स्कीम लागू।
- 'उ0प्र0 पोटैटो विकास पॉलिसी 2014' को समुचित एवं प्रभावी ढंग से लागू किया गया है।

- 'उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पॉलिसी 2012' को और प्रभावी ढंग से लागू किया गया है।

रणनीति

- **प्राकृतिक संसाधनों की मैपिंग,** निगरानी एवं खाद्य हानि पर प्रभावी नियंत्रण।
- पर्याप्त **भण्डारण सुविधाएं** तथा **आपूर्ति श्रृंखला का विकास** किया जाना।
- **फूड बैंक** तथा **खाद्य आपूर्ति नेटवर्क एवं प्लेटफार्म** का विकास किया जाना।
- कटाई के उपरांत **फसलों** की उचित दरों पर प्रॉसेसिंग हेतु **एकीकृत तंत्र** का विकास।
- खाद्य पदार्थों के कम दरों पर उपभोग हेतु **आपूर्ति श्रृंखला** का विकास।

लक्ष्य 12.4 : वर्ष 2030 तक, रसायनों तथा सभी अपशिष्टों का उनके पूरे जीवनचक्र के दौरान पर्यावरणीय रूप से ठोस प्रबंधन हासिल करना जो सहमति वाले अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क के अनुरूप हो तथा हवा, पानी और मिट्टी में उनके मिलने की संभावना को कम करना ताकि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उसके दुष्प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके।

उपलब्धिः

- पर्यावरण संरक्षण अनुश्रवण हेतु **त्रिस्तरीय अनुश्रवण तंत्र** एवं पेपरलेस रिपोर्टिंग हेतु वेब पोर्टल विकसित (**जिला पर्यावरण समिति** एवं **राज्य स्तर पर 04 अनुश्रवण समितियां** गठित)।
- उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय में **प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल रूम** स्थापित।
- परिसंकटमय, जैव चिकित्सा, ई–वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु **समुचित क्षमता की संयुक्त निस्तारण व्यवस्थाएं संचालित**। प्लास्टिक एवं थर्मोकोल अपशिश्ट के नियंत्रण हेतु **कैरी बैग एवं प्लास्टिक/थर्मोकोल निर्मित कटलरी उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू**।

रणनीतिः

- प्रदेश के **22 जनपदों मे क्षेत्रीय कंट्रोल रूम की स्थापना** प्रस्तावित है।
- **सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांत** पर उत्पादन हेतु अपर्" ाश्ट का उपयोग करने वाली इकाईयों को प्रोत्साहन हेतु नीति निर्धारण एवं कार्यवाही किया जाना।
- **ग्रीन प्रोक्योरमेंट तथा इको लेबल प्रोड्क्ट्स** का प्रोत्साहन।
- **ग्रीन प्रोडक्टिविटी** : पर्यावरणीय सिद्धान्तों के अनुरूप सतत उत्पादन।
- उद्योगों में **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का प्रमाणीकरण** सुनिश्चित किया जाना।
- व्यवसायिक भवनों, होटलों आदि में **एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड** लागू किया जाना।

- **ब्राण्ड ओनर्स की जिम्मेदारी** के अंतर्गत प्लास्टिक एवं ई–वेस्ट एकत्रण व्यवस्था में विस्तार तथा सिंगल यूज उत्पाद के उपयोग को हतोत्साहित करना।
- प्रदूषणकारी ईंधन हेतु चरणबद्ध तरह से **सब्सिडी समाप्त** किया जाना।
- **जन परिवहन व्यवस्था** को अधिकाधिक सुदृढ़ीकरण करना।
- **ई–मोबिलिटी एवं वैकल्पिक ऊर्जा** हेतु सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाना।
- **वायु गुणता अनुश्रवण तन्त्र** का विकास किया जाना।
- भोधित जल के प्रयोग हेतु **'ड्यूल प्लम्बिंग'** करने पर जल कर में रियायत प्रदान किया जाना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक, अपशिष्ट सृजन की रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण तथा पुनः उपयोग द्वारा कमी लाना।

उपलब्धिः

- परिसंकटमय, जैव चिकित्सा, ई–वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण के लिए **समुचित क्षमता की संयुक्त निस्तारण व्यवस्थाएं संचालित**।
- **कैरी बैग एवं प्लास्टिक/थर्मोकोल निर्मित कटलरी उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध** लागू।

रणनीतिः

- **7–आर के सिद्धान्त** अर्थात रिफ्यूज, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल, रिडिजाइन, रिफरबिश एवं रिकवरी द्वारा संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाना।
- अपशिष्ट के पुनः प्रयोग हेतु **स्टार्टअप इकाईयों को प्रोत्साहित** किया जाना।
- ठोस अपशिष्ट का शत–प्रतिशत **डोर–टू–डोर एकत्रण** तथा बल्क प्रोड्यूसर द्वारा परिसर में कम्पोस्टिंग कर वेस्ट की मात्रा में लगभग **70 प्रतिशत** तक कमी।
- प्लास्टिक अपशिष्ट के निस्तारण हेतु **जनपद मथुरा में वेस्ट टू ऑयल प्लांट** निर्माणाधीन एवं **जनपद लखनऊ, वाराणसी, उरई में प्रस्तावित**।
- **कन्स्ट्रक्शन एवं डिमॉलिशन अपशिष्ट के निस्तारण हेतु** जनपद गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, आगरा एवं वाराणसी में **प्रोसेसिंग प्लांट प्रस्तावित।**
- परिसंकटमय एवं ई–वेस्ट हेतु **जनपद अमरोहा में संयुक्त निस्तारण सुविधा** प्रस्तावित।
- **कम्पोस्टिबल प्लास्टिक कैरी बैग** की आपूर्ति में वृद्धि किया जाना।

लक्ष्य 12.6: वर्ष 2030 तक कम्पनियों और खासकर बड़ी और पराराष्ट्रीय कम्पनियों के संधारणीय व्यवहार को अंगीकृत करने तथा संधारणीय सूचना को उनके रिपोर्टिंग साइकिल में शामिल करने के लिए प्रोत्साहन करना।

उपलब्धि:

- प्रदूषणकारी बृहद उद्योगों में ऑनलाईन कन्टीन्यूअस एफ्ल्यूएंट एण्ड इमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम के अनुश्रवण हेतु **राज्य स्तर पर कन्ट्रोल सेन्टर स्थापित** एवं संचालित है।
- प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय उद्योग सहित बृहद श्रेणी के **उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित** हैं।
- औद्योगिक प्रक्रिया में भूजल के प्रयोग को न्यून किये जाने के उद्देश्य से औद्योगिक प्रतिष्ठानों में **शुद्धीकृत उत्प्रवाह का पुनः प्रयोग** एवं **भूजल की रिचार्जिंग** करायी जा रही है।
- राज्य की **173 परियोजनायें** संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के स्तर से स्वीकृत हैं तथा **3,69,06,971 सर्टिफाइड इमीशन रिडक्शन** प्राप्त किये गये हैं।
- ब्यूरो ऑफ इनर्जी इफीसिएंशी की **पैट परियोजना के अंतर्गत 47 उद्योग** आच्छादित हैं।

रणनीति:

- **जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट मानकीकरण** की इकाईयों के उत्पादों के क्रय में वरीयता देना।
- भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए **वर्टिकल विकास हेतु एफ0ए0आर0** का निर्धारण किया जाना।
- **हरित उत्पादकता के सिद्धान्त** पर उत्पादन प्रक्रिया में ऊर्जा एवं संसाधन दक्षता को बढ़ावा देना।
- उत्पाद के **लाइफ साईकिल को बढ़ाकर** उसके उपयोगिता सूचकांक में वृद्धि।
- उद्योगों का नियमित **ग्रीन ऑडिटिंग** किया जाना।
- **ब्राण्ड ओनर्स की जिम्मेदारी** के अंतर्गत प्लास्टिक एवं ई–वेस्ट एकत्रण व्यवस्था में विस्तार तथा सिंगल यूज उत्पाद के उपयोग को हतोत्साहित करना।

लक्ष्य 12.7 : सार्वजनिक खरीदारी व्यवहारों को बढ़ावा देना जो संधारणीय और राष्ट्रीय नीतियों तथा प्राथमिकताओं के अनुरूप हो।

उपलब्धि:

- संवहनीय उपभोग और उत्पादकता को बढ़ावा हेतु संसाधनों एवं ऊर्जा के कुशल प्रयोग वाले उद्योगों को **ग्रीन प्रोक्योरमेंट के तहत प्रोत्साहन** पर विचार किया जा रहा है।
- **''एक जनपद एक उत्पाद योजना''** के अंतर्गत पर्यावरण एवं स्थानीय परम्परागत अनुकूल उत्पादों की आपूर्ति एवं विक्रय हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

- पर्यावरण के प्रति जागरूकता हेतु **''पर्यावरण प्रहरी'' कार्यक्रम** प्रारम्भ किया गया है।
- प्रदेश में **उत्पाद से लेकर अन्तिम उपभोक्ता की आपूर्ति श्रंखला** में सामंजस्य एवं सहयोग हेतु जागरूकता तथा संवहनीय खपत और जीवन भौली से उपभोक्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- प्रदेश में उपभोक्ताओं को मानकों एवं लेबलिंग के माध्यम से उपयुक्त **सूचना एवं संवहनीय सार्वजनिक खरीद प्रणाली** से जोड़ा जा रहा है।

रणनीतिः

- **ग्रीन प्रोक्योरमेन्ट उत्पादन** को वरीयता दिया जाना।
- **आनलाइन प्लेटफार्म** विकसित कर पुराने वस्तुओं का पुनर्प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना।
- उत्पादों तथा सेवाओं के क्रय के स्थान पर उन्हें **किराये अथवा लीज पर प्रयोग** किये जाने को बढ़ावा दिये जाने के उद्दे" य से **प्लेटफार्म का विकास** किया जाना।
- **रिफरबिश उत्पादों की स्वीकार्यता** उपभोक्ताओं के मध्य बढ़ाया जाना।

लक्ष्य 12.8: वर्ष 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी जगहों पर लोगों के लिए ऐसे संधारणीय विकास और जीवनशैली संबंधी संगत सूचना और जागरूकता बनी रहे जो प्रकृति के अनुरूप हो।

उपलब्धि एवं रणनीतिः

- पर्यावरण उपभोक्तावाद (**इको कन्ज्यूमरीजम**) तथा **''ग्रीन गुड डीड्स''** हेतु प्रचार–प्रसार।
- **ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट** को मजबूत बनाया जाना।
- कार्बन डाई आक्साइड गैस के उत्सर्जन को कम करने हेतु **हाइड्रोइलेक्ट्रिक, सोलर एवं विन्ड पावर प्लांट** की स्थापना पर छूट।
- रिहाय" ी भवनों एवं सार्वजनिक रेस्टोरेन्ट/होटल में **न्यून खाद्य वेस्ट जनित करने हेतु प्रोत्साहन** तथा जनित **अवशेष खाद्य पदार्थों का सदुपयोग।**
- जीवन शैली एवं विभिन्न गतिविधियों में **ऊर्जा दक्षता तथा कार्बन फुटप्रिन्ट** के संबंध में जागरूकता हेतु **पोर्टल/मोबाइल एप** विकसित किया जाना।
- जल अपव्यय रोकने हेतु फसलों की सिचाई में **स्पिकंलर सिचाई की स्थापना** का प्रचार प्रसार।
- **जैविक खाद/कम्पोस्ट खाद** का अधिकाधिक इस्तेमाल एवं प" ुपालन को बढावा देना।
- सरकार द्वारा नागरिकों तक **पर्यावरण मित्र वस्तुऐं, सेवायें सुगमता से उपलब्ध** कराया जाना।

- भूगर्भ जल, वायु, वन, नदियॉ व अन्य आव" यक **संसाधनों को सरंक्षित करना।**

लक्ष्य 12.क : विकासशील देशों को सहायता प्रदान करना ताकि वे अधिक संधारणीय उपभोग और उत्पादन पद्धतियों को अपनाने के लिए अपनी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय क्षमता को सुदृढ़ कर सकें।

उपलब्धि:

- आई0आई0टी0 कानपुर के सहयोग से **वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक्शन प्लान** का निरूपण एवं उच्चीकरण, **वायु प्रदूषण की सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी** हेतु अनुबन्ध तथा **ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण/मानिटरिंग हेतु मानिटरिंग विशिष्टियाँ** विकसित।
- जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु नेशनल इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, नागपुर से **तकनीकी सहयोग।**
- दिल्ली विश्वविद्यालय के तकनीकी मार्गदर्शन से नदियों की अविरलता हेतु **बायोडायवर्सिटी पार्क** योजनाओं का निरूपण।
- केंद्रीय लैदर रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं नीदरलैण्ड राष्ट्र की सॉलिडरिडेड संस्था से तकनीकी सहयोग से **टैनरी सेक्टर में प्रदूषण भार में कमी के उद्देश्य से टेक्नालॉजी अपग्रेडेशन।**
- आई0आई0टी0 चेन्नई व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तकनीकी सहयोग से खानचंदपुर, कानपुर देहात में **परिसंकटमय अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु परियोजना का निरूपणएवं क्रियान्वयन।**

रणनीति:

- सतत् विकास हेतु टेक्नालॉजी गैप को न्यून किये जाने हेतु राज्य स्तर पर **"ट्रांसफर ऑफ टेक्नालॉजी मैकेनिज़्म" का विकास।**
- वैश्विक स्तर की सतत् विकास **बेस्ट प्रैक्टिसेस** की हितधारकों तक पहुँच हेतु **प्लेटफार्म का विकास।**
- प्रतिश्ठित संस्थानों में सतत् विकास से संबंधित **वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षमता विकास** हेतु परियोजनाओं का निरूपण।

लक्ष्य 12.ख : संधारणीय पर्यटन के लिए संधारणीय विकास प्रभावों के अनुवीक्षण संबंधी टूल का विकास तथा कार्यान्वयन करना जिससे रोजगार के अवसर सृजित हों तथा स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को बढ़ावा मिल।

उपलब्धि:

- **स्वच्छ और दिव्य महाकुम्भ–2019** एवं कुम्भ में **अपशिष्ट का समुचित प्रबन्धन।**
- कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार दुधवा एवं पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पर्यटकों एवं वाहनों की संख्या का नियंत्रण। कुल क्षेत्रफल के **20 प्रतिशत क्षेत्र में ईको टूरिज्म अनुमन्य।**

- **वन क्षेत्रों में अपशिष्टजनक उत्पादों** के प्रयोग एवं निस्तारण पर **प्रतिबन्ध**।
- ईको पर्यटन प्रोत्साहन प्राविधानों के साथ **राज्य वन नीति–2017** एवं **उ0प्र0 पर्यटन नीति–2018** प्रख्यापित।
- उ0प्र0 में **09 ईको टूरिज्म सर्किट** विकसित एवं संगतसेवाओं में स्थानीय समुदाय की भागीदारी।
- **पर्यटन नीति में थीम बेस्ड टूरिज्म** यथा हेरिटेज, कल्चरल, एग्री, क्राफ्ट हैण्डलूम एवं टैक्सटाईल, एडवेन्चर, कारवां, वेलनेस, ग्रामीण टूरिज्म आदि का प्राविधान।
- पर्यटन नीति में समुदाय के विकास एवं स्थानीय कौशल आधारित **सतत् टूरिज्म हेतु प्राविधान**।
- **ऑनलाईन पोर्टल** द्वारा **गंगा एवं उसकी सहायक नदियों** की जलगुणता तथा प्रदूषण के श्रोतों के **सतत् अनुश्रवण** कर नदियों की अविरलता एवं निर्मलता सुनिश्चित की गई।

रणनीति

- पर्यावरणीय प्रभाव के दृष्टिगत **कैरिंग कैपेसिटी का आंकलन** तथा उसके अनुरूप पर्यटकों की संख्या, वाहनों इत्यादि का नियंत्रण एवं **ईको फ्रेन्डली गतिविधियों** को प्रोत्साहन।
- पर्यावरण प्रभाव को न्यून किये जाने हेतु **सतत् पर्यटन योजना का निरूपण** एवं क्रियान्वयन।
- **इनवायरमेन्टल अनुकूलता** के आधार पर **ब्रान्डिंग** का प्रोत्साहन।
- स्थानीय हस्तशिल्प, रीति–रिवाज, संस्कृति, स्थानीय खान–पान इत्यादि से परिचित कराये जाने हेतु **पर्यटन पैकेजों का विकास** किया जाना।
- धार्मिक पर्यटन स्थलों में **समुचित अपशिष्ट एकत्रीकरण** एवं निस्तारण।
- पर्यावरण अनुकूल **पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना** किया जाना।
- पर्यटक सुविधायें हेतु **स्थानीय समुदाय को रोजगार** प्रदान करना।
- **इनवायरमेन्टल रेसपोन्सिबल पर्यटक/कार्बन संवेदनशील पर्यटक** हेतु जन–जागरूकता।

लक्ष्य 12.ग: कराधान की पुनर्संरचना सहित राश्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार बाजार विरूपताओं को समाप्त करके प्रभावहीन जीवाष्म ईंधन राज सहायता, जो फालतू खपत को बढ़ावा देती है, को युक्तिसंगत बनाना और विकासशील देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं तथा स्थितियों का पूरा ध्यान रखते हुए नुकसानदेह राज सहायता जहाँ मौजूद है उन्हें चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना ताकि उनका पर्यावरणिक प्रभाव दिखाई दे और उनके विकास पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभावों को इस प्रकार कम करना कि गरीबों और प्रभावित समुदायों के हितों की रक्षा हो सके।

उपलब्धि:

- जीवाश्म ईंधन की खपत में कमी हेतु सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना।
- बैटरी चालित वाहनों को सब्सिडी इत्यादि देकर प्रोत्साहित करना।
- औद्योगिक इकाईयों में ऊर्जा दक्षता एवं सौर ऊर्जा के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहन।
- गैर पारम्परिक ऊर्जाओं के प्रयोग हेतु उपभोगताओं को छूट उपलब्ध कराया जाना।
- गन्ने से ऐथनॉल बनाये जाने की प्रक्रिया के सापेक्ष शीरे से ऐथनॉल बनाये जाने की प्रक्रिया को ऑप्टीमाइज किया जाना ताकि चीनी एवं आसवनी उद्योगों तथा सघन जल उपयोग आधारित गन्ने की खेती से भूजल श्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

रणनीति

- ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित किये जाने हेतु भवन उपविधियों में आवश्यक संशोधन।
- ग्रीन रेटिंग एवं ग्रीन ऑडिटिंग की व्यवस्था हेतु नियमावली का विरचन।
- खाद्य पदार्थों के नुकसान की रोकथाम हेतु खाद्य सुरक्षा कानून में आवश्यक संशोधन।
- प्रदूषण नियंत्रण एवं प्रदूषण से पर्यावरण की क्षति की पूर्ति हेतु ''पॉल्यूटर पेज्''सिद्धान्त के अन्तर्गत पर्यावरणीय क्षति की वसूली हेतु कानून।
- संसाधन दक्षता नीति का निरूपण एवं उसे लागू किये जाने हेतु योजनायें।
- ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस एण्ड टेक्नॉलॉजी की शेयरिंग हेतु प्लेटफॉर्म का विकास।
- संधारणीय विकास हेतु स्थानीय शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थानों को बढ़ावा।
- सतत् विकास के तकनीकी मानकीकरण हेतु राज्य में क्षमता विकास।
- टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर हेतु संस्थागत व्यवस्था।

माइलस्टोनः

क0 सं0	कार्य बिन्दु	राज्य की वर्तमान स्थिति	लक्ष्य		
			वर्ष 2022	वर्ष 2024	वर्ष 2030
1.	उ0प्र0 इनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड से आच्छादित नव–निर्मित व्यावसायिक भवनों में ग्रीन बिल्डिंग का प्रतिशत	–	50	100	100
2.	प्लास्टिक/ई–वेस्ट ई0पी0आर0 एक्शन प्लान कियान्वित करने वाले ब्राण्ड ओनर्स का प्रतिशत	–	50	70	100
3.	इनवायमेन्टल रिस्पोंसिबल कन्ज्यूमर ओरिएन्टेशन कार्यक्रमों से आच्छादित उपभोक्ताओं का प्रतिशत	–	25	40	100
4.	वैकल्पिक ऊर्जा के पोटेन्शियल यूटिलाइजेशन का प्रतिशत	11.21	25	40	100
5.	उ0प्र0 राज्य भूजल संरक्षण मिशन के अनुरूप कार्य पूर्ति किये जाने वाले विकासखण्डों की संख्या	0	271	–	–
6.	फ्लाई ऐश के उपयोग में वृद्धि का प्रतिशत	57	65	70	80
7.	उद्योगों में कच्चे माल में रिसाइकिल माल के प्रयोग का प्रतिशत	0–5	10	15	20
8.	राज्य में वनावरण का प्रतिशत	9.18	11.25	12	15

क0 सं0	कार्य बिन्दु	राज्य की वर्तमान स्थिति	लक्ष्य		
			वर्ष 2022	वर्ष 2024	वर्ष 2030
9.	परित्यक्त खदानों को बंद कर उनका औद्योगिक अपशिष्ट का पर्यावरण अनुकूल प्रयोग कर पुनरोद्धार का प्रतिशत	0	25	40	70
10.	खुदरा तथा उपभोक्ता स्तरों पर प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को आधा करना, उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला के दौरान आहार को होने वाले नुकसान को कम करने का प्रतिशत	—	20	30	50
11.	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का प्रतिशत	26.5	60	100	100
12.	लिगेसी वेस्ट का नियमानुसार निस्तारण का प्रतिशत	0	40	100	100
13.	अपशिष्ट प्लास्टिक का एकत्रण एवं निस्तारण का प्रतिशत	60	100	100	100
14.	सी0 एण्ड डी0 वेस्ट के निस्तारण की सुविधाएं का प्रतिशत	0	40	60	100
15.	सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में ग्रीन प्रोक्योरमेण्ट उत्पादों का प्रतिशत	—	20	25	30
16.	पर्यटन क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी का प्रतिशत	—	50	100	200
17.	पर्यटन क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण कार्ययोजनाओं का निरूपण, कियान्वयन एवं पीरिओडिकल इनवायरमेन्टल ऑडिट का प्रतिशत	10	25	40	100

सतत विकास लक्ष्यः 13 जलवायु परिवर्तन

विजन

उत्तर प्रदेश सरकार नीति और नियोजन में जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही को मुख्यधारा में लाकर, सतत आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित आपदाओं और खतरों के लिए **तनयक्ता** बनाने और क्षेत्रों एवं समाज के सबसे कमजोर वर्गों पर विशेष बल देने के साथ, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने हेतु कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिये कृतसंकल्प है। राज्य सरकार का उद्दे" य संस्थागत क्षमताओं का निर्माण, जागरूकता पैदा करना और ठोस परिणामों और आउटपुट के साथ पर्यावरण के अनुकूल नीतियों को तैयार करना और कार्यान्वित करने के लिए मापने योग्य, निगरानी योग्य एवं सत्यापन योग्य संसाधन जुटाना है।

दृष्टिकोण

उत्तर प्रदेश ने जलवायु परिवर्तन पर एक व्यापक योजना **स्टेट एक्"ान प्लान ऑन क्लाईमेट चेंज** (SAPCC) शुरू की है। जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई के लिए लचीलापन, अनुकूलीय क्षमता और शमन को मजबूत करने के लिए नियोजन, निष्पादन और निवेश की आवश्यकता होती है। एक सक्षम विनियामक और अच्छी तरह से डिजाइन किये गये नीतिगत ढाँचे की आवश्यकता होती है जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को जोड़ता है और सार्वजनिक और निजी प्रयासों को बढ़ाता है। निष्पादन क्षमता को बेहतर करने के लिये सरकारी कार्मिकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाये और आव" यकतानुसार निजी क्षेत्र को भी इसके दायरे में लाना चाहिए।

उपलब्धि

- ई0आई0ए0 नोटिफिके" ान, 2006 के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं को पर्यावरणीय दृश्टिकोण से अप्रेजल करते हुए स" ार्त पर्यावरणीय सहमति प्रदान की जाती हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन के दुश्प्रभावों को न्यूनतम किया जा सके। निर्गत पर्यावरणीय सहमति में **कॉरपोरेट इन्वायरमेन्टल रिस्पान्सबिलिटी** की भार्त अध्यारोपित की जाती हैं।
- वर्श 2018–19 में 9 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 11 करोड़ एवं वर्श 2019–20 में 22 करोड़ वृक्षों का रोपण।
- वाहन जनित प्रदूशण के कारण जी0एच0जी0 उत्सर्जन की वृद्वि को कम करने हेतु सार्वजनिक परिवहन के अन्तर्गत मेट्रो रेल का संचालन, सी0एन0जी0, पी0एन0जी0 को बढ़ावा देना।
- राज्य सरकार द्वारा कृशि अपि" ाश्टों को जलाया जाना प्रतिबन्धित किया गया है।
- उज्जवला योजना के अर्न्तगत उ0प्र0 में जुलाई, 2019 तक 1,33,95,246 करोड़ गैस कनेक्" ान वितरीत किये गये।
- उ0प्र0 सरकार द्वारा सौर ऊर्जा प्रोग्राम के अंतर्गत सोलर पार्क, ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट, ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट्स एवं रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट्स, सोलर रूफटॉप ट्रांजेक्शन पोर्टल, फोटोवोल्टैईक सिंचाई पम्प की स्थापना हेतु अनुदान/प्रोत्साहन।

- प्रदेश में यूपीईसीबीसी 2018 प्रख्यापित किया जा चुका है। उक्त के अलावा आवासीय भवनों में ऊर्जा बचत हेतु अलग कोड ईसीबीसी आवासीय का प्रख्यापन बीईई के दिशा निर्देशानुसार किया जाना प्रस्तावित है।
- वर्तमान ऊर्जा खपत को कम करने हेतु एल0ई0डी0 बल्ब, बी0ई0ई0 स्टार रेटेड बिजली उपकरणों के उपयोग के विकल्पों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

रणनीति

- गरीब जनता अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति एवं अनुकूलन क्षमता के कारण प्राकृतिक आपदाओं से आसानी से प्रभावित होती है। राज्य में 29.43 प्रति" ात आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, जो भारत की गरीब आबादी का लगभग पाँचवाँ हिस्सा है। अतः राज्य में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तात्कालिक कार्यवाही की आव" यकता है। राज्य ने जलवायु परिवर्तन के लिए आर्थिक रूप से पिछड़ी आबादी के जीवन पर प्रभाव की क्षमता और हस्तक्षेप के दायरे के आधार पर जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्र जैसे कृशि, वन, शहरीकरण, ऊर्जा और प्रदूषण की पहचान की है।
- जलवायु परिवर्तन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय, मौजूद योजनाओं के अभिसरण, जलवायु परिवर्तन और **भेद्यता** पर विश्वसनीय डेटा एवं सूचना विशमता को संबोधित करने के लिए पहल की आव" यकता है इसी के क्रम में राज्य सरकार सात मिशनों में जलवायु परिवर्तन पर एक व्यापक राज्य कार्य योजना (SAPCC) को लागू करेगी।
- राज्य में जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण का गठन किया गया है और प्रत्येक मिशन विभाग में एक जलवायु परिवर्तन सेल का संचालन किया जायेगा। सेल के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी गठित प्राधिकरण द्वारा की जायेगी।
- यह प्राधिकरण SAPCC के तहत पहचानी गई परियोजनाओं को लागू करने के अलावा, राज्य सरकार की सभी नीतियों और नियोजन में जलवायु परिवर्तन विशय के समायोजन पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- कमजोर क्षेत्रों में अनुकूलन हेतु राज्य और केंद्रीय निधियों पर ध्यान केंद्रित करना, सभी की हिस्सेदारी की क्षमता का सृजन शामिल है।

लक्ष्य 13.1 –सभी दे"ों में जलवायु सम्बन्धी जोखिमों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्षमता तथा उसके अनुकुल बनने की क्षमता को मजबूत करना।

उपलब्धि एवं रणनीति

- **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण** और इसके मण्डल, जिला, तहसील एवं ग्राम स्तरीय प्राधिकरणों का सुदृढ़ीकरण तथा उनकी कार्ययोजना का सुनियोजित निष्पादन और जलवायु परिवर्तन के विशय में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली तथा जमीनी स्तर पर मॉकड्रिल के द्वारा स" ाक्त प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना।
- **यू0एन0एफ0सी0सी0** के **क्लीन डेवलेपमेप्ट मेकेनिस्म** (सी.डी.एम.) के अंतर्गत प्रमाणित कार्बन कटौती क्रेडिट प्राप्त करना।

- **राष्ट्रीय अनुकूलन कोष** और **हरित जलवायु कोष** को क्रियान्वित करना।
- गठित **जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण** में सभी मिशन विभागों के जलवायु परिवर्तन सेल एवं जलवायु अनुसंधान सेल के साथ समन्वय स्थापित करना एवं प्रभावी अनुश्रवण करना।
- **प्रबंधन सूचना प्रणाली** (एम0आई0एस0) एवं वेबसाइट का विकास कर आंकड़े उपलब्ध कराना।
- **राज्य जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण, उ0प्र0 द्वारा** सभी मिशन विभागों के जलवायु परिवर्तन सेल एवं जलवायु अनुसंधान सेल के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावी अनुश्रवण करना।
- **आई0ई0सी0** के माध्यम से सभी स्टेक होल्डर्स वि" ोशकर महिलाओं, युवाओं, स्थानीय एवं वंचित समुदाय के लोगों का क्षमतावर्धन यथा–कृशक, संस्थान, प" ुपालक, आदि। बी. सी.सी. के अन्तर्गत ग्रीन गुड डीड्स को दैनिक जीवन में अपनाना।
- विभिन्न **पर्यावरणीय दिवसों** पर मण्डल, जिला, तहसील एवं ग्राम स्तर पर कार्यक्रम आयोजित जनसमान्य में वि" ोशकर छात्र एवं छात्राओं में पर्यावरणीय विशयों एवं जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता उत्पन्न करना।
- जलवायु परिवर्तन और आपदा अनुकूलन हेतु पर्याप्त तैयारी करने के लिए जलवायु सहन" ीलता किस्मों की नर्सरी के विकास के साथ बड़े पैमाने पर वनीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन तथा जैवविविधता, मृदा, जल एवं वन्य जीवन संरक्षण हेतु संवेदन" ीलता के अनुसार विस्तृत कार्ययोजना (" ुश्क एवं बाढ़ की स्थिति) का विकास व पशु नस्लों में जलवायु परिवर्तनकारी सुधार एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता वर्धन।
- कार्बन जब्ती sequestration के लिए विस्तृत कार्ययोजना का विकास।
- हरित बिल्डिंग, नवीकरणीय ऊर्जा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनीक पर्यावरणीय हितै" ी परिवहन व्यवस्था यथा इलेक्ट्रिक/सीएनजी वाहन, ई–रिक" ा को बढ़ावा देना।
- सर्वेक्षण, अध्ययन, अनुसंधान मॉडलिंग के आधार पर प्राथमिक डेटा उपलब्ध कराना।

लक्ष्य 13.2: राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में जलवायु परिवर्तन के उपायों को एकीकृत करना।

उपलब्धि एवं रणनीति

- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय एवं राज्य कार्ययोजना पर नोडल विभागों के साथ एक समान लक्ष्य को लागू करने के लिए स्पष्ट दृष्टि के साथ समन्वय करना। सभी सात मिशन विभागों द्वारा कार्ययोजना का कार्यान्वयन। समस्त विभाग इस प्लान के अनुरूप अपने बजट व्यवस्था सुनि" चत करना।
- सार्वजनिक भागीदारी के साथ सतत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम।
- जलवायु अनुकूलन और शमन के लिये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अपनाना और बजट का प्रबन्ध।

- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को अपनाने और राजकोषीय प्रोत्साहन के साथ स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
- परियोजनाओं हेतु निर्गत एनओसी एवं पर्यावरणीय सहमति में जलवायु परिवर्तन के सभी पहलुओं को शामिल करना और उनका समयबद्ध क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करना।
- कारपोरेट इन्वायरमेन्टल रिसपांसिबिलिटी फण्ड का उपयोग पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों में अधिक से अधिक मात्राकृत किया जाना एवं इसका प्रभावी अनुश्रवण करना।
- उद्योगों द्वारा बचाये गये कार्बन पदचिन्हों और उत्सर्जित कार्बन की वार्शिक अनुपालन रिपोर्टिंग।
- सिंगल यूज उत्पाद के उपयोग को हतोत्साहित कर, इको लेबल प्रोड्क्ट्स को प्रोत्साहित करना।
- स्थायी वन प्रवर्धन और सभी प्राकृतिक संसाधनों की मैपिंग और निगरानी।
- ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफीसिएन्सी द्वारा प्रमाणित उत्पादों के बारे में जनजागरूकता बढ़ा कर औद्योगिक एवं घरेलू सेक्टर में ऊर्जा दक्षता उपकरणों का उपयोग बढ़ाना।
- एनर्जी कन्जर्वे" ान बिल्डिंग कोड को लागू किया जाना।
- पॉल्यूटर पेज़ प्रिन्सिपल पर आधारित नीतियों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण भागीदारी सुनि" चत करना।
- ग्रीन हाईवे प्लान्टे" ान एवं मेन्टेनन्स पालिसी, 2015 की तर्ज पर प्रदे" ा में रेल, रोड, नहर, सड़क के किनारे, औद्योगिक परिसर, f" ाक्षा संस्थाओं एवं राजकीय भूमि का चिन्हिकरण कर वृक्षारोपण अनिवार्य करना।
- कम स्थान पर सघन वृक्षारोपण हेतु **मियांवाकी पद्धति** को अपनाना तथा प्रत्येक सरकारी विभाग द्वारा वृक्षारोपण अनिवार्य करना।
- लीन मैन्यूफैक्चरिंग के सिद्धान्तों को लागू कराये जाने हेतु औद्योगिक सेक्टरों की बेंचमार्किंग तथा क्यू0सी0आई0 एवं एन0पी0सी0 से आव" यकतानुसार एनर्जी ऑडिट कराना।
- जलीय पौधों द्वारा जल में उपलब्ध अ" ाुद्धियों का निराकरण अर्थात ''फाइटो रेमिडिये" ान'' के उन्नत प्रौद्योगिक पद्धति को प्रयोजन में लाया जाना।

लक्ष्य 13.3: जलवायु परिवर्तन न्युनिकीरण, अनुकूलन, प्रभाव उप"ामन तथा प्रारंभिक चेतावनी सम्बन्धी शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानवीय तथा संस्थागत क्षमता में सुधार।

उपलब्धि एवं रणनीति

- पूर्ण रूप से कार्यात्मक जलवायु क्षेत्र के प्र" ाक्षण केन्द्र और प्रारंभिक चेतावनी तंत्र का विस्तार करना।

- समस्त स्तरों के पाठ्यक्रम में जलवायु परिवर्तन का समावे" ा तथा जलवायु परिवर्तन पर जनसामान्य में जागरूकता बढ़ाने के लिये एन0एस0एस0, ग्रीन वालेंटियर, ईको क्लब इत्यादि का सहयोग प्राप्त करना।
- आई0ई0सी0 के माध्यम से विभिन्न **पर्यावरणीय दिवसों** पर मण्डल, जिला, तहसील एवं ग्राम स्तर पर सेमिनार, सम्मेलन और क्षेत्र भ्रमण के द्वारा सभी मिशन विभागों के अधिकारियों, स्टेक होल्डर्स वि" ोशकर महिलाओं, युवाओं, स्थानीय एवं वंचित समुदाय के लोगों का क्षमतावर्धन एवं जागरूकता उत्पन्न करना।
- बिहेवीयर चेन्ज कम्यूनिके" ान (बी0सी0सी0) के अन्तर्गत ''**ग्रीन गुड डीड्स**'' को दैनिक जीवन में अपनाना।
- ''**जीरो कार्बन फुटप्रिन्ट**'' संबंधी उत्पादों/प्रक्रियाओं के प्रयोग को बढ़ावा देना और लागों का इसे अपने व्यवहार में भाामिल करने के लिये प्रेरित करना।
- राज्य स्तर की भौक्षिक संस्थानों का उन्नत शोध क्षमता सृजन हेतु **राश्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एन0के0एन0**) के प्लेटफार्म पर सूचना का आदान–प्रदान सुनि" चत करना
- विषयगत मुद्दों पर भौक्षणिक, अनुसंधान और पेशेवर संगठनों के साथ भागीदारी सुनि" चत कर विभिन्न मॉडलिंग टूल्स का प्रयोग करना।
- जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को मुख्यधारा में लाने के लिए ज्ञान कोश का विकास करना।
- अनुकूलन और शमन परियोजनाओं के लिए गैर–सरकारी संगठनों और अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का सहयोग प्राप्त करना।
- मेगावाट आकार के सौर उर्जा संयंत्रों के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा एवं बिजली की ज्यादा मांग वाले क्षेत्रों में स्टैंड–अलोन सोलर सिस्टम को बढ़ावा देना।
- सोलर के अलावा रिन्यूएबल ऊर्जा तकनीक को बढ़ावा देना।
- ट्रांसमि" ान और डीस्ट्रीब्यु" ान घाटे को कम करने के मुद्दे को संबोधित करना।
- चावल की खेती से उत्सर्जित मीथेन को कम करने का प्रयास करना तथा उपयुक्त प्रजातियों को प्रचलन में लाना जिससे उत्पादकता को प्रभावित किये बिना ग्रीन हाउस गैसों में कमी आएं।
- अतिरिक्त कार्बन सिंक बढ़ाने के लिये वेटलैंड का संरक्षण एवं पुनरूद्धार करना।
- संवेदन" ाील क्षेत्रों में जनित रोग की निगरानी और बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना।

माइलस्टोनः

क्रम सं0	कार्यबिन्दु	वर्तमान स्थिति	लक्ष्य		
			वर्ष 2022	वर्ष 2024	वर्ष 2030
1	वर्ष 2030 तक 2005 के स्तर से सकल धरेलू उत्पाद जी.डी.पी.में उत्सर्जन तीव्रता को 33 प्रतिशत कम करना। (प्रति" ात में)	.....	10	20	33
2	यूपीईसीबीसी 2018 को लागू करना। (ऊर्जा बचत मि0यू0)	128भवन चिन्हित	75	150	300
3	रूफ टाप सोलर पावर प्लाण्ट (मेगावाट में)	225	1700	2700	4500
4	प्रदे" ा के प्राथमिक विद्यालयों में सोलर आर0ओ0 वाटर संयंत्र कार्यक्रम	2727	4000	6000	12000
5	कृशकों के लिए सोलर पम्प (स्थापित/आवंटित)	30000	60000	80000	130000
6	प्रदे" ा के भाासकीय भवनों पर सोलर रूफ टॉप संयंत्रों की स्थापना कार्यक्रम (मेगावाट में)	10	55	130	500
7	बड़ी सौर विद्युत परियोजनाएं (स्थापित/आवंटित) (मेगावाट में)	2650	6400	8000	15000
8	राज्य में सोलर स्ट्रीट लाइट की संख्या	270000	325000	365000	485000
9	वर्ष 2030 तक प्रोद्यौगिकी में हस्तांतरण एवं कम लागत वाले अर्न्तरा' ट्रीय वित्त स्रोतो, हरित जलवायु फंड, गैर जीवा" म ईधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रति" ात संचयी पावर स्थापित क्षमता प्राप्त करना। (प्रति" ात में)	5.6	15	25	40
10	वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन एवं वृक्ष आच्छादन के माध्यम से 2.5 बिलियन टन कार्बन डाई आक्साइड के बराबर का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना	.....	0.5	1.0	2.5
11	वनावरण/वृक्षावरण (प्रति" ात में)	9.18	11.25	12.00	15.00

सतत विकास लक्ष्यः 14 जलीय जीवों की सुरक्षा

प्रदे”ा में लागू नहीं

सतत विकास लक्ष्यः 15 थलीय जीवों की सुरक्षा

विज़न

प्रदेश निरन्तर प्रगति एवं समावेशी विकास की दृष्टि से स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र की सुरक्षा, पुनर्स्थापना व सतत् उपयोग हेतु दृढ़ संकल्पित है। इसके लिए प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृशि भूमि, वन एवं जल सम्पदा का सतत् उपयोग तथा पारिस्थितिकीय तंत्र के अवनत होने की प्रक्रिया को रोककर पुनर्स्थापना द्वारा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। प्रदेश अपनी समृद्ध जैवविविधता व प्राकृतवासों के संरक्षण तथा आक्रामक विदेशी प्रजातियों (इनवेजिव एलियन स्पेसीज़) के प्रवेश तथा विस्तार को रोकने हेतु प्रतिबद्ध है। संरक्षण के प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले समस्त लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचाने हेतु संस्थागत विकास तथा परिवर्तन के कारकों की क्षमताओं को जमीनी स्तर पर सुदृढ़ करना है।

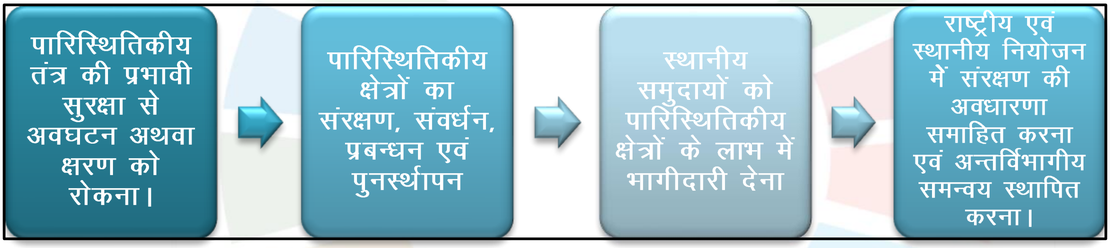

दृष्टिकोण

प्रदेश सतत् प्रगति एवं समावेशी विकास की दृष्टि से स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्रों की सुरक्षा, पुनर्स्थापना व सतत् उपयोग हेतु दृढ़ संकल्पित है। इसके लिए प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृशि भूमि, वन एवं जल सम्पदा का सतत् उपयोग तथा पारिस्थितिकीय तंत्र के अवनत होने की प्रक्रिया को रोककर पुनर्स्थापना द्वारा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। प्रदेश अपनी समृद्ध जैवविविधता व प्राकृतवासों के संरक्षण तथा आक्रामक विदेशी प्रजातियों (इनवेजिव एलियन स्पेसीज़) के प्रवेश तथा विस्तार को रोकने हेतु प्रतिबद्ध है। संरक्षण के प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले समस्त लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचाने हेतु संस्थागत विकास तथा परिवर्तन के कारकों की क्षमताओं को जमीनी स्तर पर सुदृढ़ करना है।

भूमिकाः

मानव अस्तित्व का गहन संबंध एवं निरन्तरता प्राकृतिक संसाधनों यथा–कृषि, वन, आर्द्रभूमि और जैवविविधता से है। विश्व के समस्त देश भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण, वनों की कटाई, जैव विविधता की हानि और आर्द्रभूमि के ह्रास की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

प्रदे" ा में बढ़ती आबादी के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। इस प्रकार ऐसी योजना बनाई जाये, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पुनर्स्थापना तथा सतत् उपयोग किया जा सके।

वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की गई स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार, उत्तर प्रदेश में वनावरण भौगोलिक क्षेत्र का 6.09 प्रतिशत है तथा वृक्षावरण भौगोलिक क्षेत्र का 3.09 प्रतिशत है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2017 तक वनावरण तथा वृक्षावरण लगभग 676 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। प्रदेश में वनावरण तथा वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9. 18 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत क्षेत्र वनावरण/वृक्षावरण से आच्छादित होना चाहिए।

जैव विविधता में सभी पारिस्थितिक तंत्र, विविध प्रजातियां तथा आनुवंशिक संसाधन शामिल हैं। जैव विविधता कन्वेंशन में पहली बार जैव विविधता संरक्षण को विकास की प्रक्रिया से तथा आनुवंशिक संसाधनों के सतत उपयोग से होने वाले लाभ को आर्थिक विकास के लक्ष्य से जोड़ा गया। उत्तर प्रदेश अपने व्यापक जलवायु और भौगोलिक परिदृश्य के कारण, सदियों से एक समृद्ध जैव विविधता पूल के रूप में पोषित और संरक्षित है। राज्य में इन–सीटू संरक्षण के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय उद्यान, तीन टाईगर रिजर्व, 26 वन्यजीव अभयारण्य एवं 01 कन्जर्वे" ान रिजर्व हैं तथा एक्स–सीटू संरक्षण के अन्तर्गत प्रदे" ा में तीन प्राणि उद्यान क्रम" ाः लखनऊ, कानपुर तथा लायन सफारी पार्क, इटावा स्थापित हैं।प्रदे" ा में कछुआ एवं घड़ियाल के कन्जर्वे" ान हेतु ब्रीडिंग सेंटर स्थापित है। जैवविविधता संरक्षण की दृष्टि से इन राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्यों का विशेष महत्व है।

वर्तमान में जैव विविधता व पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण हेतुभारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, नाबार्ड आदि से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। प्रदेश सरकार द्वारा अन्य अर्न्तराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं/डोनर एजेन्सियों द्वारा वित्त पोषण बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वानिकी कार्यो के लिए कार्पोरेट सामाजिक जिम्मदारी (सी0एस0आर0), गैर सरकारी संस्थानों तथा पंचायतों एवं शहरी निकायों के माध्यम से भी वित्त पोषण प्राप्त हो रहा है। आज जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से निपटने हेतु वृहद स्तर पर वृक्षारोपण, वन क्षेत्रों में सतत् वन प्रबन्धन तथा जैव विविधता संरक्षण एवं वन/वन्यजीव की सुरक्षा व्यवस्था हेतु और अधिक वित्तीय संसाधन जुटाने की आवश्यकता है।

लक्ष्यः

15.1– वर्ष 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय करारों के तहत दायित्वों की तर्ज पर कतिपय वनों, आर्द्र प्रदेश, पर्वतों और शुष्क भूमि में भौमिक तथा अंतदेर्शीय मीठे जल एवं पारितंत्र तथा उसकी सेवाओं का संरक्षण, पुनरूद्धार और संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करना।

15.2— वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के संधारणीय प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनोन्मूलन को रोकना, अवक्रमित वनों को पुनर्निर्माण करना और वनोकरण में वृद्धि करना तथा वैश्विक रूप से पुनः वनीकरण करना।

15.3— वर्ष 2020 तक मरूस्थलीयकरण को रोकना, मरूस्थलीयकरण, सूखा और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित अवक्रमित भूमि तथा मृदा का पुनरूद्धार करना और भूमि अवकमण निष्पक्ष विश्व को हासिल करने के लिये प्रयास करना।

15.4— वर्ष 2030 तक पर्वतीय पारितंत्र से लाभ प्राप्त करने हेतु उनकी क्षमता बढ़ाने के लिये जो कि संधारणीय विकास हेतु अत्यावश्यक हो, उनकी जैव विविधता सहित संरक्षण सुनिश्चित करना।

15.5— प्राकृतिक पर्यावासों के अवकमण को कम करने के लिये तात्कालिक और सार्थक कार्य करना, जैवविविधता की क्षति को रोकना और वर्ष 2020 तक संकटग्रस्त प्रजातियों के विलुप्त होने को रोकना।

15.6— आनुवंशिवक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत साझेदारी सुनिश्चित करना और ऐसे संसाधनों की समुचित उपलब्धता बढ़ाना।

15.7— वनस्पति और जीवों की संरक्षित प्रजातियों के अवैध शिकार तथा अवैध तौर पर बेचने की प्रक्रिया को रोकने के लिये तात्कालिक उपाय करना और अवैध वन्य जीव उत्पादों की मांग और आपूर्ति दोनों को पूरा करना।

15.8— वर्ष 2020 तक थल और जल पारितंत्रों पर आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश को रोकने तथा उनके प्रभाव को व्यापक स्तर पर कम करने के लिये उपाय करना और प्राथमिकता प्राप्त प्रजातियों पर नियंत्रण रखना तथा उन्मूलन करना।

15.9— वर्ष 2020 तक राष्ट्रीय और स्थानीय आयोजना, विकास प्रकियाओं, गरीबी को कम करन संबंधी कार्यनीतियों और लेखाओं में पारितंत्र तथा जैवविविधता संबंधी मान का एकीकरण करना।

15.क— जैवविविधता और पारितंत्रों के संरक्षण तथा संधारणीय उपयोग के लिये सभी स्रोतों एवं सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण संसाधन जुटाना और उसमें व्यापक वृद्धि करना।

15.ख— संधारणीय वन प्रबंधन के वित्त पोषण हेतु सभी स्रोतों से एवं सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण संसाधन जुटाना और संरक्षण तथा पुनः वनीकरण के लिये ऐसे प्रबंधन के उन्नयन हेतु विकासशील देशों को पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करना।

15.ग—संधारणीय आजीविका अवसरों का पता लगाने के लिये स्थानीय समुदायों की क्षमता बढ़ाकर संरक्षित प्रजातियों के अवैध शिकार तथा अवैध तौर पर बेचने की प्रकिया को रोकने हेतु प्रयास करने के लिये वैश्विक समर्थन बढ़ाना।

उपलब्धि:

- स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्रों में अवनतीकरण, जैव विविधता क्षति आदि की रोकथाम हेतु वृहद् स्तर पर वृक्षारोपण आदि कार्य हेतु **राज्य वन नीति 2017 प्रख्यापित**की गई है।
- जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के अन्तर्गत वेटलैंडस संरक्षण कार्य, प्रदूषण नियंत्रण तथा समुचित जल उपयोग कार्य हेतु **वर्ष 2018 में उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन।** व्यापक जागरूकता विकसित करने हेतु वि" व वेटलैण्ड दिवस (02 फरवरी, 2019) को प्रत्येक जनपद में चिन्हित वेटलैण्ड्स पर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन।
- **आर्द्रभूमि को कार्बन सिन्क के रूप में विकसित** करने हेतु भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा प्रदेश में चिन्हित कुल 1,25,905 वेटलैण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 12.43 लाख हे0 का राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि के पश्चात राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा 2.25 हे0 से अधिक 28,555 वेटलैण्डस् में से **महत्वपूर्ण वेटलैण्ड को चरणबद्ध रूप से वेटलैण्ड (कन्जरवेशन एण्ड डेवलपेमेंट) रूल्स 2017 के अन्तर्गत अधिसूचित** करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
- प्रदेश में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है तथा निम्न चार **गिनीज़ विश्व रिकार्ड** स्थापित है:—
  - 31 जुलाई 2007 को उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक संख्या में 01 करोड़ पौधों का रोपण।
  - 07 नवम्बर 2015 को 8 घण्टे में प्रदेश के 10 स्थलों पर सर्वाधिक संख्या (1,053,108) में पौधों का वितरण।
  - 11 जुलाई 2016 को 24 घण्टे में 6146 स्थलों पर सर्वाधिक संख्या (50,414,058) में पौधों का रोपण।
  - **वर्ष 2018 में 11.74 कराड पौधों का रोपण किया गया।**
  - **09 अगस्त 2019 को प्रयागराज में एक ही स्थल पर सर्वाधिक संख्या में पौधों का वितरण।**
- **दिनांक 09 अगस्त, 2019 को वृक्षारोपण महाकुम्भ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रथम बार माइक्रोप्लानिंग कर कृषकों की मांग के अनुसार पौधों का उगान, स्थल एवं प्रजाति चयन करते हुए डाइरेक्ट सीडलिंग ट्रांसफर के माध्यम से कृषको एवं समस्त विभागों का सहयोग प्राप्त कर 22.59 करोड़ पौधे रोपित किये गए।**
- **प्रदेश में प्रथम बार वन आवरण को बढ़ाने और संरक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, जिसमें 23 सरकारी विभागों, निजी शिक्षण संस्थानों व जन सामान्य का सहयोग लिया जा रहा है।**
- उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा राज्य के 9 कृषि–जलवायु क्षेत्रों में जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा स्तर पर

जैवविविधता प्रबंधन समितियों (बी0एम0सी0) का गठन किया जा चुका है तथा ग्राम सभा स्तर पर जन जैव विविधता रजिस्टर तैयार किये जा रहे हैं।

- संरक्षित क्षेत्रों में इको–टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु जैविक संसाधनों के सतत् उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए राज्य वन नीति 2017 के अन्तर्गत **इको–टूरिज्म नीति** तैयार की गई है।
- वन्यजीवों के अवैध शिकार व तस्करी को रोकने हेतु सघन निरीक्षण, स्मार्ट पेट्रोलिंग, हाईटेक सरवेलेंस के अन्तर्गत MSTrIPES एप, आई0आर0 कैमरा, थर्मल विजन कैमरा तथा यू0ए0वी0, इन्टेलिजेन्स् तंत्र का प्रयोग कर अपराधियों को सजा दिलाने पर **इंटरपोल द्वारा प्र"ास्ति पत्र जारी।**
- **प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रवर्तन के फलस्वरूप राज्य में बाघों की संख्या वर्श 2014 के 117 से बढ़कर वर्श 2018 में 173 हो गयी है।** बाघ सुरक्षा के प्रति स्थानीय समुदाय को संवेदनशील बनाकर बाघ संरक्षण में स्थानीय समुदाय की सहभागिता प्राप्त करने के लिए माह दिसम्बर, 2018, बाघ संरक्षण माह मनाया गया।
- **मानव–वन्यजीव संघर्ष को आपदा घोषित** करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है।
- वन विभाग से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण व वानिकी सम्बन्धी जानकारी हेतु टोल फ्री 1926 **हेल्पलाइन वन मित्र** मोबाइल एप की व्यवस्था।
- **काष्ठ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन** एवं कृशि वानिकी को बढ़ावा देने हेतु उ0प्र0 आरामिल की स्थापना एवं विनियमन (शश्टम सं" ोधन) नियमावली, 2018 प्राख्यापित की गयी। काश्ठ आधारित उद्योगों की सभी श्रेणियों हेतु 1218 प्राविजनल लाइसेंस **आन लाइन ई–लॉटरी के माध्यम से पारद"ाी व्यवस्था** के अन्तर्गत निर्गत।
- जनसामान्य की सुविधा हेतु निजी भूमि पर स्थित वृक्षों के पातन हेतु **आन लाईन पातन अनुज्ञा एवं आन लाइन अभिवाहन पास** जारी किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

रणनीति

- राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण को स" ाक्त, प्रभावी एवं क्रिया" ाील बनाते हुए 09 कृशि जलवायु क्षेत्र में 02 जनपद तथा प्रत्येक जनपद में 2.25 हे0 के 10 सबसे बड़े आर्द्रभूमि को चिन्हित कर अधिसूचित करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। आर्द्रभूमि के सतत् उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों में जैवविविधता समिति के माध्यम से हितधारकों की भागीदारी सुनि" चत करना तथा **जलीय जैव विविधता पार्क** का विकास करना।
- महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए **कन्जर्वे"ान रिजर्व/कम्यूनिटी रिजर्व** के रूप में घोशित कर संरक्षित करना। पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक अथवा पारिस्थितिकीय रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों/वृक्षों को विरासत क्षेत्र अथवा **विरासत वृक्ष** घोशित कर संरक्षित करना तथा **सेक्रेड ग्रोव्स** का संरक्षण।

- खनन क्षेत्रों में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में दी गयी समस्त भार्तों प्रमुखतः खनित क्षेत्र के पुर्नस्थापन के सम्बन्ध में दी गयी भार्तो का अक्षर" ाः अनुपालन कराना जिससे **हरित खनन सिद्धांतो** का पालन हो।
- **वन धन योजना** के अन्तर्गत वन क्षेत्रों में गैर प्रकाष्ठ वनोपज का सतत् विदोहन हेतु एस0ओ0पी0 विकसित कर वैल्यू एडिशन करते हुए स्थानीय लोगों को लाभ प्रदान करना।
- सतत् वनीकरण हेतु वन क्षेत्र के बाहर वृक्षों के विपणन हेतु **वन निगम के माध्यम से विपणन व्यवस्था एवं प्रमाणीकरण तथा चेन ऑफ कस्टडी** की व्यवस्था लागू किया जाना।
- औद्योगिक इकाईयों की मांग के अनुरूप रिक्त वन क्षेत्रों में **उच्च उत्पादकता वाले वन क्षेत्रों का विकास।**
- **वृक्षारोपण की प्रभावी सुरक्षा** हेतु कैटल प्रूफ ट्रेन्च, फेंस, ट्री गार्ड आदि के लिए वित्तीय व्यवस्था।
- पारिस्थितिकीय तंत्र में जैवविविधता हेतु **स्थानीय प्रजातियों** के रोपण को प्रोत्साहित करना तथा **बांस के रोपण** को वि" ोश रूप से प्रोत्साहित करना।
- प्रदेश में चिन्हित 36 वाटर स्ट्रेस्ड जनपदों में **गिरते भू–जल स्तर को कम करने** हेतु एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में सूखे से निपटने हेतु **जल संचयन क्षेत्रों का निर्माण** कर वृक्षावरण बढ़ाना। नहरों के किनारे जल भराव के कारण बढते क्षारी मृदा को एवं बीहड़ एवं पठारी भूमि के अवनतीकरण को भूमि एवं जल संरक्षण कार्य करते हुए वृक्षारोपण के माध्यम से पुनर्जीवित करना। उपलब्ध सीमित भूमि में अनुकूलतम जैव विविधता की स्थापना हेतु विभिन्न/लम्बवत छत्र (वर्टिकल कैनोपी) वानिकीकरण करना।
- वानिकी के नये मॉडल विकसित करना–**मियॉवाकी तकनीक** हेतु एस0ओ0पी0 का विकास।
- अवनत वन क्षेत्रों में **सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन** एवं सिल्विकल्चरल ऑपरेशन को बढ़ावा देना।
- वन बन्दोबस्त कार्य के अंतर्गत वन क्षेत्रों का जी0आई0एस0 तकनीक से डिजिटाइजे" ान, सीमा स्तम्भों की स्थापना तथा सतत् सत्यापन एवं अवशेष भूमि को धारा 4 तथा धारा 20 के अन्तर्गत अधिसूचित करना।
- वन क्षेत्रों के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रदान की गयी अनुमति की अवधि समाप्त होने के उपरान्त ऐसे वन क्षेत्रों को, वि" ोशकर खनन की खदानों को पुर्नस्थापित कर पुनः वन क्षेत्र स्थापित करना व गैर वानिकी कार्यों के पश्चात प्राप्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत अधिसूचित करना व उक्त का अनुश्रवण।

- ईंधन की लकड़ी के उपयोग पर दबाव को कम करने के लिए वन सीमा के **5 किमी0 की दूरी तक गरीबों हेतु एलपीजी वितरण** तथा बायोगैस को प्रोत्साहित करना।
- विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों में ग्रीष्म काल के दुष्परिणाम को कम करने हेतु **''हीट वेव एक्शन प्लान''** बनाकर क्रियान्वित करना, जिसमें विन्ड–रोज़/" ोल्टर बेल्ट वृक्षारोपण प्राथमिकता से किया जाय।
- बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने से रोकने हेतु प्रदेश के **समस्त नदियों के तटीय क्षेत्रों** में स्थित **आर्द्रभूमियों को पुनर्स्थापित** करते हुए **जल संचयन क्षेत्र को बढ़ावा देना।**
- जी0आई0एस0, रिमोट सेंसिंग, आदि तकनीकी का उपयोग कर अवनत भूमि का मानचित्रीकरण करना।
- विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकीय तंत्रों में स्थित प्राकृतिक वासों का संरक्षण तथा प्रबन्धन सुनि" चत करते हुए वन क्षेत्रों तथा संरक्षित क्षेत्रों (वन्यजीव क्षेत्रों) के खण्डीकरण को रोकना। खण्डित वन क्षेत्रों की पुनर्स्थापना तथा **वन्यजीवों के महत्वपूर्ण कारीडोर** की सुरक्षा, संरक्षण तथा अंतर्राश्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा पर वन्य जीवों के आवागमन को सुगम बनाने हेतु सूचनाओं का आदान–प्रदान करना।
- **गोरखपुर में प्राणि उद्यान का स्थापना** कार्य प्रगति पर है।
- वनस्पतियों तथा जीवों के इन–सीटू/एक्स–सीटू संरक्षण हेतु जैव विविधता हेरिटेज स्थलों का चिन्हिकरण तथा संरक्षण, प्रजनन तथा प्रबन्धन हेतु सेन्टर फॉर एक्सलेन्स की स्थापना करना।संकटग्रस्त वन्यजीवों के लिए **रेस्क्यू सेंटर की स्थापना**।
- प्रदेश में स्थित चार वन अनुसंधान केंद्र (वाराणसी, बरेली, गोरखपुर और लखनऊ) की क्षमता का सुदृढ़ीकरण।
- वन क्षेत्र से सटे ग्रामों में निवास कर रहे जनसामान्य के सामाजिक आर्थिक अस्तित्व में सुधार हेतु स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने हेतु सहभागीय वन प्रबन्धन को प्रोत्साहित करना।
- संगठित वन एवं वन्यजीव अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण स्थापित करने के लिए आकस्मिक निधि तथा सफल सूचना तंत्र विकसित करने हेतु **सीक्रेट फन्ड** का सृजन कर वन विभाग की **''स्पेशल टास्क फोर्स''** का गठन कर कॉल डिटेल रिकार्ड प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाना तथा समस्त वन्यजीव विहारों के प्रबन्धन के सतत् **अनुश्रवण हेतु ग्रेडिंग प्रणाली** विकसित करना।
- वन क्षेत्रों में **बीटों का पुनगंठन** करते हुए वन एवं वन्यजीव सुरक्षा हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।मानव–वन्यजीव संघर्ष के निवारण हेतु **क्विक रिस्पान्स टीमों** का गठन, क्रियान्वयन तथा सुदृढ़ीकरण।

- वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा हेतु आव" यकतानुसार नियमों एवं अधिनियमों में समय–समय पर सं" ाोधन करना तथा विभागीय आधारभूत व्यवस्थाओं एवं मानव संसाधन की क्षमता का विकास करना।
- आर्द्र भूमि पारिस्थितिकीय तंत्र तथा वन क्षेत्र में मौजूद **इनवेजिव एलियन स्पेसीज** लैन्टाना, पार्थीनियम, जलकुम्भी आदि के प्रवेश/विस्तार को **जैविक नियंत्रण** से रोकने हेतु उचित प्रजातियों (प्रिडेटर स्पेसीज) का चिन्हिकरण कर प्रयोग में लाना तथा वैकल्पिक प्रयोग में लाते हुए उनकी बढ़ोत्तरी दर में कमी लाना।
- शहरी क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शहरों में मौजूद जैव विविधता के निरन्तर आंकलन के लिए समस्त जनपदों तथा महत्वपूर्ण शहरों का **बायोडायवर्सिटी इन्डेक्स** जारी करना तथा इस इन्डेक्स के परिणामों को सम्मिलित करते हुए अरबन गवर्नेन्स का नीति निर्धारण एवं कार्यक्रम क्रियान्यवन करना।
- दूशित जल प्रवाहित करने वाले **नालों को फाइटोरेमेडिए"न से प्रदूशण मुक्त** करने हेतु कार्यवाही किया जाना।
- ईको पर्यटन, पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना, ईको पर्यटन हाट–स्पाटस का विकास तथा विभिन्न मानकों में सुधार हेतु आडिट। वन्यजीव बाहुल्य व प्राकृतिक सौन्दर्य वाले क्षेत्रों में ईको टूरिज्म तथा होमस्टे को बढ़ावा।
- वानिकी उत्पादन हेतु ई–ग्रीन मार्केट पोर्टल विकसित करना।
- पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले औद्यौगिक संस्थानों के **सी0एस0आर0 धनरा"ि का कम से कम आधा हिस्सा एवं सी0ई0आर0 (कार्पोरेट इन्वायरमेन्टल रिसपान्सबिलिटी)** के अन्तर्गत पारिस्थितिकीय क्षेत्रों के पुर्नस्थापन में व्यय करने हेतु प्रभावी निर्दे" ा जारी कराकर क्रियान्वित कराना। भारत सरकार, नाबार्ड, उत्तर प्रदेश सरकार तथा जेआईसीए जैसी अंतर्राष्ट्रीय डोनर एजेंसियों द्वारा वित्त पोषण प्रदान किये जाने का प्रयास किया जाय। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर उपलब्ध स्रोतों से वित्त पोषण बढ़ाने के प्रयास करना।
- प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों के बेहतर प्रबन्धन के लिए भूमि के एकीकरण हेतु **लैण्ड बैंक** तथा आवश्यक वित्तीय संसाधनों के माध्यम से व्यवस्था करना।
- वन्यजीवों व जैव विविधता का मानचित्रीकरण एवं जैव विविधता समिति के माध्यम से प्रदे" ा के समस्त ग्राम पंचायतों तथा भाहरी निकायों में जन जैव विविधता पंजी का संधारण तथा ग्राम पंचायतवार उत्पादित **जैव संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग** से धनरा"ि ा प्राप्त करना।
- टाइगर रिजर्वो के **टाइगर कन्जर्वे"न फाउन्डे"न** में उद्योगों द्वारा सी0एस0आर0 फण्ड का उपयोग टाइगर रिजर्वों के विकास में ईको–पर्यटन से होने वाली आय के साथ किया जायेगा।

- जैविक संसाधनों के बेहतर प्रबन्धन एवं वैल्यू एडिसन से स्थानीय समुदाय को जैव विविधता एवं ईको सिस्टम सर्विसेज का लाभ प्राप्त करने हेतु उत्प्रेरित करना तथा रणनीति एवं प्रणाली/व्यवस्था लागू करना।
- सभी राजकीय योजनाओं के मूल्यांकन तथा बजटिंग में **ग्रीन एकाउन्टिंग** लागू करना।
- वानिकी कार्यों हेतु **कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट रिस्पांसबिलिटी तथा सी0एस0आर0** से **वित्तीय संसाधन** जुटाना।
- पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली औद्योगिक ईकाईयों द्वारा की जाने वाली पर्यावरणीय क्षति का आंकलन कर ''पलयूटर पेज़'' सिद्धांत पर **प्रतिपूर्ति व्यवस्था (पेमेन्ट ऑफ इन्वायरमेन्टेल सर्विसेज)**।
- **कार्बन फुट प्रिन्ट आफसेटिंग** हेतु विभिन्न औद्योगिक समूहों से वित्तीय संसाधन प्राप्त करना तथा वन प्रबन्धन हेतु रेड, रेड प्लस तथा ए0आर0सी0डी0एम0 के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाना।
- मैसिव ऑन लाईन ओपेन कोर्स (एम0ओ0ओ0सी0) के माध्यम से वन विज्ञान एवं कृषि वानिकी प्रजातियों के पौधशाला प्रबन्धन पर प्रमाणीकृत प्रि" ाक्षण **ग्रीन स्किल डेवलेपमेंट प्रोग्राम** के अन्तर्गत देना तथा दूरदर्शन आदि के माध्यम से पौधशाला स्थापना, प्रकाष्ठ विक्रय प्रणाली, उत्पादकता आदि को प्रसारित करना।
- पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव से सम्बन्धित विभिन्न राष्ट्रीय एवं **अंतर्राष्ट्रीय दिवसों** को **जन जागरूकता** हेतु वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण त्योहार के रूप में मनाया जाना।
- जैव विविधता अधिनियम 2002 (बायोलाजिकल डायवर्सिटी एक्ट–2002), जैव विविधता नियम 2004 तथा जैविक संसाधनों की प्राप्ति हेतु दिशा निर्देश, जैविक संसाधन व उससे संबंधित ज्ञान तथा **बेनेफिट शेयरिंग रेगुलेशन–2014** का प्रभावी क्रियान्वयन।
- ख्याति प्राप्त संस्थानों का सहयोग प्राप्त कर संकटग्रस्त एवं लुप्तप्राय प्रजातियों की **सूची जारी करना**।
- आक्रामक विदे" ाी प्रजातियों का स्थानीय लोगों द्वारा **एकीकृतपेस्ट प्रबन्धन तंत्र**द्वारा उन्मूलन तथा सदुपयोग (उदाहरणतः जलकुम्भी कम्पोस्ट इत्यादि) किया जाना।
- इन–सीटू **जैव विविधता बैंकों की स्थापना** हेतु जीन पूल क्षेत्रों को चिन्हित कर सुरक्षित करना तथा जनमानस द्वारा उनके उपयोग को नियंत्रित करना।
- अर्न्तराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर अवैध शिकार और तस्करी पर **इन्टैलिजेन्स आधारित** प्रभावी प्रवर्तनतंत्र स्थापित करना। वन एवं वन्यजीव क्षेत्रों में प्रभावी गस्त सुनिश्चित करने हेतु **स्मार्ट पेट्रोलिंग** यथा **एम–स्ट्राईप्स** को अनिवार्य करते हुए इस हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना। अवैध शिकार और तस्करी हेतु संवेदनशील क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के सतत् जीविकोपार्जन को सुनिश्चित करने हेतु

कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित कराना तथा ईको विकास कार्यक्रम को निरन्तरता प्रदान करना एवं जैव संसाधनों के संरक्षण से प्राप्त होने वाले लाभों में भागीदारी देना।

- वृक्षारोपण में **यांत्रिकीकरण** को सेल्फ हेल्फ ग्रुप के माध्यम से बढ़ावा तथा प्रशिक्षण। यू0ए0वी0, सेंसर, लेजर फेन्सिग, उपग्रह आधारित अनुश्रवण, **ट्रैकिंग प्रोटोकॉल तथा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग।**

विभागीय एवं निजी नर्सरियों में आधुनिक नर्सरी प्रबंधन तकनीक का उपयोग कर **उत्पादकता में वृद्धि** हेतु उच्च गुणवत्ता का पौध उगान, नर्सरी मानकीकरण तथा पौध विक्रय हेतु ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना।

माइलस्टोनः

इण्डिकेटर	वर्तमान स्थिति	लक्ष्य		
		2022	2024	2030
वनावरण तथा वृक्षावरण(प्रति" ात में)	9.18	11.25	12.00	15.00
आर्द्रभूमि प्रबन्धन क्षेत्रफल (हे0 में)	190	5000	10000	50000
खनन उपरान्त पुर्नस्थापित भूमि (हे0 में)	—	300	1000	1500
पारिस्थितिकीय तंत्रों मे भीर्श प्रजातियों की संख्या।				
बाघ	173	180	190	200
सारस	16000	16500	17000	18500
डालफिन	1200	1250	1300	1350
सृजित कन्जर्वेशन रिजर्व की संख्या	01	03	05	10
सृजित कम्यूनिटी रिजर्व की संख्या	00	02	04	08
वानिकी परियोजनाओं में वृक्षारोपण (सं0 करोड़ में)	22	50	100	400
धारा–20 में अधिसूचित आरक्षित वनों का क्षेत्रफल (लाख हे0)	9.96	10.50	11.00	12.00
सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन एवं सिल्विकल्चरल ऑपरेशन के अर्न्तगत क्षेत्रफल (हे0)	बजट के अनुसार	5000	8000	30000
वृक्षारोपण कार्यों एवं सर्टीफिकेट कोर्स, यांत्रिकीकरण आदि के प" चात् एस0एच0जी0 की क्षमता विकास	0	1000	10000	20000
ग्रीन स्किल डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत स्किल डेवलेपमेन्ट किये गये व्यक्तियों की संख्या	—	25000	50000	100000
लाभ साझाकरण (ए0बी0एस0) समझौता की धनराशि से लाभान्वित जैव विविधता समितियों की संख्या	0	50	500	5000
आक्रामक विदे" ाी प्रजातियों का वैकल्पिक प्रयोग व कमी लाकर आर्थिक विदोहन कर रही एस0एच0जी0 की संख्या	0	50	200	500
जनपद तथा महत्वपूर्ण भाहरों का मानक के अनुसार सिटी बायोडायवरसिटी इन्डेक्स जारी करना	0	15	30	75

सतत विकास लक्ष्यः 16 भाांति, न्याय और स"ाक्त संस्थाए

विजन

उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार के भ्रष्टाचार से मुक्त समाज की स्थापना, सम्मान के आधार पर शांतिपूर्ण और समावेशी समुदाय को बढावा देने के साथ–साथ सभी स्तरों पर पारदर्शी, प्रभावी और जबाबदेह कानून का ' ाासन स्थापित करना है। सतत विकास के लिए ' ाांतिपूर्ण और समावेशी सोसाइटियों को बढ़ावा देना, सभी को न्याय उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना।

लक्ष्य 16.1 हर जगह हिंसा और सभी प्रकार की मृत्यु दरों मे व्यापक कमी करना।

लक्ष्य 16.2 बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, उनके शोषण, अवैध तौर पर बेचने की प्रकिया तथा सभी प्रकार की हिंसा और उत्पीडन को समाप्त करना।

लक्ष्य 16.3 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कानूनी नियम को बढावा देना और सभी के लिए एक समान न्याय सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 16.4 वर्ष 2030 तक अवैध वित्तीय और हथियार व्यापार में व्यापक कमी करना, चोरी की संपत्तियों की बरामदगी तथा वापसी और सभी प्रकार के संगठित अपराधों से निपटना।

लक्ष्य 16.5 सभी प्रकार के भ्रष्टाचार और रिश्वत में व्यापक कमी करना।

लक्ष्य 16.6 सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थानों का विकास करना।

लक्ष्य 16.7 सभी स्तरों पर अनुकियाशील, समावेशी, भागीदारी और प्रतिनिधिक निर्णय लेना सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 16.8 वैश्विक ' ाासन वाली संस्थानों में विकासशील देशों की भागीदारी बढाना और उन्हें सुदृढ. करना।

लक्ष्य 16.9 व"र्ा 2030 तक जन्म पंजीकरण सहित सभी के लिए वैधानिक पहचान उपलब्ध कराना।

लक्ष्य 16.10 जनसूचना उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा रा"ट्रीय विधान और अन्तर्रा"ट्रीय करारों के अनुसार मौलिक स्वतंत्रता का संरक्षण करना ।

लक्ष्य 16.क विशे"ा रूप से विकासशील देशों में हिंसा रोकने और आतंकवाद तथा अपराध से निपटने के लए सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण करने हेतु अन्तर्रा"ट्रीय सहयोग के माध्यम से संबंधित रा"ट्रीय संस्थानों का सुदृढ़ीकरण करना।

लक्ष्य 16.ख संचारणीय विकास हेतु भेदभावरहित कानूनों और नीतियों का प्रवर्तन और संवर्धन करना।

उपलब्धि

राज्य ने कई अभिनव प्रयास शुरू किए हैं और वे सकारात्मक परिणाम उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे कई लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आया है:–

- पुलिस महानिदेशक रैंक की अध्यक्षता में **महिला सम्मान प्रकोष्ठ** की स्थापना।
- **वीमेन पॉवर लाइन 1090** – एक टोल–फ्री नम्बर है जो महिलाओं के खिलाफ असामाजिक व्यवहार तथा अपराध के मामलों में सहायता प्रदान करती है और महिलाओं तथा लड़कियों की त्वरित सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
- **वन स्टाप सेण्टर**।
- उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में एक–एक **मानव तस्करी रोधी इकाइयाँ इकाई** (एएचटीयू) स्थापित हैं। शेष बचे 40 जिलों को इन एएचटीयू वाले जिलों से जोडा गया है।
- **आपरेशन मुस्कान**– गुमशुदा बच्चों की सुरक्षित घर वापसी के लिए **ऑपरेशन मुस्कान** शुरू किया गया है। जून से अगस्त 2018 के महीने में सम्पूण प्रदेश में ऑपरेशन मुस्कान ड्राइव लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से उ0प्र0 में करीब 2200 गुमशुदा बच्चे बरामद किये गये।

- **आपरेशन डिस्ट्राय** उ0प्र0 पुलिस द्वारा माह जून, 2018 में आरम्भ किया गया जिसके द्वारा उ0प्र0 के प्रत्येक जिले में अश्लील सामग्री बरामद कर न" ट की गयी। दो महीनें के लम्बे अभियान के फलस्वरूप पूरे प्रदेश में 114 मामले दर्ज किये गये और बडी मात्रा में सामग्री बरामद हुई।
- **आपरेशन आत्मरक्षा**–यह एक आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जून 2018 से लगभग 5,73,308 लड़कियों को आत्म–शक्ति, आत्म–विश्वास, आत्म–सम्मान की भावना पैदा करने के लिए आत्म–रक्षा तकनीकों पर प्रशिक्षित किया गया था। प्रदेश में रा" ट्रीय कैडेट कार्पस (एन0सी0सी) प्रशिक्षण में 129711 छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया।
- राज्य के कानूनों के तहत **गुंडा अधिनियम** और **गैंगस्टर अधिनियम** के अन्तर्गत मानव तस्करी को दण्डनीय बनाया गया। उत्तर प्रदेश, देश के उन अग्रणीय राज्यों में शामिल है जहॉ विशिष्ट अपराधों के लिए **उ0प्र0 पीडित क्षतिपूर्ति योजना, 2014 यथासंशोधित 2015** लागू की की गयी, जिसमें मानव अपराधों, और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए **पास्को अधिनियम 2012** भी सम्मिलित है।
- आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम–2018 के बाद **पॉस्को अधिनियम** के अर्न्तगत बच्चों के साथ बलात्कार के 1094 मामलों में 60 दिनों के भीतर जांच पूरी की गयी।
- **बाल मित्र पुलिस** पहल के तहत किशोर न्याय अधिनियम 2015 और पास्को अधिनियम 2012 के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों को संवेदनशील और पुलिस स्टेशनों को बाल अनुकूल बनाना शामिल है। 20 पुलिस स्टेशनों को **मॉडल बाल मित्र थाने** के रूप में विकसित किया गया है।
- **यूपी 100** राज्य में सबसे बड़ा इमरजेन्सी रिस्पान्स सिस्टम है।
- 10 जिलों बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बदायूँ, बहराइच, गोण्डा, गाजीपुर, जौनपुर, मुरादाबाद एवं सोनभद्र में मॉडल **स्पेशल जुवेनाइल पुलिस युनिट** विकसित किया गया। इसी के साथ ही तथा बाल संरक्षण पर लोक अभियोजकों को विशेष रूप से प्रशिक्षण किया गया है।

यूपी 100 – नागरिक को सशक्त बनाना

यूपी 100 सेवाओं को 2016 से राज्य व्यवहार में लाया गया और कार्यान्वयन की इस छोटी अवधि में इसकी सराहना की गई है। यूपी 100 उत्तर प्रदेश में कहीं भी, कभी भी सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा के लिए त्वरित एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करता है।

यूपी 100 फोन कॉल के माध्यम से प्राप्त जानकारी को संबंधित जिले के पुलिस स्टेशन/पुलिस पोस्ट और अन्य अधिकारियों के साथ साझा करता है। यूपी 100 तब तक पुलिस कार्रवाई की निगरानी करता है जब तक समस्या हल नहीं हो जाती। इस अति–आधुनिक नियंत्रण कक्ष कालाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच जाता है और पीडित तक तत्काल पहुंच बनाई जाती है।

जुलाई अभियान

मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार प्रदेश की महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा और सुदृढ किये जाने के उद्देश्य से प्रथम चरण में सम्पूर्ण प्रदेश के विदयालों में बच्चों को सुरक्षा संबंधी जागरूकता प्रदान करने हेतु "बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान" 01 जुलाई से 31 जुलाई, 2019 के मध्य चलाया गया। इस अभियान के तहत पुलिस आउटरिच के दौरान 18,322 स्कूलों में अभियान चलाया गया जिसमें लगभग 38,21,000 बालिकाएं सम्मिलित हुईं ।

वन स्टाप सेण्टर और महिला विकास बाल सम्मान कोष

वन स्टाप सेण्टर महिलाओं को पोस्ट रेप या एसिड अटैक या यहां तक कि घरेलू हिंसा झेलने वाली महिलाओं को परामर्श, कानूनी और चिकित्सीय सहायता और पुलिस सहायता प्रदान करता है। यह 17 जिलों में पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है और आंशिक रूप से शेश 58 जिलों में कियाशील है। अप्रैल 2019 से जून 2019 तक 4482 केस प्रदेश में देखे गये है।

महिला एवं बाल सम्मान कोष निम्नलिखित सुनिश्चित करता है। महिलाओं को मौद्रिक और चिकित्सीय राहत जो कि एसिड अटैक, यौन शोषण, दहेज संबंधी उत्पीड़न सहित हिंसा की शिकार हैं, उनके रखरखाव, शिक्षा और पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य से संबंधित जरूरतों को पूरा करने के साथ–साथ आश्रित नाबालिग बच्चों को सहायता प्रदान करना।

ऐसी महिलायें और बालिकाओं के लिए सहायता प्रदान करना जो हिंसा का प्रत्यक्ष शिकार नहीं हो सकती हैं, लेकिन उन्हें अपने सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है।

भूमि विवाद एवं व्यावहारिक अपराधों में अधिक दक्षता के साथ संक्षिप्त विचारण

राज्य अदालतों के बाहर संक्षिप्त विचारण के माध्यम से भूमि विवादों और व्यवहारिक अपराधों को निपटाने के लिए अभिनव उपाय करेंगे। ये अदालतें नागरिकों की आसानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों (न्यायाधीशों एवं मजिस्ट्रेटों आदि) द्वारा रविवार को गठित हो सकती हैं। यह प्रणाली शिकायतों, संवितरण और दंड के लिए डिजिटलीकरण की संभावनाओं का अनुकूलन करके अधिक कुशल और पारदर्शी बनाई जा सकती है। इससे नियमित अदालतों पर बोझ कम होगा तथा बार–बार किए जाने वाले अपराधों को आगे की कार्रवाई के लिए भी ट्रैक किया जा सकता है।

सेफ सिटी लखनऊ परियोजना

भारत सरकार के निर्भया फण्ड के द्वारा पोि" ात **सेफ सिटी योजना** के अर्न्तगत प्रदेश के 08 ' ाहरों को चिन्हित किया गया है जिसमें लखनऊ ' ाामिल है। लखनऊ सुरक्षित परियोजना के कार्यान्वयन और लखनऊ ' ाहर में कुल लागत पर सक्षम ' ाहर परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा रू0 194.55 करोड़ की मंजूरी दी गयी है। यह परियोजना वित्तीय व" ा 2017–18 से व" ा 2020–21 तक लागू की जायेगी । वित्तीय व" ा 2019–20 हेतु सेफ सिटी हेतु रू0 97.58 करोड की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। सेफ सिटी परियोजना हेतु इन्टीग्रेटेड स्माल कण्ट्रोल रूम (आई0एस0सी0आर0) जिसमें वर्तमान स्थापित सी0सी0 कैमरे के अतिरिक्त 1500 अन्य कैमरे, वीडियो एण्ड इमेज इनालिसिस के माध्यम से रियल टाइम एलर्ट जनरेट किये जायेंगे । साथ ही यू0पी0 100, 1090 एवं सी0सी0टी0एन0एस0के माध्यम से महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों को हाट स्पाट चिन्हित किये जायेंगे तथा सोशल मीडिया के माध्यम से मानीटरिंग की जाएगी।

पिंक पुलिस चौकियां एवं पिंक स्कूटर पेट्रोल व एक्सयूवी पेट्रोल जिसमें 100 पिंक पुलिस चौकियां, 100 स्कूल पेट्रोल तथा 11 एक्सयूवी पेट्रोल के माध्यम से महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा पेट्रोलिंग की जाएगी !

74 पिंक टायलेट तथा 3625 स्ट्रीट लाइट के संबंध में नगर निगम लखनऊ द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

वूमेन पावर लाइन की क्षमता बढ़ाने हेतु अन्य 80 वर्क स्टेशन की स्थापना की जाएगी ।

इण्टीग्रेटेड स्मार्ट कण्ट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी ।

50 वूमेन हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी ।

आपकी सखी आशा ज्योति केन्द्र की क्षमता बढ़ाने हेतु 05 रेस्क्यू वैन दिये जायेंगे ।

250 सिटी बसों में इमरजेंसी बटन व सीसीटीवी कैमरों की स्थापना की जाएगी ।

भ्र"टाचार निवारण संगठन

भ्र" टाचार अर्थात लम्बित वैधानिक कार्य को सम्पादित कराने के एवज में रिश्वत लेने या देने की मानसिकता /संस्कृति में बदलवाने के साथ ऐसा कार्य करने वाले अपचारियों के विरूद्ध भ्र" टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत कठोरतम कार्यवाही की जा रही है। इसके लिए उ0प्र0 में व" ा 1977 में भ्र" टाचार निवारण संगठन की स्थापना की गयी। संगठन द्वारा भ्र" टाचार, बलात्कार, जानबूझकर बदला लेने तथा परेशान करने की प्रवृत्ति एवं बुरी नीयत से आपातकालीन विशे" ाधिकारों का दुरूपयोग की शिकायतों की जांच/विवेचना की जाती है। भ्र" टाचार निवारण संगठन द्वारा व" ा 2016 में 30, व" ा 2017 में 53, व" ा 2018 में कुल 80 ट्रैप सफलतापूर्वक सम्पादित किये गये। इसी क्रम में व" ा 2019 में दिनांक 13.09.2019 तक कुल 68 सफल ट्रैप सम्पादित किये जा चुके हैं। भ्र" टाचार निवारण संगठन की टास्क फोर्स यूनिट मुख्यालय स्तर पर स्थापित है इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तरप्रदेश में है साथ ही इनको 10 इकाईयों यथा मेरठ, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर, बरेली, गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी एवं झांसी में बांटा गया है। इसी तरह सतर्कता अन्वे" ाणों हेतु उ0प्र0 सतर्कता अधि" ठान के 10 सेक्टर यथा लखनऊ/अयोध्या/ गोरखपुर/वाराणसी/प्रयागराज/ कानपुर/ झांसी/आगरा/ बरेली और मेरठ को पुलिस थाना बनाया गया है।

ट्विटर

भ्र"टाचार के उन्मूलन में तकनीकी सहयोग प्राप्त करने के लिए बवण्दपबण्पद **के ई–मेल एड्रेस के अतिरिक्त एण्टी करप्शन यूपी नामक टिवटर हैण्डल भी प्रचलित है जिसके लगभग 3800 फालोवर्स व"ा 2018 में ही बने है । यह भ्र"टाचार के उन्मूलन में एक नवीनतम प्रयोग है, जिसके माध्यम से प्रदेश में ट्रैप की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है!**

विटनेस प्रोटक्सन स्कीम–2018 का अनुपालन

गम्भीर अपराधो के अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को विभिन्न रूप से डरा धमका कर या प्रलोभन देने या अन्य प्रकार से प्रभावित करके दोषमुक्त हो जाने का प्रतिकूल प्रभाव न्याय प्रशासन एवं राज्य के कानून–व्यवस्था पर पड़ने के दृष्टिगत मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में साक्षी एवं उसके परिवार को तथा उसके निवास के अतिरिक्त भी अन्य स्थान पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु **''साक्षी सुरक्षा योजना–2018''** लागू की गयी।

महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों के प्रभावी रोकथाम

महिलाओ/बालिकाओं के साथ छेड़छाड की घटनाओं पर पूर्णतया अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार **एण्टी रोमियो स्क्वाड** का गठन प्रत्येक जनपद में किया गया है। इसके अन्तर्गत दिनांक 22.03.2017 से 15.09.2019 तक सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों, बाजारों, माल, तथा बस अड्डो आदि की निगरानी करते हुए अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्व 4575 व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्यवाही की गयी तथा 2755564 व्यक्तियों को चेतावनी देकर छोडा गया। इससे महिलाओं एवं बालिकाओं के अन्दर अभूतपूर्व आत्मविश्वास की वृद्वि हुई है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा **बच्चियों और महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु लखनऊ, गोरखपुर, बदायूँ में 03 महिला बटालियन** स्थापित किये जाने का भी निर्णय लिया गया है।

आम नागरिको की सुविधा हेतु यूपी–काप मोबाइल एप विकसित किया गया है

आम नागरिको को प्रदान किये जाने वाली नागरिक सुविधाओं को धरातल पर आसानी से प्रयोग करने हेतु **यूपी–काप मोबाइल एप** तैयार किया गया है, इससे आम जन को पुलिस विभाग के 27 सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। यूपी पुलिस अनवरत आईटी प्लेटफार्म एवं आईटी टेक्नोलाजी को इस्तेमाल करके बेहतर से बेहतर सेवा प्रदान

कर जनमानस के साथ जुडने में प्रयत्नशील है।

सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत समस्त थानों एवं वरि" ठ अधिकारियों के कार्यालयों को कम्प्यूटराइज्ड कर नेटवर्किंग के माध्यम से आपस में जोडने की व्यवस्था की गयी है। इस योजना में डाटा फीडिंग थाने स्तर पर होगी तथा शिकायतकर्ता को एफआईआर की कम्प्यूटरीकृत प्रति दी जाएगी । वित्तीय व" र्ा 2018–19 में कुल रू0 41.00 करोड़ आवंटित किया जा चुका है। इस योजना के अन्तर्गत ' ात–प्रतिशत एफआईआर आन लाइन दर्ज की जा रही है। वर्तमान में **सीसीटीएनएस सिटीजन पोर्टल के अन्तर्गत शिकायतों को दर्ज कराने, घरेलू सहायता सत्यापन, चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन, किरायेदार सत्यापन, कर्मचारी सत्यापन, जुलूस अनुरोध, कार्यक्रम प्रदर्शन अनुरोध, फिल्म ' ूटिंग अनुरोध एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुरोध** आदि क्रियाशील हैं। वर्तमान में लगभग 19217 चरित्र सत्यापन, 655 किरायेदार सत्यापन, 4539 कार्मिक सत्यापन, 529 नौकर सत्यापन, सम्बन्धी अनुरोध दर्ज किये जा चुके हैं।

कुल 1533 थानों में से 1348 थानों में सीसीटीवी कैमेरे लगाये जा चुके है तथा उनमें कनेक्टिविटी भी प्रदान की जा चुकी है ' ो" । 185 थानों में सीसीटीवी लगाने व कनेक्टिविटी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

त्रिनेत्र एप

तकनीकी युग में अपराधियों द्वारा अपनी पहचान छिपा लेने से निरंतर अन्य अपराधों में संलिप्तता पाये जाने में भी उनको पकड़ने में कठिनाई होती थी, जिसके दृष्टिगत प्रदेश में अपराध तथा अपराधिक गतिविधियों व अपराधिक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्धेश्य से मुख्यालय स्तर पर ब्मदजतंसप्रमक वदसपदम बतपउपदंस कंजंइेंम पकमदजपपिबंजपवद उवइपसम इेंमक ंचच श्श्ज्त्प्छम्ज्त्।ष विकसित किया गया है। इसमें प्रदेश के जेल एवं जनपदों का लगभग 5 लाख से अधिक अपराधियों का डाटा उपलब्ध है तथा प्रतिदिन इन आंकडों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। जिसका प्रयोग अपराधियों एवं अपराधों की रोकथाम हेतु किया जा रहा है।

साइबर सुरक्षा

साइबर अपराधों की प्रभावी रोकथाम एवं घटित अपराधों के अनावरण हेतु प्रत्येक जनपद में क्राइम ब्रान्च के नियंत्रणाधीन **साइबर सेल का गठन कर** उसमें प्रशिक्षित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है। वर्तमान में जनपद गौतमबुद्धनगर व लखनऊ में साइबर थाना स्थापित है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से समाज विरोधी गतिविधियों पर अंकुश/कार्यवाही के सम्बन्ध में **सोशल मीडिया लैब** की स्थापना की गयी है। साइबर अपराधों की गुणवत्तापरक विवेचना हेतु सी0बी0आई0 की मदद से कर्मियों के

प्रशिक्षण हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये हैं। साइबर अपराधो की विवेचनाओं के अनावरण एवं उनके प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्वक कार्यवाही हेतु इस कार्य में लगे पुलिस कर्मियों को विशेष रूप से दक्ष बनाने के प्रयास भी किये जा रहे हैं।

महिलाओं एवं बच्चियों को साइबर क्राइम से बचाव हेतु सीसीपीडब्लूसी (साइबर क्राइम प्रवेन्शन अगेन्सट वूमेन एण्ड चिल्ड्रेन) योजना के अन्तर्गत साइबर फोरेन्सिक लैब कम ट्रनिंग सेण्टर, कैपेसिटी बिल्डिंग आउटसोर्सिंग मैनपावर की स्थापना की गयी है, जिसके लिए रू0 470.85 लाख की स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है।

भीड द्वारा कारित हिंसा एवं हत्या किये जाने की घटनाओं की रोकथाम हेतु निर्देश

अतिरिक्त सतर्कता एवं मिथ्या अवधारणाओं के आधार पर व्यक्तियों के किसी समूह या भीड द्वारा कानून का स्वयं पालन कराये जाने के नाम पर किसी व्यक्ति के विरूद्व हिंसात्मक कार्यवाही करना विधि के अन्तर्गत पूर्णतया अक्षम्य एवं दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार की प्रत्येक घटना एवं ऐसी किसी भी घटना को उकसाने वाली दुष्ट प्रवृत्ति को रोकना सभी कानून प्रवर्तन अभिकरणो का प्रमुख कर्तव्य है। अति–सतर्कता प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों/संगठनो की अवैधानिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद को विस्तृत आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

भीड़ द्वारा कारित हिंसा के मामले में अपराध की अति संवेदनशीलता एवं पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रित की विशे" ा आवश्यकता के दृ" टगत जिला विधिक सेवा अधिकरण या राज्य विधिक सेवा अधिकरण को क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा की 25 प्रतिशत धनराशि तक की तात्कालिक आर्थिक सहायता दावे के सत्यापन/जांच की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व ही सहायता देने की कार्यवाही पीडित या उसके आश्रित को घटना की प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज होने के 30 दिन के अन्दर कराये जाने का प्रावधान किया जा रहा है।

अगस्त 2019 तक वांछित अपराधियों के विरूद्ध की गयी कार्यवाहीः–

पुलिस और अपराधियों के बीच 4563 मुठभेड हुयी जिसमें 10022 अपराधी गिरफ्तार किये गये एवं 1547 घायल हुये तथा 94 अपराधी पुलिस की आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में मारे गये। प्रदेश में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के कारण

16583 अपराधियों द्वारा स्वयं जमानत निरस्त कराकर मा0 न्यायालय में आत्मसर्मपण किया गया है।

इसी प्रकार आम जनता के बीच पुलिस की पहुॅच स्थापित किये जाने के उद्देश्य से जून, 2017 से सितम्बर, 2019 तक प्रदेश पुलिस द्वारा **फुट पैट्रोलिंग** में लगभग 15780822 संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग करते हुए 521896 को हिरासत में लिया गया तथा 287357 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

रणनीति

शांति, न्याय और सुशासन को सतत विकास ढांचे के लक्ष्यों में दृढ़ता से स्थापित किया जाना है, इसके लिए राज्य ने अपनी रणनीतियों के मार्गदर्शन के लिए तीन मुख्य स्तंभों की पहचान की हैः–

- सभी क्षेत्रों और सार्वजनिक संस्थानों में सहयोगी शासन सुनिश्चित करने के लिए नागरिकता और कानूनी साक्षरता का निर्माण, नागरिकता निर्माण हेतु तीन उद्देश्यों को साथ लिया जाएगाः–
  - कानून और व्यवस्था का अनुपालन प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों के सकारात्मक और न्यायसंगत दावे के रूप में अभ्यास किया जाता है।
  - नागरिकों के साथ संघ" रित कई सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान, प्रचलित प्रथाओं को संबोधित करते हैं, जैसे कि बाल विवाह, बाल श्रम और घरेलू हिंसा।
  - सकारात्मक तरीके से बहुसंख्यकों के बीच गैरकानूनी प्रथाओं के निवारण को बढ़ाना।

- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से न्याय प्रदान करने वाले सार्वजनिक एवं विशे" ा संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना तथा इसके निवारण के लिए ई–गवर्नेंस और सरकार के साथ सभी इंटरफेस अधिक ऑनलाइन होना भ्रष्टाचार को कम करने के लिए अन्य तकनीकी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराये जाएंगे।

- एक प्रगतिशील तरीके से पुर्नस्थापनात्मक न्याय प्रदान करना–अपराधियों और पीडितों दोनों को आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिकों के रूप में समाज में वापस लाना।

- राज्य नागरिक पंजीकरण प्रणाली को मजबूत करने को भी प्राथमिकता देगा, विशेष रूप से 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के जन्म पंजीकरण पर ध्यान केंद्रित करके, बैकलॉग को साफ करने के साथ–साथ सभी नवजात शिशुओं का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 16.1 हर जगह हिंसा और सभी प्रकार की मृत्यु दरो मे व्यापक कमी करना

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे–

- **दुर्घटना में मृत्यु** – मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी ताकि मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू किया जा सके और मामलों, रिपोर्ट और ट्रैक अनुपालन की पहचान हेतु प्रौद्योगिकी की क्षमता का दोहन किया जा सके। उक्त के अतिरिक्त अन्य रणनीतियों में बेहतर सड़क इंजीनियरिंग, सार्वजनिक अभियानों के माध्यम से जनजागरूकता, सड़क पर सभी वाहनों के लिए इनबिल्ट ऑटोमोबाइल सुरक्षा उपाय तथा सड़क उपयोगकर्ता अधिनियम पारित करना शामिल है। राजमार्गों पर दुर्घटना बहुल क्षेत्रों पर उपकरणयुक्त ट्रामा सेन्टर की स्थापना को भी प्राथमिकता देंगे। सड़क सुरक्षा को" ा के अन्तर्गत 2019–20 में रू0 35.00 करोड का प्राविधान किया गया है। दुर्धटना के कारण होने वाले मृत्युदर को रोकने के लिये यातायात नियमों के अन्तर्गत ई–चालान व्यवस्था को और अधिक प्रभावी रूप से दिनांक 07.01.2019 से लागू किया गया है। वर्तमान में 35 जनपदों में ई–चालान व्यवस्था व्यवस्था चालू कर दी गयी है, ' ो" ा जनपदों में अक्टूबर, 2019 तक ई–चालान व्यवस्था लागू कर दी जायेगी। अब तक लगभग 1218376 यातायात का उल्लघन करने वाले वाहनों का ई–चालान किया गया है और ' ामन ' ुल्क के रूप में कुल धनराशि रू0 14,67,54,223/– प्राप्त कर राजको" ा में जमा करायी जा चुकी है।
- **घरेलू हिंसा** – कानून के द्वारा पीडित के पहचान की रक्षा, ताकि पीडित व्यक्ति सम्मान के साथ एक नया जीवन शुरू कर सके, के लिये राज्य प्रयास करेगा।

पुलिस बल से इतर हेल्पलाइन और नि" पक्ष काउंसलरों को प्रशिक्षित और तैनात किया जाएगा। अगर शिकायतकर्ता दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के बाद परिवार के साथ रहने में असमर्थ है, तो वन स्टाप सेण्टर द्वारा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। घरेलू हिंसा के प्रति जनजागरूकता और सामुदायिक पुलिसिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

- **भूमि विवाद**–भूमि सम्बन्धी रिकार्ड एवं टाइटिल के 100 प्रतिशत भौगोलिक सूचना प्रणाली (GISS) का उपयोग करके भूमि सम्बन्धी रिकार्ड हासिल करने के लिए और भूमि विवादों के त्वरित समाधान के लिए उपाय किए जाएंगे। डिजीटल भूमि रिकॉर्ड सार्वजनिक डोमेन में डाल दिया जाएगा और बिक्री विलेख में किसी भी बदलाव से लोगों को सूचित किया जाएगा। अवैध अतिक्रमण/कब्जे को कानून के तहत संज्ञेय अपराधा बनाया जाएगा।
- दीवानी मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु उपाय विकसित किये जाएगें। ग्राम पंचायतों और ' ाहरी स्थानीय निकायों को दीवानी मामलों के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। इस सम्बन्ध में ग्राम न्यायालयों के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- **पुलिस के कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण** को प्राथमिकता दी जाएगी तथा पुलिस के सभी रैंकों के अधिकारियों के लिए नवीनतम कानूनों की जानकारी हेतु समय–समय पर रिफ्रेश करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। पुलिस विभाग के अधिकारियों को आधुनिक तकनीकी क्षमता से युक्त करने के लिये एम पासपोर्ट योजना के अर्न्तगत टेबलेट भी वितरित किये गये है। सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत विवेचकों को केस डायरी/विवेचनात्मक कार्यवाही को ऑनलाइन करने हेतु टेबलेट वितरित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार ई–चालान हेतु स्मार्ट फोन भी वितरित किये गये है।
- सुरक्षा वातावरण को मजबूत करने के लिए पुलिस के विशेष इकाईयों जैसे कि स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आतंकवाद निरोधी दस्ता, स्पेशल टास्क फोर्स, स्पॉट हेतु वाहनों के लिए गत वित्तीय व" ा 2018–19 में क्रमशः 350 लाख, 320.67 लाख, 3500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है। इसी प्रकार वर्तमान वित्तीय व" ा में एटीएस के वाहनों के लिए रू0 350.00 लाख का प्रावधान बजट व्यवस्था में किया गया है, जिसके स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- कानूनी सुधारों के माध्यम से उपाय किए जाएंगे कि जमानत और मुकदमों के दौरान अपराधी बार–बार अपराध न करें, और अपील समयबद्ध तरीके से की जाए।
- जांच के लिए सिस्टम ऑनलाइन किए जाएंगे ताकि रियल टाइम सुपरविजन हो सके।
- स्मार्ट सिटी सर्विलांस सिस्टम (ैै) और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (प्ज्डै) राज्य के 12 प्रमुख शहरों/कस्बों में लागू किया जाएगा।

यूपी.100

प्रतिदिन प्राप्त होने वाली लगभग 1,30,000 कॉल सेवा प्रमाणिक मूल्य के लिए दर्ज की जाती हैं। मूल्यवान समय की बचत करते हुए, कॉलर का स्थान स्वचालित रूप से स्थान–आधारित सेवाओं (एलबीएस) के माध्यम से प्रदर्शित होता है। इस प्रकार घटनाओं को केंद्रीकृत कर प्रे" ात करने हेतु 300 पुलिस अधिकारियों द्वारा सेवा दी जाती है। वे डिजिटल मानचित्रों पर निकटतम पीआरवी देखते हैं तथा घटनाओं को देखकर टैक करते हैं और संबंधित सभी पुलिस और नागरिक अधिकारियों को सूचना का प्रसार करते रहते हैं। पीआरवी को उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन करने की आवश्यकता होती है, जिसे वे तब रिकॉर्ड करते हैं और डिजिटल रूप से रिपोर्ट करते हैं।

वर्तमान में, यूपी 100 पूरी तरह से एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाओं, जीआरपी के साथ एकीकृत है। एक कॉल के माध्यम से नागरिक को आवश्यकतानुसार एक, दो या तीन सेवाएं मिलती हैं। वुमेन पावर लाइन, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, निर्भया ऐप, आपदा प्रबंधन प्रणाली, स्मार्ट शहरों की निगरानी प्रणाली और सीसीटीएनएस के साथ एकीकरण भी प्रगति पर है। रिस्पांस टाइम को और कम करने के लिए 1800 टू–व्हीलर्स को भी जोड़ा जा रहा है, जो पूर्व में 30 मिनट था, को वर्तमान में 13.4 मिनट के स्टेट–वाइड में लाया गया है। परियोजना सभी नागरिकों की जरूरत के अनुसार आपातकालीन सेवाओं की गारंटी देती है,।

कुछ इनोवेशन, जिन्होने यूपी.100 को गेम चेंजर बनने में सक्षम बनाया है और वे इस प्रकार हैं:–

- 1 लाख से अधिक गांवों की डिजिटल सीमाएं पुलिस थानों के लिए मैप की गई।
- बालिकाओं के विद्यालय, मूर्ति विसर्जन स्थल, बैंक, आभूषण बाजार आदि जैसे 15 लाख से अधिक चिन्हित (च्ब्) पर बेहतर गश्त और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए मानचित्रों के साथ एकीकृत किया गया।
- 5 सेकंड के भीतर 99: से अधिक कॉल अटेंड करने के लिए स्वचालित कॉल वितरण प्रणाली।
- सेवाओं में सुधार के लिए 50: से अधिक कॉल पर फीडबैक टेलीफोनिक रूप से लिया गया। पुलिस के खिलाफ शिकायतों पर भी कार्रवाई की गयी।
- रोजाना 6000 से अधिक मार्गों पर लगातार गश्त।
- कॉल का जवाब देने और फीडबैक लेने के लिए गैर–पुलिस अधिकारियों का चुनाव।
- स्थान आधारित तथा कॉलर लोकेशन सेवा की सहायता से भीड़ की मदद प्रदान करना ।
- सभी 75 जिलों में प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना जो कांस्टेबलों से जिला एसएसपी तक सभी स्तरों को प्रेरणा और निरंतर प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष भर चलते हैं।
- सोशल मीडिया, रेडियो, प्रिंट और सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से निरंतर आउटरीच।
- पुलिस द्वारा समाज को सुरक्षित बनाने के लिए एनालिटिकल बिग डेटा का उपयोग ।
- पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 5 साल के लिए सभी कॉल, डिजिटल दस्तावेजों और ट्रेल्स को रिकॉर्ड करना और संग्रहीत करना।
- पुलिस स्टेशन की जवाबदेही एक पुलिस स्टेशन मॉड्यूल सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुनिश्चित की गई।
- एसएचओ से एडीजी तक सभी स्तरों पर मामले की निगरानी ऐप के माध्यम से पर्यवेक्षी सतर्कता सुनिश्चित की

पीडित–उन्मुख आपराधिक न्याय

उ0प्र0 रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान को" ा जैसे मौजूदा मसौदे को आगे बढ़ाकर राज्य आपराधिक न्याय प्रणाली में पीडित–उन्मुख दृष्टिकोण की दिशा में आगे बढ़ेगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत न्याय में सामंजस्य और पुर्नस्थापना के माध्यम से पीडित के घावों को भरने का प्रयास करेगा। पीडितों के विश्वास को बहाल करने और न्याय

के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सिस्टम पीडितों को कुछ अधिकारों को प्रदान करने के लिए, उन्हें कार्यवाही में भाग लेने के लिए सक्षम बनाने का प्रयास करेगा। पीडितों को कार्यवाही के परवाह किए बिना उचित अंतरिम राहत सहित चोटों के लिए मुआवजे की तलाश और प्राप्त करने का अधिकार होगा। पीडितों को उनके जीवन पर अपराध के प्रभाव को स्थापित करने वाले न्यायालयों को पीडित प्रभाव विवरण प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जाएगी।

राज्य में कहीं भी, किसी भी समय, सभी लोगों को सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा के लिए त्वरित, एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली (यूपी 100) की स्थापना की गई है। यह उत्तर प्रदेश के 2.4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के दूरस्थ गांव और इसके 22 करोड़ नागरिकों में से प्रत्येक नागरिक को कवर करता है। **इसका वादा शहरी में औसत प्रतिक्रिया समय 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट प्रदान करना है।**

परियोजना के बुनियादी ढांचे में लखनऊ में एक केंद्रीकृत संपर्क और प्रेषण केंद्र शामिल हैं, राज्य भर में 126 विभिन्न जिलों, रेंज, जोन और मुख्यालय नोड्स से जुड़ने के लिए समर्पित लीज लाइनें, मुख्यालय और जिलों में प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास केंद्र, डेटा सेंटर और 4800 आधुनिक पुलिस रिस्पांस व्हीकल (पीआरवी), जो जीपीएस–सक्षम मोबाइल डेटा टर्मिनलों, रेडियो–ओवर–इंटरनेट (आरओआईपी) वायरलेस सेट, मोबाइल फोन, डैशबोर्ड कैमरा और प्राथमिक चिकित्सा में सक्षम हैं। पूरी परियोजना में 30,000 से अधिक विशेष रूप से प्रशिक्षित और संवेदनशील पुलिस कर्मचारी तैनात हैं।

लक्ष्य 16.2 बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, उनके शोषण, अवैध तौर पर बेचने की प्रकिया तथा सभी प्रकार की हिंसा और उत्पीडन को समाप्त करना ।

- **ऑपरेशन स्माइल** और **आपरेशन मुस्कान** जैसे कार्यक्रमों का विस्तार–आईसीटी जैसे सक्षम विकल्पों का उपयोग करना।
- मौजूदा सरकारी चैनलों का उपयोग करते हुए व्यापक संवेदीकरण शिविर आयोजित करना तथा बाल दुर्व्यवहार के शिकार लोगों को खेल के माध्यम से कैरियर को बढ़ावा देने के लिए खेल आयोजनों जैसे नए प्लेटफार्मों का उपयोग किया जाएगा।
- कानूनी प्रावधानों को मजबूत और पुनर्जीवित करना ताकि बच्चों की तस्करी और संगठित बाल श्रम में शामिल अपराधियों के लिए समय पर दंडात्मक उपाय एक निवारक के रूप में कार्य करें।
- बाल पोर्नोग्राफी में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने, उन्हें ट्रैक करने, बुक करने और उन्हें दंडित करने हेतु इंटरनेट पर सतर्कता रखने के लिए साइबर पुलिस का एक कैडर विकसित किया जाएगा।
- यूपी में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में स्थापित किए गए हैं। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर क्षेत्र लखनऊ

साइबर अपराध पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में जबकि मेरठ, बरेली और आगरा जोन गौतमबुद्धनगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

- पास्को अधिनियम के तहत प्रकरणों को समयबद्ध रूप से निपटाने को लिए हर जिले में विशेष अदालतें आयोजित करना।
- यूपी 100 में स्थापित सेल द्वारा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, शोषण, तस्करी और हिंसा के किसी भी रूप में कॉल का जवाब दिया जाएगा।
- पुलिस स्टेशनों को सीसीटीवी के साथ सक्षम किया जाएगा ताकि हिरासत और बलात्कार सहित अन्य पहचान जैसे जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव शोषण को कम किया जा सके।
- किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अन्तर्गत अब अवयस्क बच्चों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट नही दर्ज की जायेगी तथा बच्चों को थानों पर निरूद्ध नहीं किया जायेगा।

लक्ष्य 16.3 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कानूनी नियम को बढ़ावा देना और सभी के लिए एक समान न्याय सुनिश्चित करना

- यूपी में नेपाल के साथ लगभग 600 किलोमीटर खुली अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसके द्वारा हथियारों, ड्रग्स और मानव तस्करी बहुतायत से होती है। सशस्त्र सीमा बल और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय कर सीमा पार की अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार एक संरचित योजना विकसित करेगी।
- कानून के ‘ ाासन हेतु नागरिक के मौलिक अधिकारों के सकारात्मक पक्ष को सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा साथ ही कानूनी प्रावधानों को सरल बनाकर आपराधिक मामलों की रिपोर्ट करने और लोगो को दुर्घटना और अपराध के पीडितों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
- पुलिस प्रशिक्षण को आधुनिक और परि” कृत करते हुये 36 नये थाने, 13 चौकी/रिपोटिंग चौकी स्थापित किये जा रहे है, ताकि कानूनी प्रणाली तक लोगो की पहुंच आसान हो सके। इसी प्रकार यू0पी0काप में 27 जनोपयोगी सुवधिाओं, ई–एफ.आई.आर., 09 सिटीजन सर्विसेज के माध्यम से लोगो को घर बैठे अपनी शिकायतों को दर्ज कराने में सुविधा प्राप्त हो रही है।
- समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने हेतु ग्राम पंचायतों को संशक्त बनाना और लोक अदालतों, कानूनी जागरूकता और कानूनी साक्षरता शिविरों के आयोजन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को विस्तृत भूमिका निभाने के लिए मजबूत करना।

- कानून प्रवर्तन के लिए विवेकाधीन शक्तियों को न्यूनतम और पारदर्शी बनाया जाएगा और पुलिस कर्मियो को अपने मूल कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने तथा कानून प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार अन्य विभागों के कर्मचारियों और तकनीकी के साथ सशक्त बनाये जाने का प्रयास किया जाएगा।
- प्रदेश विधान मण्डल द्वारा माफिया और संगठित अपराध से निपटने तथा उन पर प्रभावी अंकुश के साथ साथ समाज के अन्तिम व्यक्ति की सुरक्षा के लिये उ0प्र0 संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक 2017 **(यूपीकोका)** पारित किया गया है, जिसे अधिनियम के रूप में ' ीघ्र ही अधिसूचित किया जायेगा।

लक्ष्य 16.4 व"ं 2030 तक अवैध वित्तीय और हथियार व्यापार में व्यापक कमो करना, चोरी की संपत्तियों की बरामदगी तथा वापसी और सभी प्रकार के संगठित अपराधों से निपटना।

- संगठित अपराधों के प्रवाह और मार्ग का पता लगाने और ऐसे मामलों में समय पर प्रतिक्रिया देने के लिए विभिन्न विभागों के साथ–साथ अन्य राज्यों के साथ नेटवर्क स्थापित करना । इंटरनेट धोखाधड़ी और अन्य साईबर अपराधों की जांच के लिए राज्य स्तर पर साइबर सेल की स्थापना ।
- अवैध वित्तीय और हथियारों के प्रवाह तथा संगठित अपराध को कम करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक मजबूत खुफिया प्रणाली स्थापित करना और संगठित अपराधों से निपटने के लिए समर्पित और अच्छी तरह से प्रशिक्षित बल तैनात करना। चोरी के सामानों की बरामदगी और उनके स्वामियों तक वितरण की प्रणाली स्थापित करने के लिए विधि व्यवस्था में आवश्यक सुधार करना।
- अन्य राज्यों तथा राष्ट्रीय स्तर पर एकत्र की गई खुफिया जानकारी की क्रॉस–लिंकिंग स्थापित करना और कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा उक्त पर प्रभावी व त्वरित कार्यवाही करना। इसके लिये एस.टी.एफ. एवं ए.टी.एस. का गठन किया गया है। जाली नोटों के दुर्व्यापार के रोकथाम के लिये आन लाईन पोर्टल आरम्भ किया गया है। इसी प्रकार सीसीटीएनएस के माध्यम से आर्म्स एक्ट की धारा 31 के अन्तर्गत पश्चातवर्ती अपराधों के लिये दुगनी ' ाास्ति से दण्डनीय बनाया गया है।

लक्ष्य 16.5 सभी प्रकार के भ्रष्टाचार और रिश्वत में व्यापक कमी करना

- भ्रष्टाचार को हतोत्साहित करने और सार्वजनिक स्थानों पर रिश्वत और भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों और उनके निवारण के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं और प्रावधानों को मजबूत करना ।
- वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए बेहतर आईटी उपकरणों और कानूनों के साथ पुलिस बलों को मजबूत करना। संस्थागत स्तर पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना

तथा राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार की निगरानी के लिए लोकपाल तंत्र प्रणाली की स्थापना।

- भ्रष्टाचार की घटनाओं को कम करने के लिए नागरिक–केंद्रित अधिकार को सार्वजनिक डोमेन पर रखने और भ्रष्टाचार के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक हेल्पलाइन स्थापित करना।
- यूपी सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति "**जीरो टॉलरेंस नीति**" अपनाई है। इस नीति को लागू करने के लिए भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण के लिए मार्च 2017 में एक भ्रष्टाचार निरोधी पोर्टल शुरू किया गया है, जिस पर दर्ज की गयी शिकायतें निस्तारण हेतु समयबद्ध हैं और इसकी प्रगति ऑनलाइन देखी जा सकती है।
- भ्र" टाचार सम्बन्धी शिकायतो के निस्तारण हेतु **सभी विभागों में सतर्कता अधिकारी** तैनात किये गये है।

लक्ष्य 16.6 सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थानों का विकास करना, शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए जवाबदेह और पारदर्शी संस्थान आवश्यक हैं। संस्थागत जवाबदेही और प्रभावी और पारदर्शी कामकाज तीन महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करता है।

- बहुसंख्यक आबादी के बीच इस तरह के कामकाज के लिए पीढ़ी की मांग।
- प्रणाली में आंतरिक सुधार और बुनियादी ढाँचा, जो इस तरह की माँगों को पूरा कर सकते हैं और प्रवर्तन में मानवीय त्रुटियाँ और विवेकाधीन शक्तियाँ समाहित कर सकते हैं।
- समाज की मुख्य धारा में अपराधियों और पीडितों को वापस लाने का प्रयास। सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थानों को विकसित करने, असामाजिक प्रथाओं की घटनाओं को कम करने के लिये नागरिकों को शिक्षित करने की दिशा में राज्य निष्ठापूर्वक निवेश करेगा। यदि नागरिकता प्राथमिक पहचान और जिम्मेदारी बन जाती है, तो ऐसे अपराध, जो कानून के विरोध में हैं, लेकिन जिन्हें सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है, जैसे कि बाल श्रम, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, दहेज, और अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार जैसे कि लिंग आधारित गर्भपात, लिंग और जाति आधारित भेदभाव, मौजूदा दंडात्मक उपायों की तुलना में अधिक प्रभावी रूप से संनिहित किया जा सकता है। राज्य, पुरू" ाों, महिलाओं, लड़कों और लड़कियों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच उपलब्ध सभी मौजूदा प्लेटफार्मों का उपयोग नागरिकता के निर्माण में करेगा । स्कूल पाठ्यक्रम, नागरिकता के निर्माण एवं युवा पीढ़ी को जिम्मेदार रहने के लिए प्रभावी रूप से प्रभावित होगा।

- नागरिकता निर्माण से शांतिपूर्ण समाजों के पोषण, जिसमें नागरिकों के कई समूह शामिल हैं, विभाजनकारी पहचान वाले समुदायों की तुलना में भी अधिक मदद मिलेगी, राज्य, सभी न्याय वितरण तंत्र के प्रशासनिक सुधार को प्राथमिकता देगा और आइ0सी0टी0 नागरिकों के लिए बेहतर पारदर्शी और जवाबदेही सक्षम बुनियादी ढाँचा तैयार करेगा।

विशेष रूप से किशोर मामलों में पुर्नस्थापना संबंधी न्याय को बढ़ावा देना

अपराध और हिंसा यूपी जैसे बहुलवादी समाज के लिए सतत विकास और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने में एक प्रमुख बाधा है। आपराधिक न्याय का प्रतिकूल मॉडल अपने एकमात्र उद्देश्य के रूप में, अपराधी को दंडित करने के साथ, महंगा और उल्टा साबित हुआ है। राज्य सामंजस्य और रिश्तों की बहाली के उद्देश्य से अधिक लोकतांत्रिक मॉडल के साथ प्रयोग करने का प्रयास करेगा। आपराधिक न्याय प्रणाली की सुधार समिति (2003) की सिफारिश के आधार पर भारत ने प्ली बार्गेनिंग के अन्तर्गत आपराधिक मामलों की दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय ग्ग्.। के तहत परीक्षण के बिना 07 साल तक के कारावास के दंड से दंडित करने के लिए संहिता को अपनाया है।

विशेष रूप से किशोरघरों में उन लोगों को बहाल करने और सांप्रदायिक संघर्ष, पारिवारिक विवाद आदि जैसे मामलों में राज्य, उत्तरोत्तर सहायक विभागों और संस्थानों के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा ।

करने की स्थिति के लिए आवश्यक संरचनात्मक सुधार लाने की दिशा में काम करेगा। इसमें कानून व्यवस्था की स्थिति का प्रबंधन करने के लिए बेहतर उपकरण (हथियार, कैमरा, कंप्यूटर या अन्य आईटी संबंधित सेवाएंआदि) शामिल होंगे, पुलिसिंग के लिए तनाव मुक्त वातावरण और अन्य कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, स्थानान्तरण, पोस्टिंग, पदोन्नति के लिए पर्याप्त और पारदर्शी उपाय किये जायेंगें।

- प्रत्येक अदालत में पर्याप्त संख्या में कुशल लोक अभियोजकों के माध्यम से गरीब, जरूरतमंद व्यक्ति और समाज के कमजोर वर्गों के सदस्यों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए लीगल एड–कम–लिट्रेसी क्लीनिक स्थापित किया गया है।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म सिस्टम के माध्यम से हाशिए पर रहने वाले और कमजोर वर्गों के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली की बढ़ती पहुंच **विकल्प** के समान सक्षम होगी।
- समावेशी भागीदारी और प्रतिनिधिक निर्णय सुनिश्चित करने के लिये पीस कमेटी तथा जनपदों में कम्यूनिटी पुलिसिंग हेतु कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार ग्राम सुरक्षा समितियों का भी गठन किया गया है।

प्रचार के लिए नागरिक स्वयं सेवक कार्यक्रम–

1. पॉवर एजेंट प्रोग्राम

महिलाओं और लड़कियों के बीच वूमेन पावर लाइन –1090 द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से एक स्वैच्छिक कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के तहत स्कूल और कॉलेजों की छात्राओं को पावर एंजल्स (शक्ति परी) के रूप में नामित किया गया है। इस तरह के नामित पावर एंजल्स ने न केवल 1090 कार्यक्रम को सार्वजनिक करने में योगदान दिया, बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना भी पैदा की है।

पावर एंजल्स प्रोग्राम की मौजूदा योजना को पावर एजेंट कार्यक्रमों की शुरुआत के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है। पावर एजेंट प्रोग्राम में पावर हीरोज/पावर गार्जियन शामिल हैं। स्कूल/कॉलेजों के प्राचार्यों, संस्थान/विश्वविद्यालयों के डीन को इस कार्यक्रम के दायरे में लाया गया है और उन्हें इन संस्थानों के छात्रों के साथ पावर हीरोज के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. **सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम** के अन्तर्गत जून 2018 से नवंबर 2018 तक एक आत्मरक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया । इस पहल के अन्तर्गत लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों, व्यापार मंडल और जिला मजिस्ट्रेट से सहयोग लिया गया।

लक्ष्य 16.8 वैश्विक शासन वाली संस्थाओं में विकासशील देशों की भागीदारी बढाना और उन्हें सुदृढ करना

- प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग द्वारा शासन के साथ–साथ न्यायालयों में दक्षता, पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करना आने वाले वर्षों में सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसमें जांच और मामलों की ऑनलाइन निगरानी और ट्रैकिंग तथा नागरिक चार्टर को लागू करना,प्रत्येक सेवा के लिए एक समय सीमा प्रदान करना शामिल होगा।
- निर्वाचित पंचायती राज संस्थान के सदस्यों को घरेलू हिंसा, भूमि विवाद, बाल शोषण, आदि जैसी घटनाओं से संबंधित कानूनी साक्षरता का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

विकल्प

राज्य का एक वेब पोर्टल विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराधों के संबंध में शिकायतों के पंजीकरण और प्रसंस्करण के लिए समर्पित है। यह पंजीकृत मामलों में अनुपालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है।

- अपराध कर विदेश भाग जाने वाले अपराधियों के प्रत्यर्पण हेतु पुलिस महानिदेशक कार्यालय में इण्टरपोल अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।
- समय–समय पर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को संयुक्त रा" ट्र ' ान्ति सुरक्षा मिशन में भेजा जाता है, वहां उनके द्वारा वि' व ' ान्ति की स्थापना में अपना योगदान दिया जाता है।

लक्ष्य 16.9 वर्ष 2030 तक जन्म पंजीकरण सहित सभी के लिये वैधानिक पहचान उपलब्ध कराना

- राज्य में जन्म पंजीकरण प्रणाली को फिर से लागू किया जा सके इसके लिए जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 के पंजीकरण को लागू करने और भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय के विजन 2020 की सिफारिशों को लागू किया जाएगा ताकि व" ि 2020 तक सार्वभौमिक पंजीकरण और जन्म प्रमाण–पत्र जारी किया जा सके।
- एकल डेटाबेस के लिए सभी पहचान रिकॉर्ड को डिजिटलीकरण करने का प्रयास किया जाएगा। पहचान प्रमाण प्रयोजनों के समान उपयोग करने के लिए

नागरिकों के आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र से जोडा जाएगा, जिससे प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित जानकारी के रिकॉर्ड को गांव के स्तर तक मजबूत करने में सहायता मिल सके।

बच्चे का पहला अधिकार सुनिश्चित करना : राज्य में नागरिक पंजीकरण प्रणाली मे सुधार करना

सरकार राज्य में नागरिक पंजीकरण प्रणाली में सुधार करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है।

- प्रणाली को इस प्रकार से पुर्नव्यवस्थित करना कि जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा को जन्म प्रमाण पत्र चिकित्सा संस्थानों में या पहले टीकाकरण के दौरान ही प्राप्त हो जाए। अपंजीकृत जन्म को नियमित टीकाकरण के हिस्से के रूप में ट्रैक करना तथा पंजीकरण प्रक्रिया को सरल कर बैकलॉग को क्लीयर किया जाय, निजी वितरण घरों और अस्पतालों के महत्वपूर्ण आँकड़ों को नागरिक पंजीकरण और (ब्ल्टै) सॉफ्टवेयर के साथ ऑनलाइन जोड़ा जायें।
- पंजीकरण इकाइयों, विशेषकर पंचायत स्तर पर, के लिए आवश्यक स्टेशनरी की व्यवस्था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत नागरिक पंजीकरण के लिए पर्याप्त धन आवंटित करना ।
- अतिरिक्त रजिस्ट्रारों और अधिसूचनाओं के साथ मौजूदा पंजीकरण इकाइयों को मजबूत करना – राज्य में 52,553 पंजीकरण इकाइयाँ (ग्रामीण 51,904, शहरी 649) हैं जिनमें नगर निगम, सरकारी अस्पताल, नगर पंचायत, और ग्राम पंचायत शामिल हैं।
- ई–पोर्टल/प्लान प्लस (विकेंद्रीकृत डिजिटल प्लानिंग प्लेटफॉर्म) और आधार डेटा बेस के साथ सीआरवीएस के लिंक की स्थापना और सामंजस्य स्थापित करना।

लक्ष्य 16.10 राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार, सूचना की सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करना और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करना।

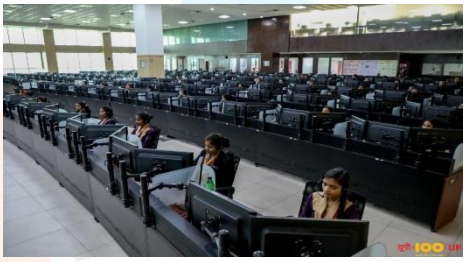

- शैक्षिक संस्थानों, पंचायती राज संस्थानों और नागरिक समाज को लक्षित करते हुए नियमित मीडिया अभियानों के माध्यम से **सूचना का अधिकार अधिनियम** को लोकप्रिय बनाना।
- सूचना का अधिकार कार्यालय नागरिकों की सहायता के लिए लखनऊ में एक हेल्पलाइन नंबर से लैस होगा।
- पुलिस सहित सभी विभागों के कामकाज की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी।

माइलस्टोन

क0	कियाकलाप	2020	2024	2030
1	उ0प्र0 के सभी जनपदों में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना	35 जनपद	75 जनपद	
2	ब्लाक स्तरों पर संकट हस्तक्षेप केन्द्रों की स्थापना	25 जनपदों के ब्लाक	50 जनपदों के ब्लाक	75 जनपदों के ब्लाक
3	बच्चों, बुजुर्गो, महिलाओं के लिए देखभाल और सहायता केन्द्रों की स्थापना	10 जनपद	25 जनपद	50 जनपद
4	सार्वभौमिक जन्म पंजीकरण	सभी नवजात	14 व"र्ा के कम	सार्वभौमिक जन्म

	प्राप्त करना		के बैकलाग को समाप्त करना	पंजीकरण
5	एसआरसीडब्लूसी (महिलाओं और बच्चो के लिए राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना)	चिल्ड्रेन सेण्टर को कायम करना, पदों को भरा जाना और केन्द्रों को क्रियाशील करना	ऐसे केन्द्रों से गुणवत्तापूर्ण राजनीति, रणनीति और क्षमता निर्माण को विकसित करना	इस क्षेत्र में चाइल्ड केयर एवं प्रोटेक्शन सेण्टर उत्कृ" टता के एक सम्मानित केन्द्र के रूप में जाना जाता है।

क0	कियाकलाप	2022	2024	2030
1	शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में शासन को मजबूत करने के लिए लोगों की भागीदारी का कुल प्रतिशत।	20%	30%	50%
2	शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में शासन को मजबूत करने के लिए तकनीकी नवाचार का कुल प्रतिशत	20%	30%	50%
3	सभी संस्थानों में नागरिक शिक्षा को समाविश्ट करना	25%	25%	50%
4	सभी संस्थानों में कानूनी साक्षरता कार्यक्रमों को समाविश्ट करना	15%	35%	80%
5	ग्राम पंचायतों के स्तर पर असामाजिक तत्वों के खिलाफ नागरिकों के सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना	20%	30%	50%
6	ग्राम स्तर पर जन्म पंजीकरण	25%	25%	75%
7	लापता बच्चों के बरामदगी का कुल प्रतिशत	30%	50%	80%
8	किशोर लड़कियों के प्रति सभी तरह के दुर्व्यवहार पर संवेदनशीलता कार्यक्रम	30%	45%	70%
9	बाल मित्र पुलिस थाने	20%	30%	50%
10	75 जिलों में मॉडल स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट	20 जनपद	40 जनपद	75 जनपद
11	परिवार पराम" र्ा केंद्र का सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण	75 जनपद	75 जनपद	75 जनपद
12	कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न के प्रति यूपी पुलिस की संवेदनशीलता का प्रतिशत	20 %	35%	45 %
13	महिलाओं और बच्चों के साथ पुलिस स्टेशनों पर प्रशिक्षित यूपी पुलिस के व्यवहार का प्रतिशत	15 %	30%	55 %
14	1090 से लाभान्वित होने वाली महिला जनसंख्या का प्रतिशत	20%	30%	50%
15	1 लाख पावर एजेंट विकसित किया जाना	5000	50,000	1,00,000
16	हिंसा संबंधी मृत्यु दर के सभी प्रारूपों (हत्या, दहेज हत्या) में कमी का प्रतिशत	15%	25%	60%

क0	कियाकलाप	2022	2024	2030
17	दुर्घटना से मृत्यु दर में कमी।	15%	30%	50%

सतत विकास लक्ष्यः 17 लक्ष्य हेतु भागीदारी

विजन

एसडीजी गोल संख्या–17 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय संसाधन जुटाने, वैश्विक तकनीकी सुविधा तंत्र के माध्यम से तकनीकी हस्तांतरण, वर्ष 2020 तक निर्यात को दोगुना करने के विचार के साथ व्यापार तथा वाणिज्य को बढ़ावा देने के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से क्षमता निर्माण का लक्ष्य रखता है। यह लक्ष्य ज्ञान, विशेषज्ञता, तकनीकी और वित्तीय संसाधनों को साझा करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बहु–हितधारकों की साझेदारी को भी लक्षित करता है। यह वर्ष 2020 तक राष्ट्रीय परिदृश्य में आय, लिंग, आयु, जाति, पंथ, धर्म, विकलांगता, भौगोलिक स्थिति और अन्य विशेषताओं संबंधी विश्वसनीय डेटा की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण का लक्ष्य रखता है। यह लक्ष्य सतत विकास की प्रगति को मापने के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देता है।

लक्ष्य 17.1 विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन सहित घरेलू संसाधन जुटाने में मजबूत करना, कर और अन्य राजस्व संग्रह के लिए घरेलू क्षमता में सुधार करना।

लक्ष्य 17.3 कई स्रोतों से विकासशील देशों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को जुटाना।

लक्ष्य 17.5 कम विकसित देशों के लिए निवेश प्रोत्साहन व्यवस्थाओं को अपनाना और लागू करना।

लक्ष्य 17.8 2017 तक कम से कम विकसित देशों के लिए तकनीकी बैंक और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षमता–निर्माण तंत्र का पूरी तरह से संचालन करना, विशेष रूप से सूचना और संचार में सक्षम बनाने वाली तकनीकी के उपयोग को बढ़ाना।

लक्ष्य 17.11 विकासशील देशों के निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि, विशेष रूप से वर्ष 2020 तक वैश्विक निर्यात में कम विकसित देशों के हिस्से को दोगुना करने का उद्दे"य।

लक्ष्य 17.17 प्रभावी सार्वजनिक, सार्वजनिक–निजी और नागरिक समाज की साझेदारी को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना तथा साझेदारी के अनुभवों एवं रणनीतियों पर निर्माण करना।

लक्ष्य 17.18 वर्ष 2020 तक आय, लिंग, आयु, नस्ल, जाति, प्रवासी स्थिति, विकलांगता, भौगोलिक स्थिति और राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रासंगिक स्थिति आधारित विशेषताओं वाली उच्च–गुणवत्ता तथा समय पर विश्वसनीय डेटा की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विकासशील दे"ों, कम विकसित देशों और छोटे द्वीपों के लिए क्षमता–निर्माण सहायता बढ़ाया जाना।

लक्ष्य 17.19 वर्ष 2030 तक सतत विकास के मौजूदा पहलुओं की प्रगति हेतु उपायों को विकसित करने के लिए प्रयास करना, जो सकल घरेलू उत्पाद के पूरक हों और विकासशील देशों में सांख्यिकीय क्षमता–निर्माण का समर्थन करते हों।

संसाधन संग्रह

उत्तर प्रदेश सरकार कर संग्रह में अपनी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत, सुधार के प्रमुख क्षेत्र हैं:

- कर आधार को बढ़ाकर जीएसडीपी अनुपात में सुधार।
- कर संरचना का युक्तिकरण।
- राजस्व के करापवंचन एवं क्षरण को रोकना।
- बेहतर कर अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक कुशल और पारदर्शी कर प्रशासन प्रणाली का विकास।
- राजस्व के नए और अतिरिक्त स्रोतों के दोहन की संभावनाओं की तला" ा करके अतिरिक्त संसाधन जुटाना।
- परिणामों की बेहतरी और स्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध संसाधनों का कुशल आवंटन और उपयोग।

वर्तमान परिदृश्य

- 2017–20 की अवधि के लिए एसडीजी का वित्त पोषण राज्य बजट/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है।
- एसडीजी से सम्बन्धित नोडल विभागों द्वारा गोलवार वित्तीय लक्ष्यों की मैपिंग की जा रही है।
- गोलवार वित्तीय लक्ष्यों की मैपिंग के बाद ही इस हेतु आवश्यक अतिरिक्त संसाधनों का आंकलन किया जा सकता है।
- वर्ष 2020–25 के दौरान राज्य का वित्तीय परिदृश्य पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।
- राज्य सरकार ने पन्द्रहवें वित्त आयोग के समक्ष केन्द्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों के अंश को बढ़ाये जाने के लिए अपना पक्ष रखा है।

लक्ष्य के लिए प्रासंगिक प्रमुख संकेतक

- वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत में राजस्व प्राप्तियों के घटक यथा राज्य का स्वयं का कर राजस्व, केन्द्रीय करों में राज्यांश, राज्य का करेत्तर राजस्व तथा केन्द्र से सहायता अनुदान हैं।

राजस्व प्राप्तियों के स्रोत

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	राज्य का स्वयं का राजस्व		केन्द्रीय अन्तरण		कुल योग
	स्वयं का कर	करेत्तर राजस्व	केन्द्रीय करों में राज्यांश	केन्द्रीय सहायता	
2017–18	97,393	19,795	1,20,939	40,648	2,78,775
2018–19 (पु0अ0)	1,34,300	28,822	1,41,540	75,360	3,80,022
2019–20 (ब0अ0)	1,40,176	30,633	1,52,863	68,062	3,91,734

- प्रदेश के वित्तीय संसाधन एवं व्यय की स्थिति

प्राप्तियों एवं व्यय की समग्र स्थिति

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	कुल प्राप्तियाँ	कुल व्यय

2017–18	3,26,427	3,21,823
2018–19 (पु0अ0)	4,39,525	4,49,573
2019–20 (ब0अ0)	4,70,684	4,79,701

लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य योजना

- राजस्व प्राप्तियो से सम्बन्धित विभागों की प्राप्तियों की स्थिति की निरंतर समीक्षा की जा रही है।
- बजटीय संसाधन की उपलब्धता के दृष्टिगत् परिणामों को अधिकतम करने के लिए एसडीजी के लक्ष्यों के अन्तर्गत योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करनी होगी।
- प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को इंगित कर उन्हें सर्वप्रथम वित्त पोषित करने की आवश्यकता है।
- सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना होगा।
- लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों, सिविल सोसायटी, गैर सरकारी संगठनों को शामिल कर अतिरिक्त संसाधन जुटाया जाना प्रस्तावित है।

संसाधन वृद्धि के प्रयास

संसाधन वृद्धि के किये गये प्रयास का विवरण विभागवार निम्नवत् हैः–

जी0एस0टी0 एवं वैट

- रिटर्न दाखिले में उत्तर प्रदेश का स्थान अग्रणी राज्यों में है। देश के प्रतिशत से लगभग 3 प्रतिशत अधिक है।
- वर्श 2019–20 मे देय रिटर्न दाखिल करने हेतु 17.25 लाख एस0एम0एस0। रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध अब तक 9.35 लाख नोटिस जारी।
- विभिन्न श्रेणी के एमआईएस बनाकर डिफाल्टर की नियमित जांच व अनुश्रवण।
- प्रदेश में जी0एस0टी0 के 8.63 लाख नये डीलर्स पंजीकृत। जिनमें वर्ष 2019–20 में 57 हजार नये पंजीयन। प्रदेश में 14.87 लाख कुल डीलर्स पंजीकृत।
- विभागीय मोबाइल ऐप **ई–वे बिल कलेक्शन** के माध्यम से ई–वे बिल का सत्यापन कार्य किया जाना।
- रिटर्न दाखिला की पूर्व सूचना के लिए एस0एम0एस0 किया जाना।
- नॉन फाइलर को ऑनलाइन नोटिस जारी किया जाना ।
- प्रवर्तन कार्य ऑनलाइन जिसमें मोबाइल मैनेजमेण्ट सिस्टम (सचल दल) व एसआईबी मैनेजमेण्ट सिस्टम (वि0अनु0भा0) क्रियान्वित।

- सचल दल के वाहनों पर व्हेकिल ट्रेकिंग सिस्टम व कमॉण्ड सेन्टर मुख्यालय से अनुश्रवण।
- आर0एफ0आई0डी0– प्रदेभा में 41 प्रवेभा मार्गों पर आर0एफ0आई0डी0 रीडर स्थापित। जी0एस0टी0 काउन्सिल द्वारा प्रदेभा के आर0एफ0आई0डी सिस्टम की सराहना।
- प्रदेश में परिवहित मालवाहक वाहनों पर 3 लाख RFID टैग स्थापित।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस– सिनेमा इत्यादि के लाइसेंस की प्रकिया ऑनलाइन।

आबकारी

- आसवनियों में उत्पादकता एवं निकासी को बढ़ाया जाना।
- दुकानों एवं अन्य आबकारी अनुज्ञापनों का प्रभावी निरीक्षण किया जाना।
- प्रवर्तन कार्यों पर वि" ोश बल दिया जाना।

स्टाम्प तथा निबन्धन

- मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित लगभग 4717 स्टाम्प रिटों एवं मा0 सी0सी0आर0एम0 में लम्बित 2685 स्टाम्प वाद के भीध्र निस्तारण हेतु समस्त उप/सहायक आयुक्त स्टाम्प को निर्दे" ा।
- मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के क्रम में आम्रपाली बिल्डर्स द्वारा आवंटियों के पक्ष में फ्लैटों का निबन्धन।
- भोयर ट्रांजेक" ान पर प्राप्त होने वाली स्टाम्प ड्यूटी संग्रहण के लिए बी0ओ0आई0एस0एल0 से अनुबन्ध।
- विभाग द्वारा भोयर ट्रांजेक" ान पर वर्श 2008 से भूतलक्षी प्रभाव से स्टाम्प भाुल्क वसूली।

परिवहन

- समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) को बकाये की वसूली के सम्बन्ध में कार्य योजना बनाकर चेकिंग के निर्दे" ा निर्गत।
- 06 माह से अधिक बकाया (गुडस एण्ड पैसेन्जर टैक्स) रहने वाली वाहनों के दिनांक 15.09.2019 तक वसूली पत्र निर्गत करने के निर्दे" ा।
- वसूली पत्र में निहित धनरा" ा की वसूली के सम्बन्ध में प्रभावी अनुश्रवण के निर्दे" ा।
- प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही करने व अधिक भाुल्क वसूलने के सम्बन्ध में निर्दे" ा निर्गत।

भूतत्व एवं खनिकर्म

- निजी भूमि से उपलब्ध उप–खनिज ईमारती पत्थर, बालू/मोरम के खनन परिहार स्वीकृत किये जाने हेतु उत्तर प्रदे" ा उप–खनिज (परिहार) तथा सं" ोधित (47वां सं" ोधन) नियमावली–2019 में प्राविधान किये गये हैं।

- एक व्यक्ति को बालू/मोरम आदि के दो खनन अथवा 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है, इससे अधिक से अधिक व्यक्तियों में प्रतिस्पर्धा होगी एवं अधिक से अधिक खनन परिहार स्वीकृत होंगे।
- उपखनिजों की उपलब्धता सुनि" चत किये जाने हेतु खनन योजना, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं पट्टा विलेख निश्पादन के समयबद्ध प्राविधान किये गये है।
- ओवरलोडिंग को रोकने हेतु खनन स्थल पर ही खनन पट्टाधारकों को उत्तरदायी निर्धारित किया गया है।
- अवैध परिवहन के मामले में अवैध परिवहनकर्ता के साथ–साथ पट्टाधारक को भी उत्तरदायी बनाया गया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास

- एसटीपीआई ने नोएडा, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद में आईटी पार्क स्थापित किए हैं। इसके अलावा 5 और आईटी पार्क राज्य के टीयर II और टीयर III शहरों में स्थापित किए जा रहे हैं (आगरा, मेरठ, गोरखपुर, बरेली)।
- भारत सरकार की बीपीओ प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य भर में कॉल सेन्टर/बीपीओ स्थापित किए गए हैं। कुल क्षमता 3400 सीटों की है जिसमें अनुमानित लक्ष्य लगभग 5000 लोगों का है।
- विभाग द्वारा पहले तय किए गए 58,000 वीएलई के लक्ष्य के मुकाबले 80,000 से अधिक पंजीकृत ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) हैं।
- जिला, तहसील और ब्लॉक कार्यालयों में खराब कनेक्टिविटी की चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा SWAN 2.0 की परिकल्पना की गई है।
- राज्य को लगभग 3.50 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसरों के साथ ESDM सेक्टर में लगभग रू0 31000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ।
- राज्य सरकार ने लखनऊ–सुल्तानपुर राजमार्ग पर रू0 485 करोड़ के निवेश के साथ 100 एकड़ का एचसीएल आईटी शहर स्थापित किया है। आईटी सिटी वर्तमान में 3500 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देता है और 1400 सीटर कौशल विकास केन्द्र से लैस है जिसने अब तक 1000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया है।

निर्यात प्रोत्साहन

- निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन की जा चुकी है।
- अनुदान की धनराशि सीधे लाभान्वित निर्यातक इकाइयों के बैंक खाते में ई–ट्रान्सफर के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है।
- प्रदेश के निर्यातकों को त्वरित, सुविधाजनक एवं पारदर्शी तरीके से आनलाईन पंजीकरण की सुविधा।

डेटा बेस का सुदृढ़ीकरण

जी0आई0एस0 सिस्टम का क्रियान्वयन

- प्रदेश में वर्ष 2018–19 से सभी कार्यक्रमों/योजनाओं/ परियोजनाओं के नियोजन, अनुश्रवण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन को जियो–इन्फार्मेटिक्स सिस्टम आधारित प्रणाली के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- प्रदेश के सभी विभागों को शासनादेश दिनांक 17 जुलाई, 2018 द्वारा दिशा– निर्देश निर्गत किये गये हैं कि विभागीय एवं सार्वजनिक उपयोग में आने वाली सभी परिसम्पत्तियों की जियो–टैगिंग की जाएगी। इस जियो डेटा बेस के उपयोग से वास्तविक स्थिति का आंकलन, रियल–टाइम मानीटरिंग, एकीकृत व्यवस्था, मितव्ययिता इत्यादि में सुविधा होगी।
- प्रथम चरण में निर्माणाधीन परिसम्पत्तियों की जियो–टैगिंग की जायेगी साथ ही प्रत्येक नये कार्य के लिए भी अपनायी जायेगी। द्वितीय चरण में पूर्व में निर्मित सभी परिसम्पत्तियों की जियो–टैगिंग करायी जाये।
- प्रदेश में जी0आई0एस0 के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के नेशनल ई–गवर्नेन्स डिवीज़न, इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन्स एण्ड जियो इंफार्मेटिक्स, गुजरात (बाईजैग) के सहयोग से निःशुल्क विभागीय जियो–पोर्टल विकसित कर क्रियान्वित किया जा रहा है।
- प्रोजेक्ट के संचालन हेतु नेशनल ई–गवर्नेन्स डिवीज़न, इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार से नियोजन विभाग के मध्य एक अनुबन्ध दिनांक 08.03.2019 को हस्ताक्षरित हुआ है। उक्त प्रोजेक्ट की अवधि हस्ताक्षर के दिनाँक से 02 वर्ष की है।
- कार्य को पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित विभागों के सहयोग से एक रोड–मैप तैयार किया गया है। विभागीय डेटा के आधार पर जियो पोर्टल विकसित कर क्रियान्वित किये जाने हेतु माह मई, 2019 से जनवरी, 2021 की समयावधि निर्धारित की गयी है।
- विभागों/उप विभागों/संस्थाओं/निगमों के डेटा के आधार पर 103 जियो–पोर्टल्स विकसित किये जा चुके हैं जिनके क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रचलित है।
- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य संकेतक से सम्बन्धित आंकड़ों/सूचनाओं को आनलाइन प्राप्त करने एवं सांख्यिकीय कार्यों हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय के लिए पोर्टल विकसित किया जाना है।
- अर्थ एवं संख्या प्रभाग में सम्पादित होने वाले सांख्यिकी कार्यों यथा–वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एवं विभिन्न प्रकार के भावों/दरों के एकत्रित आंकड़ों को क्षेत्रीय कार्यालयों से त्वरित माध्यम से प्राप्त करने के उद्देश्य से ASI, IIP, मूल्य आदि माड्यूल्स का निर्माण किया गया।
- राज्य आय अनुमानों (जी0एस0डी0पी0 एवं जी0डी0पी0) के आंकलन के कतिपय डेटा गैप को दूर किये जाने के दृष्टिगत राज्य आय अनुमानों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चिन्हित विषयों का अध्ययन कराया जा रहा है।

प्रदे”ा के विकास एवं वित्तीय मानकों से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े

मध्यकालिक नीति पत्रक, 2019 जो सदन में बजट वर्ष 2019–20 के साथ प्रस्तुत किया गया है, के अनुसार आगामी तीन वर्शों के चल लक्ष्य तालिका 8.1 के अनुसार निर्धारित किये गये है।

राज्य की वित्तीय स्थिति

(रू0 करोड़ में)

मद	2018-19 बजट अनुमान	2018-19 पुनरीक्षित अनुमान	2019-20 बजट अनुमान	अगले तीन वर्षों के लिए		
				2020-21	2021-22	2022-23
कुल प्राप्तियॉ	420899.46	439525.27	470684.48	523079.53	586301.23	657634.94
कुल व्यय	428384.52	449573.29	479701.10	532526.83	591680.03	663883.92

व्यय की मुख्य मदें वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 (ब0अ0) तालिका 8.2 में दिये गये हैं:–

व्यय की मुख्य मदें

(रू0 करोड़ में)

क	मद	2017–18			2018–19 (पु0अ0)			2019–20 (ब0अ0)		
		राजस्व	पूँजीगत	योग	राजस्व	पूँजीगत	योग	राजस्व	पूँजीगत	योग
1	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	46141	938	47079	55469	2138	57607	60774	2164	62938
2	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	14792	2112	16904	17924	2811	20735	20554	3329	23883
3	जलापूर्ति, आवास व शहरी विकास	6504	7576	14080	12169	15893	28062	18195	15179	33374
4	समाज कल्याण व पोषण	10804	421	11225	18002	960	18962	21030	907	21937
5	कृषि व सम्बद्ध कार्यकलाप	27265	1614	28879	14315	963	15278	10811	1522	12333
6	ग्राम्य विकास	17086	2313	19399	31037	4185	35222	25132	5145	30277
7	सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण	6981	3107	10088	7705	7980	15685	10268	8421	18689
8	ऊर्जा	7161	8313	15474	10416	21750	32166	16048	10456	26504
9	पुलिस व न्याय प्रशासन	15794	606	16400	18201	834	19035	24076	2597	26673
10	परिवहन, सड़क तथा सेतु सहित	4125	8325	12450	4412	23637	28049	5096	22565	27661

क	मद	2017–18			2018–19 (पु0अ0)			2019–20 (ब0अ0)		
		राजस्व	पूँजीगत	योग	राजस्व	पूँजीगत	योग	राजस्व	पूँजीगत	योग
11	निकायों को समनुदेशन	11555	---	11555	12187	---	12187	14500	---	14500
12	अन्य	98016	20274	118290	130937	35648	166585	137473	43459	180932
कुल योग		**266224**	**55599**	**321823**	**332774**	**116799**	**449573**	**363957**	**115744**	**479701**